राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का १४वां दिवस [संख्या ११

मंगलवार, दिनांक ९ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, चुनाव, योजना, समाज कल्याण, यातायात, विद्युत्, शिक्षा, सहकारिता-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

राजस्थान विश्वविद्यालय का परीक्षा केन्द्र

२३१. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि उदयपुर युनिवर्सिटी बन जाने से अब एम. ए. या पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थी जो प्राइवेटली राजस्थान युनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठेंगे उन्हें परीक्षा के लिए जयपुर आना पड़ेगा ?

(२) क्या उदयपुर में इन परीक्षाओं का कोई सेन्टर रहेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) कुछ समय के लिए उदयपुर में सेन्टर रखने में क्या आपत्ति है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विराम)

फेवरेबल है

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला !

Page No 2

बारां से शिवपुरी जाने वाली सड़क की मरम्मत

२३२. श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बारां से शाहबाद, कस्बा थाना होते हुए शिवपुरी जाने वाली नेशनल हाईवे की हालत बहुत खराब है ?

(२) क्या यह भी सही है कि मोटर मालिकों ने यह भी लिख दिया था कि यदि इसकी मरम्मत नहीं हुई तो सर्विस बन्द कर दी जायेगी ?

(३) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष खर्च की जाने वाली रकम इस सड़क पर चार पांच वर्ष से बिल्कुल खर्च नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सड़क की हालत बहुत ठीक नहीं है। यह मार्ग राष्ट्रीय मार्ग नहीं है।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(३) यह सही नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या यह सही है कि खराब हालत होने के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं कराई गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : मरम्मत तो हुई है; हालत अभी खराब है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या इस सड़क पर कोई इंजन पहुँचा है या कोई गिट्टी पड़ी है ? मरम्मत किस तरह की हुई है?

श्री हरिश्चन्द्र : इंजन तो जरूर पहुंचा होगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, न तो वहां इंजन पहुंचा है और न गिट्टी पड़ी है। यह कच्ची रोड है, टार रोड नहीं है। इसकी मरम्मत नहीं हुई है। आप बतायें कि इसकी मरम्मत क्यों नहीं होती ? इस पर तीन साल से खर्च नहीं हुआ है। आपने जो तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया है यह ठीक नहीं जंचता।

श्री हरिश्चन्द्र : इस पर १९६३-६४ में पांच मील का काम हुआ है। और १९६४-६५ में ९ मील का काम जारी है। और आगे भी इसके लिए पैसा दिया जायगा। यह जरूर है कि इस सड़क के लिए मैंने पी. डब्ल्यू. डी. वालों से कहा है कि वह ध्यान दें और जल्दी मरम्मत कराई जाय।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आपने कहा कि पांच-दस मील का काम हुआ है। मैं निश्चित रूप से कहती हूं कि तीन साल से इंजन नहीं पहुंचा है और न गिट्टी गाड़ी गई है। आपके आदेश के अनुसार कुछ लोगों ने पहुंच कर सड़क पर काम किया। सड़क की हालत ऐसी है कि जैसे किसी चीज को उधेड़ दिया जाय। जो गिट्टी को किनारे पर हटा कर काली मिट्टी डाली गई थी उस दिन मैं उधर से निकली थी।

Page No 3

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

लेकिन जब दस दिन के बाद मैं उधर से निकली तो उस सड़क की हालत पहले जैसी हो गई थी।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा है उसमें बहुत कुछ सत्य है। सड़क की हालत बहुत खराब है। इसके लिये पी. डब्ल्यू. डी. को कह दिया गया है कि उसकी जल्दी मरम्मत की जाय और जितनी धनराशि उपलब्ध हो उसको हिसाब से सड़क पर व्यय किया जाय और अधिक देने का सवाल होगा तो और देने का प्रयत्न करेंगे!

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया!

श्री दयाचन्द सोन (बारां) : आपने कहा कि विभाग को जानकारी नहीं है। आप उधर घूम कर आये हैं पंचायत के चुनाव में।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कभी नहीं कहा कि विभाग को जानकारी नहीं है। आपने सुना नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया!

राजकीय चर्मकला शिक्षण संस्था, जयपुर

२३३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय चर्मकला शिक्षण संस्था, जयपुर में कब से कार्य कर रही है?

(२) उस पर सालाना कुल कितने रुपया खर्च होता है?

(३) इसमें किस-किस वेतन के कितने प्रशिक्षक काम करते हैं और एक साल में कितने लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वेद): (१) यह संस्था दिनांक १-३-१९६१ से कार्य कर रही है।

(२) उस पर सालाना खर्च का ब्यौरा निम्न है :

सन्	रु०
१९६१-६२ में	५४९६१.२८
१९६२-६३ में	४७९२९.५४
१९६३-६४ में	४५१९२.०१

(३) प्रशिक्षक जो काम करते है उनकी संख्या व वेतन का वितरण निम्न प्रकार है :

नाम	संख्या	वेतन-शृंखला
१. प्रवक्ता	२	२२५-४८५
२. निरीक्षक	३	११५-३३५
३. शिक्षक	१	१०५-२००

दिनांक १६-५-६३ से १ प्रवक्ता का स्थान रिक्त है छात्रों का शिक्षण-काल २ साल का है एक साल का नहीं है। एक साल में २-९-६४ से पूर्व ४० लड़कों को

Page No 4

(श्री चन्दनमल वैद)

ट्रेनिंग देते थे, अब टेनिंग की ट्रेनिंग शुरू होने से ५३ लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त ६ लड़के चूरू और नागौर प्रोजेक्ट के सन् ६४ में ट्रेनिंग लेकर चले गये हैं। अगले साल से ८० लड़कों को टेनिंग दी जावेगी जिसमें ४० लड़के फुट-वियर एवं ४० लड़के ट्रेनिंग के होंगे।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु.) : छात्र-वृत्ति भी दी जाती है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : काम क्या सिखाया जाता है ?

श्री चन्दनमल वैद : टेनिंग का, फुट-वियर का।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने बताया ५४ हजार रुपये खर्च होते हैं और ५३ लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं। क्या इस ट्रेनिंग को दूसरी संस्था मान्यता नहीं देती है ? आपकी ट्रेनिंग लेकर दूसरी संस्थाओं और दूसरी स्टेट में लड़के नौकरी करना चाहते है तो दूसरी जगह इसको मान्यता नहीं दी जाती है।

श्री चन्दमल वैद : हमारी इच्छा यह है कि जो लड़के ट्रेन्ड होते हैं वे उन्हीं घरों के लड़के हों जो इस काम को करते हैं ताकि आगे जाकर ट्रेन्ड होकर अच्छे रूप में, सुचारु रूप में इसी काम को करना शुरू कर दें। दूसरी जगह नौकरी करने के लिए जायें तो अपनी स्टेट को पूरा फायदा नहीं होता। इसलिए अपने स्टेट के लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती कि कोई लड़का इस स्टेट में दो साल ट्रेनिंग लेकर जाय तो दूसरे स्टेट में नहीं जाय ?

श्री चन्दनमल वैद : हमारी स्टेट की ट्रेनिंग है उसका मकसद यह है कि यहां काम कर सकें और ज्यादा सुचारु रूप से और अच्छे रूप से काम कर सकें। यह मकसद पूरा हो रहा है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अब तक कितने लड़के ट्रेनिंग लेकर निकल गये हैं और वे क्या कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जो ट्रेनिंग ले कर गये वही काम कर रहे होंगे, पर निश्चित रूप से पूछें तो मैं नहीं कह सकता, यह प्रश्न होता तो मैं जानकारी करके बताता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : पहला बैच कब शुरू हुआ और कुल कितने विद्यार्थी भर्ती हुए थे ?

श्री चन्दनमल वैद : यह सूचना मेरे पास नहीं है। वैसे मैंने बताया कि ४० छात्रों का प्रोविजन था और अगले साल ८० छात्रों का प्रोविजन रखा गया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आज कितने विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : ५३ लड़कों को इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं क्या, कि शिक्षण प्राप्त करने पर लड़के व्यापार करते हैं, या यही काम करते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : नौकरी का तो सवाल नहीं, पर कितने लड़के ट्रेनिंग लेकर जाते हैं वे यही काम करते हैं या नहीं, यह जरूर देखने की बात है।

श्री जयनारायण सालोदिया ; शिक्षण प्राप्त किये हुए लड़कों को लोन देकर सब्सिडी देकर या अन्य प्रकार की सहायता देकर क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करती है कि वे लड़के यही काम कर सकें ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने निवेदन किया कि ४० रुपया ट्रेनिंग के वक्त में दिया जाता है, और ट्रेनिंग पास करने पर काम के औजार दिये जाते हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : कितने लड़के विभाग में कार्य कर रहे हैं और कितने लड़के बेकार हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : विभाग में काम करने का तो प्रश्न नहीं है, यह आंकड़ा मेरे पास नहीं है कि कितने लड़के ट्रेनिंग करने के बाद यही काम करते हैं, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, यह जरूर देखने की बात है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : क्या यह सही है कि ट्रेनिंग पाने वाले लड़के दिन में वहां रहते नहीं हैं और हाजरी वैसे ही हो जाती है ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप जानकारी कर लें।

प्रश्न संख्या २३४

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज !

राज्य के वित्तीय साधनों का समुचित उपयोग

२३५. **श्री मोहनराज (बाली)** : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि आयोजना आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्य के मुख्य मंत्री महोदय को पत्र द्वारा सुझाव दिया है कि राज्य के वित्तीय साधनों का समुचित उपयोग हो, इस हेतु नॉन डेवॅलपमेंट वर्क्स एवं नॉन प्लॉन आइटम्स पर कुल खर्चे का क्रमशः ५ परसेंट एवं ३ परसेंट ही व्यय किया जाय ?

(२) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मन्त्री, आयोजना (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) हां यह सही है कि योजना

Page No 6

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आयोग ने यह सलाह दी है कि चतुर्थ योजना के समय में योजना भिन्न व्यय में डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के खर्च में क्रमश: ५ प्रतिशत व ३ प्रतिशत वार्षिक से अधिक व्यय न किया जाय।

(२) राज्य सरकार ने जो पूर्वानुमान (फोरकास्ट) वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये हैं उसमें डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट मदों में कुल मिलाकर ५ प्रतिशत व ३ प्रतिशत वार्षिक से अधिक खर्च का अनुमान नहीं दिया गया सिवाय ब्याज के मद के जिसमें कि रकम का प्रावधान जो ऋण समय समय पर बाकी रहेगा, उससे सम्बन्धित होगा। और यदि सामान्य अवस्था रही और मंहगाई भत्ते आदि बार बार न बढ़ाने पड़े तो ये खर्च इन सीमाओं से बाहर न बढ़ने देने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री मोहनराज : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जितना मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया है उसको ध्यान में रखने के बाद यही परसेन्टेज खर्च का कायम रहता है या बढ़ जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वैसे फाइनेन्शियल ईयर्स २ हो जाते हैं, पर १ साल में तीन बार मंहगाई भत्ता बढ़ाया, इससे खर्चा बढ़ने की संभावना होती है, इसलिये इसका फर्क जरूर पड़ सकता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : दूसरी मद में कम खर्चा करके यह परसेन्टेज नहीं रखी जा सकती, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी चीज सामने नहीं आई।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या योजना कमीशन ने यह भी सूचना दी है कि प्रशासनिक खर्चा डेवलपमेंट वर्क्स में ज्यादा बढ़ गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न डेवलपमेंट वर्क्स एवं नॉन प्लान आइटम्स पर व्यय के सम्बन्ध में था, उसका जवाब दिया है, माननीय सदस्य ने। यह दूसरे बारे में पूछा है इसलिए मैं इस समय उत्तर नहीं दे सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नॉन डेवलपमेंट में नॉन प्लान का खर्चा कौन सा है? यह तो खर्चा प्रत्येक प्लान के साथ में बदलता रहता है। योजना कमीशन ने जब यह सुझाव दिया है कि वित्तीय साधनों के समुचित उपयोग के लिये नॉन डेवलपमेंट वर्क्स एवं नॉन प्लान आइटम्स पर कुल खर्च का क्रमश: ५ परसेंट एवं ३ परसेंट ही व्यय किया जाय तो ऐसे विभागों की सूची सरकार ने तैयार की हो कि यह नॉन डेवलपमेंट में आता है, प्रशासनिक खर्चा, ५ परसेंट इसमें आयगा या बाहर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैं इस समय नहीं कह सकता।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई): योजना कमीशन के सुझाव के अनुसार ५ परसेंट और ३ परसेंट का बेसिस इस बजट में रखा गया है या नहीं ?

Page No 7

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में सुझाव है ।

श्री अध्यक्ष : सारा बजट है उसमें नॉन प्लान एक्स्पेन्डीचर को सेपरेट केल्कुलेट किया है ?

(उप-मंत्री द्वारा मौन रहने पर)

वैसे कुल बजट चार्जेज कितने होते हैं ?

श्री मनिकचन्द सुराणा : राजस्थान यूनिवर्सिटी की यह मान्यता है कि ३८ परसेंट तो प्रशासनिक खर्चा है, दोनों मदों में यह शामिल कर नहीं सकते...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि यह शामिल है या नहीं, यह मैं अभी नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैंरवलाल 'काला-बादल' ।

आदिम जाति सेवक संघ द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावास

२३६. **श्री भैंरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु०) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण हेतु कौन कौन सी स्वयं सेवी संस्थाऐं कार्य कर रही हैं और इनको सन् ६० से सन् ६४ तक कितनी कितनी धन–राशि दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) आदिम जाति सेवक संघ द्वारा कितने छात्रावास कहां कहां चलाये जाते है ; प्रत्येक छात्रावास में कितने कितने छात्र हैं ?

(३) उपरोक्त छात्रावास में छात्रों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती रही हैं ?

(४) छात्रावासों में रजाइयों, गद्दे व चद्दर कितने समय में देने की व्यवस्था है ? किस किस छात्रावास में गद्दे, रजाई, व चद्दरें फट चुकी हैं ?

(५) क्या राजकीय छात्रावासों में २५ के स्थान पर ४० छात्रों तक की व्यवस्था सन् ६४ से की गई ? यदि हां, तो क्या अन्य छात्रावासों में भी छात्रों की संख्या बढ़ाई गई है ?

(६) प्रत्येक छात्र पर मासिक व्यय पहले की अपेक्षा इस मंहगाई को देखते हुए कितना बढ़ाया गया है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) राजस्थान में आदि-वासी एवं अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण हेतु जो जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं तथा उनके समाज कल्याण विभाग से वर्ष १९५९–६० से १९६३–६४ तक स्वीकृत की गई अनुदान की धनराशि की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ द्वारा २९ छात्रावास व दो आदिम स्कूल चलाये जाते हैं । वे छात्रावास कहां कहां पर चलाये जा रहे हैं तथा प्रत्येक

Page No 8

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

छात्रावास में स्वीकृति संस्था की सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) उपरोक्त छात्रावासों में छात्रों को आवास के लिये स्थान, निःशुल्क भोजन खेलकूद, समाचार-पत्र व साधारण औषधियां नियमानुसार दी जाती हैं। यदि अनुदान की रकम में से बचत रह जाती है तो छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री, वस्त्र आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध कर दी जाती हैं।

(४) छात्रावासों में रजाइयां, गद्दे व चद्दरों की व्यवस्था के लिए अनुदान देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। किन्तु प्रावधान में बचत होने की अवस्था में अनावर्त्तक अनुदान बिस्तर, बर्तन, फर्नीचर आदि क्रय करने के लिये राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति से दिया जाता है। प्रत्येक छात्रावास को अलग अलग वर्ष में स्वीकृत की गई अनुदान की रकम की सूची 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है। संस्था से प्राप्त सूचना के अनुसार करीब करीब सभी छात्रावासों में गद्दे, रजाई व चद्दरें फट चुकी हैं सिवाय उन छात्रावासों के जिनको अनुदान हाल ही दिया गया है।

(५) राजकीय छात्रावास प्लॉन व नॉन प्लान योजनाओं के अन्तर्गत चलाये जाते हैं। प्लान योजना के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ३३ छात्रावासों में छात्र संख्या सन् १९६४-६५ से २५ के स्थान पर ४० कर दी गई है। अन्य छात्रावासों में छात्रों की संख्या नहीं बढ़ाई है।

(६) अनुदान की रकम में वृद्धि करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : राजकीय छात्रावासों में संख्या बढ़ा दी, संस्थाओं के छात्रावास हैं उनमें छात्रों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई): यदि सेवा संस्थाएं अपने छात्रों की संख्या बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकती हैं, २० पर्सेन्ट, २५ पर्सेंट, १० पर्सेन्ट जो भी नियमानुसार निर्धारित सहायता होगी वह सरकार उस अनुपात से देती है। वह देने के लिए विचार किया जा सकता है। वे अगर मीट करने को तैयार हों तो सरकार विचार कर सकती है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': संस्थाओं को २५ रुपया देकर सुपरिन्टेण्डेण्ट की तनख्वाह, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा यह सब उन संस्थाओं के जिम्मे रखती है ...

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : इस पर पुनः विचार किया जा रहा है।

श्री जयनारायण खाजोदिया (निवाई): यह तो कई दफा यहां घोषणा की है कि प्राइवेट छात्रों को भी वही सुविधाएं देने वाले हैं जो कि सरकारी छात्रावासों के छात्रों को दी जाती है, पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन मु०) : प्रश्न (४) के उत्तर में बताया है कि चद्दरें, गद्दे, फट चुके हैं तो उनके लिए अनुदान देने का सरकार का विचार है क्या ?

श्री भीखाभाई : जिस प्रावधान से देते हैं, उसे भी सुनने की कोशिश की होती।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : संस्थाओं के छात्रावासों में छात्र सर्दियों में एक एक चद्दर में रहते हैं। राजकीय छात्रावासों में तो बूट, मौजे–सभी कुछ मिल रहे हैं और संस्थाओं के छात्रों के पास कोट नहीं, ओढ़ने को चादर नहीं; ऐसी बुरी हालत है कि सुपरिण्टेण्डेन्ट को छः छः महीनों तक पैसे नहीं मिलते हैं, कर्ज करके काम चलाता है, उसका बाजार में से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी संस्थाओं का ऑडिट नहीं करते हैं, तो फिर क्या फायदा है ? इनसे हमारे आदिवासियों के बच्चों की कोई प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनका ऑडिट भी किया जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या माननीय सदस्य के कहने का अर्थ यह लगाया जाय कि जो राजकीय छात्रावास हैं वे ठीक ढंग से चलते हैं और प्राइवेट संस्थाओं के उसी तरह नहीं चलते हैं ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : ५० रुपए खर्च करने पर भी खर्चा नहीं चलता, जब कहता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : जवाब दिया जाय।

श्री भीखाभाई : जवाब हो चुका।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : राजकीय अच्छा चलता है या प्राइवेट संस्था का अच्छा चलता है, यह तो देख कर सरकार बता दे।

श्री श्रवणलाल : १९५८ से १९६४ तक जो धनराशि स्वीकृत हुई है, उसमें किसी साल के लिए पैसा लैप्स हुआ है ?

श्री भीखाभाई : यह सवाल नहीं है। अनुदानों का प्रश्न इतना है कि जो स्वयं सेवी संस्थाएं अनुदान के लिए एप्लाई करती हैं उनको दिया जाता है। आपने जनरल प्रश्न पूछा है।

श्री श्रवणलाल : आपके पास तो लिस्ट है, आपको बताने में एतराज क्या है ? कोई ऐसा साल है जिसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : यह लिस्ट सीमित है जो संस्थाएं गैर-हरिजन या गैर-आदिवासी हैं उनका ब्यौरा मेरे पास नहीं है। १९६० से १९६४ तक का पूछा गया है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि १९६२–६३ साल के अन्दर आपने कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। हमने सूची यार

(श्री भीखाभाई)

बताया कि १३ संस्थाएं हैं जिनको कितना रुपया मिला, स्वीकृति कितनी थी और सहायता कितनी दी गई, उसी तरह से जैसे 'ब' में बताया गया कि कितना नॉन-रेकरिंग खर्चा देते हैं, फर्नीचर और बरतन खरीदने के लिए, मैं समझता हूं........

श्री श्रवणलाल : आपने १९६२ और १९६३ में कुछ दिया ? १९५८-५९ में १२,०००, १९६०-६१ में १३ हजार, १९६१-६२ में कुछ नहीं और १९६२—६३ में....

एक माननीय सदस्य : यह कौन सी लिस्ट है ?

श्री भीखाभाई : मैंने १३ संस्थाएं बताई हैं।

श्री श्रवणलाल : आप देख लीजिए १९६२-६३ में कुछ नहीं दिया है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : १३ संस्थाओं के नाम हैं— राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर महिला शिक्षा सदन, हटूंडी; अब हटूंडी शिक्षा सदन में कितने लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, किस-किस काम में खर्च होता है, फिर है राजस्थान सेवा संघ, बांसवाड़ा, अजमेर सेवा संघ, ये अलग अलग सेवा संस्थायें हैं।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को अनुभव नहीं है। हमने संस्थाएं देखी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उन संस्थाओं को जानता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि जो काम इन संस्थाओं में होता है वह अच्छा है। यह सही है कि माननीय सदस्यों ने जो दरों के बारे में कहा, वह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, उसमें जल्दी निर्णय लिया जायगा और उसके बाद में डिस्पैरिटी को मिटाने की कोशिश की जायगी।

श्री अल्दाराम (सुमेरपुर) : होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट छात्रावास के अन्दर उधार का सामान लेता है, उनके पास पैसा नहीं पहुंचता, तो फिर वह क्या करेगा ?

श्री भीखाभाई : हर साल खर्चे का स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसलिए सरकार के नियम हैं कि उनको सहायता नहीं दी जा सकती। यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि संस्था खर्चा कर डालती है, कुछ एप्रूव्ड आइटम्स हैं और कुछ अनएप्रूव्ड होते हैं। जो अनएप्रूव्ड होता है वह समाज कल्याण विभाग की तरफ से नहीं दिया जाता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : दरअसल में हमारे समाज का कल्याण तो इस विभाग द्वारा होता नहीं है। डाइरेक्टर बदल जाता है तो नया डाइरेक्टर कहता हैं, मेरे जमाने का काम नहीं; इस तरह से मंत्री बदल जाय तो नया मंत्री कहे कि मेरे जमाने का काम नहीं। यह तो कबूतरखाना है, इसमें हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, न मालूम किसका कल्याण हो रहा है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में सारा कल्याण हो रहा है, पूर्वी हिस्से में कोई संस्था नहीं है या तो पूर्वी हिस्से में आदिवासी नहीं रहते हैं, यह जवाब दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : जवाब आना चाहिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य ने कबूतरखाना कैसे कह दिया ?

श्री भीखाभाई : कबूतरखाना शब्द एक्सपंज होना चाहिए ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह विभाग हमको चुगाना चाहता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! अगर मंत्री महोदय से अनौपचारिक बातचीत कर लें तो मैं समझता हूं कि बड़ी सुविधा होगी ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आश्वासन दिलाया जाय कि यह रकम जल्दी भेज दी जायेगी ।

श्री श्रवणलाल : उदयपुर की संस्थाओं में २-२ हजार रुपए दिये गये हैं, बाकी संस्थाओं को एक हजार से ज्यादा नहीं दिया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक जवाब आना चाहिए । एक लड़का गवर्नमेंट छात्रावास में पढ़ता है, उसका ५० रु० खर्च होता है और उसी क्लास का लड़का प्राइवेट छात्रावास में पढ़ता है उसको २५ रु० देते हैं; आखिर कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : क्राइटेरिया यह कि जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वे अपना पैसा भी लगाएं, शत प्रतिशत सरकार पर निर्भर न रहें । गैर-सरकारी का मतलब यह है कि वे अपनी तरफ से भी पैसा जुटाएं ।

श्री श्रवणलाल : इस विभाग को कबूतरखाना कैसे समझा ?

श्री अध्यक्ष : यह विभाग के लिए नहीं कहा था ।

प्रश्न संख्या २३७

श्री नत्थीलाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

उदयपुर-अहमदाबाद और अजमेर-भीलवाड़ा मार्गों का राष्ट्रीयकरण

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर-अहमदाबाद मार्ग और अजमेर-भीलवाड़ा मार्ग का ६४-६५ में राष्ट्रीयकरण करने की योजना थी फिर भी अभी तक उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया ?

(२) इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की कार्यवाही कितने अर्से से चल रही है ?

(३) इतना अधिक समय किन कारणों से लगा और अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) उदयपुर-अहमदाबाद मार्ग का राष्ट्रीयकरण ६३-६४ में किया जाना था जिसकी विज्ञप्ति राज-पत्र में दिनांक ९-८-६३ को प्रकाशित कर दी गई । इस योजना के आपत्ति-पत्रों की सुनवाई लीगल रिमेम्ब्रेन्सर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के यहां चल रही है जिसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अजमेर-भीलवाड़ा मार्ग का राष्ट्रीयकरण ६२–६३ मे किया जाना था जो अभी तक नहीं हुआ है। इसकी विज्ञप्ति राज-पत्र में दिनांक १-११-६० को प्रकाशित हुई तथा २५-६-६२ को यह योजना स्वीकृत हुई। १५-८-६२ से गाड़ियां चलानी थी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्राइवेट गाड़ियां और राज की बसें साथ साथ चलती रहीं। २१-१२-६३ को उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ कि लीगल रिमेम्ब्रेन्सर आपत्ति पत्रों की फिर से जांच करें और इसमें जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करें।

इन कमियों को दूर करने के लिये रोडवेज द्वारा एक संशोधन पत्र प्रकाशित किया गया जो बाद सुनवाई लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने यह निर्णय दिया कि इस प्रकार का संशोधन करना कानून की नजर में एक नई प्रारूप योजना है अतः संशोधन करना कानून की नजर में एक नई प्रारूप योजना है; अतः संशोधन न निकालकर निगम द्वारा एक नई प्रारूप योजना प्रकाशित करनी चाहिये।

(२) उदयपुर अहमदाबाद मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने की कार्यवाही ९-८-६२ से चालू है तथा अजमेर भीलवाड़ा मार्ग की १.११.६० से।

(३) कारणों का स्पष्टीकरण प्रश्न (१) में कर दिया गया है। लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के निर्णय के तुरन्त बाद ही इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जावेगा।'

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर-अहमदाबाद मार्ग का केस ६२ से और अजमेर–भीलवाड़ा मार्ग का केस सन् ६० से चल रहा है। कानूनी कार्यवाही चलने में पांच पांच साल का समय लग जाय और यह तय न हो इसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक उदयपुर-अहमदाबाद मार्ग का प्रश्न है इसमें शीघ्र ही निर्णय हो जावेगा और जहां तक अजमेर–भीलवाड़ा मार्ग का प्रश्न है डिपार्टमेंट की ओर से कार्यवाही करने में बाधा नहीं थी, लेकिन जब हाई-कोर्ट से स्टे हो गया और लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने स्वीकृति दी थी राष्ट्रीयकरण की, उसको हाईकोर्ट ने अस्वीकृत करके रिमान्ड कर दिया उसकी कमियां दूर करने के लिए, लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने इस पर यह फैसला दे दिया कि इस प्रकार का अब फैसला नहीं दिया जा सकता इसलिए डिपार्टमेंट को चाहिए कि राष्ट्रीयकरण की योजना का नया प्रारूप बना कर भेजे। इसलिए इस सम्बन्ध मे डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी जानबूझ कर देरी नहीं की गई है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें समय जरूरत से ज्यादा लगा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मामला लीगल रिमेम्ब्रेन्सर और हाईकोर्ट के पास था दोनों जगह हमारे हाथ इस प्रकार काम

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं कर सकते कि हम उसको जल्दी निकलवा लें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : माननीय मंत्रीजी को इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिये। यह एक राष्ट्रीय नीति का सवाल है और इससे राजस्थान को आमदनी होने का भी सवाल है। पांच साल से एक रूट का मामला चल रहा है और सरकार को इससे काफी नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप यह कह दीजिये; स्वीकार करें या न करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मन्त्री महोदय से मैं एक पोइन्ट का जवाब चाहता हूँ। सन् ६० से भीलवाड़ा अजमेर मार्ग का नेशनलाइजेशन हुआ और क्या दिक्कतें आयी वह मंत्री महोदय ने बतायीं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पर सरकार चाहती है और राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार पैसा लगा चुकी है और सरकार को उससे आमदनी की उम्मीद है और उम्मीद के बाद हाईकोर्ट से ऐसा होता है और लीगल रिमेम्ब्रेन्सर राय देते हैं। छोटी २ बातों के ऊपर ऑर्डिनेन्सेज़ आप यहां निकालते हैं क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं सोचती कि इस सम्बन्ध में कोई ऑर्डिनेन्स निकाल कर इसको ठीक कर दे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मोटर व्हिकल्स एक्ट के अन्तर्गत उसका परिवर्तन करना कानूनी होता तो ऑर्डिनेन्स निकालने की दलील बैठती लेकिन जब यहां पर कानून का परिवर्तन नहीं करना है लीगल रिमेम्ब्रेन्सर एक जुडिशियल पर्सन होता है वह ऐतराज सुनकर स्कीम को मंजूर करता है या ना मंजूर करता है। उसने एक दफा उसको मंजूर कर दी। हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दी उसको वापिस रिमान्ड किया उसके ऊपर जो कमियां आयीं उसके लिए संशोधन पत्र प्रस्तुत किया। उस जुडिशियरी बोडी ने यह फैसला कर दिया; इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत नहीं किया। उसका नया प्रारूप बना कर भेजा जाय। यह नया प्रारूप तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसमें सरकार की ओर से देर नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

पॉवर हाउस की नगरपालिका कुचामन पर बकाया धनराशि की वसूली

२३९. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कुचामन पॉवर हाउस की नगर पालिका कुचामन में कितनी रकम कितने वर्षों से बकाया चली आ रही है ?

(२) यह रकम आज तक क्यों नहीं वसूल की गई और सरकार इसे अब कब तक वसूल करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : (१) नौ वर्षों से विभिन्न रकमें बकाया में चली आ रही हैं।

(२) इसमें रेट का झगड़ा होने के कारण वसूल नहीं हो सकती है।

Page No 14

श्री हनुमानसिंह चौधरी : काहे का झगड़ा बताया ?

श्री चन्दनमल वैद : प्राइवेट पावर हाउस था उस समय ६ आने के हिसाब से चार्ज करता था। जब कुचामन पॉवर हाउस को विद्युत् बोर्ड के आधीन ले लिया तो ६ आने ही करते रहे। उन्होंने कहा कि दूसरी म्युनिसिपैलिटी में तीन आने के हिसाब से करते है यहां अधिक क्यों। एक यही म्युनिसिपैलिटीज़ में नहीं है बल्कि सारी म्युनिसिपैलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पैसा बाकी है उसको वसूल करने की कोशिश की जा रही है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : कुल डिस्प्यूटेड अमाउन्ट कितना है और कुल अनडिस्प्यूटेड अमाउन्ट कितना है ?

श्री चन्दनमल वैद : रु० २६,५००) ३४, मार्च, ६४ तक थे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जो अन-डिस्प्यूटेड रकम है जो मंजूर की है जिस किसी भी रेट के हिसाब से उसको तो वसूल करने की कोई कार्यवाही हो रही है या नहीं वसूल की जा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : म्युनिसिपल बोर्ड्स का यह कहना है कि रेट के डिस्प्यूट के कारण नहीं दे रहे हैं आर्थिक स्थिति के कारण से भी नहीं दे रहे हैं। सारी म्युनिसिपैलिटीज का झगड़ा अलग तरीके से सचिवालय के स्तर पर सोल्व करना पड़ेगा और इसके लिए कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल।

मिडल स्कूल धमरा में अध्यापकों की कमी

२४०. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनू के धमोरा मिडल स्कूल में चालू सत्र में महीनों तक एक ही अध्यापक काम चलाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) इस समय वहां कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं ? क्या यह स्टाफ छात्र संख्या व स्कूल के स्टेटस को देखते हुए पर्याप्त है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी नहीं।

(२) इस समय १० अध्यापक कार्य कर रहे हैं तथा छात्र संख्या व स्कूल के स्तर को देखते हुए अध्यापक पर्याप्त हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : कुल कितना स्टाफ सेंक्शन्ड है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ को गुड़, चावल व चीनी के आयात व वितरण के लाइसेन्स

२४१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) [श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) द्वारा पूछा गया] : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 15

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ ने गुड़, चावल व चीनी के आयात व वितरण के रूप में व्यापार करने का कब कब लाइसेन्स प्राप्त किया है ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ ने गुड़ के आयात व वितरण के रूप में व्यापार करने का लाइसेन्स नं० १७१ एम. जी. । ६२ माह नम्बर, १९६३ में चावल का नवम्बर २२ दिनांक ८-४-६४ को व चीनी का नम्बर १३६।१९६३ । दिनांक २१-५-६३ को प्राप्त किये हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या गुड़ का लाइसेन्स और चीनी का लाइसेन्स प्राप्त करने के पूर्व भी इस क्रय विक्रय संघ ने गुड़ और चीनी का व्यापार किया था ?

श्री भीमसिंह : इसकी जानकारी मेरे पास में नहीं है। जितनी जानकारी इस प्रश्न में चाही गई थी उतनी ही जानकारी मैंने दे दी । अधिक चाहिये तो पृथक से प्रश्न पूछिये । जानकारी दे दी जावेगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो ऑर्डिनेरी सप्लीमेन्टरी है कि इसने लाइसेन्स कब लिया । क्रय विक्रय संघ की आज सारे राजस्थान में चर्चा है मैं समझता हूं कि ऑर्डिनरी इन्टेलीजेन्स से यह प्रश्न किया जा सकता है, यह सप्लीमेन्टरी हो सकता है कि इसने व्यापार कब शुरू किया, इसका यदि जवाब न दिया जा सके तो इसको दुबारा रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : और भी इसमें जोड़ कर आप प्रश्न पूछ लें ताकि जवाब पूर्ण आ जायगा ।

प्रश्न संख्या २४२

श्री मूलचन्द चौधरी ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

गंगानगर जिले के विभिन्न मार्गों का राष्ट्रीयकरण

२४३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया ।] : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के लगभग ८ मार्गों के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकरण की योजना अन्तिम रूप में स्वीकृत होकर प्रकाशनार्थ राजकीय मुद्रणालय को भेज दी गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि इन योजनाओं का प्रकाशन रोक दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि एक बार अन्तिम रूप से स्वीकृत राष्ट्रीयकरण की किसी योजना को रोकने की शक्ति कानून के अधीन सरकार को प्राप्त नहीं है ?

Page No 16

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि ८ मार्गों के राष्ट्रीयकरण के रूल्स गवर्नमेंट प्रेस को पब्लिश करने के लिए भेज दिए थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा आपने पूछा था कि अन्तिम रूप से स्वीकृत होकर प्रकाशनार्थ भेजे तो उसका जवाब दिया गया कि जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अन्तिम रूप से नहीं किन्तु जो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है उसको पब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट प्रेस के पास भेजे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसकी कार्यवाही की गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने रूट्स नेशनलाइज करने के लिए रूल्स आरम्भ में गवर्नमेन्ट प्रेस को भेजे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ८ मार्गों के।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर यह सत्य है कि गवर्नमेन्ट प्रेस ने उन रूल्स को गजट में नहीं पब्लिश किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शायद कुछ को किया और कुछ को नहीं किया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने रूट्स का पब्लिश किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पांच का किया गया, बाकी का नहीं किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पब्लिश नहीं करने के क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि निगम की स्थापना हो रही है इसलिए यह सारा कार्य निगम द्वारा सम्पन्न होगा। निगम की अपनी योजना बनी हुई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : गवर्नमेन्ट प्रेस के पास लिस्ट कब भेजी थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख तो मेरे पास नहीं है, जून, १९६४ के महीने में भेजी गई थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पांच का पब्लिकेशन कब हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख याद नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने समय के बाद ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगस्त ६४ में।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय कब लिया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : निगम की स्थापना १-१०-६४ को हो गई उससे पहले निर्णय ले लिया गया था। इसके बनाने के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बारे में शुरू से कार्यवाही चल रही थी दिमाग बना लिया था । इस वजह से यह मुनासिब समझा कि इन सारे मामलों में निकट भविष्य में निगम कार्य करेगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने गवर्नमेन्ट प्रेस को कब लिखा कि ये रूट्स हम कोर्पोरेशन को दे रहे हैं इसलिए तीन रूट्स को पब्लिश मत करना ? अध्यक्ष महोदय, इसकी चर्चा बराबर सदन में चलती रही है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) । मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इन रूट्स का कब तक राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २४४

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय ।

पॉवर हाउस, करौली

२४५. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि करौली पॉवर हाउस घाटे में चलता है ?

(२) यदि हां, तो वर्ष १९६० से १९६४ तक प्रतिवर्ष कितना कितना घाटा हुआ ?

(३) घाटे का क्या कारण है और इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल बैद) : १. जी हां ।

२. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

३. इसका प्लान्ट बहुत पुराना है । इसकी हालत सुधारने के लिये इसे ३३ के० वी० लाइन से जोड़ने की प्रस्तावना की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह कितना पुराना है ?

श्री चन्दनमल बैद : काफी पुराना है माननीय सदस्य भी जानते हैं । किस साल खरीदा गया यह जानकारी रखना जरूरी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल :

स्थायी व अस्थायी इन्सपेक्टर्स (ऑडिट) की सीनियोरिटी लिस्ट

२४६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि दिनांक ७-२-५९ को एक प्रोविजनल लिस्ट बाबत सीनियोरिटी टेम्प्रेरी व परमानेन्ट इन्स्पेक्टर्स ऑडिट द्वितीय व तृतीय ग्रेड प्रकाशित की गई थी ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(२) क्या यह सत्य है कि दिनांक २०-६-५९ को उपरोक्त प्रकाशित प्रोवीजनल सीनियोरिटी लिस्ट को फाइनल रूप से प्रकाशित किया गया था ?

(३) क्या यह सत्य है कि फाइनल लिस्ट में द्वितीय व तृतीय ग्रेड की एक ही सम्मिलित सूची प्रकाशित की गई जब कि प्रोवीजनल सूची में दोनों ग्रेड की अलग अलग सीनियोरिटी अंकित है ?

(४) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कार्यवाही नियम विरुद्ध है ?

(५) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सीनियोरिटी के विरुद्ध कर्मचारियों ने आपत्तियां प्रस्तुत की है ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

उप मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) इसको नियम विरुद्ध बतलाई जा रही है।

(५) उपरोक्त सीनियोरिटी के विरुद्ध कर्मचारियों ने आपत्ति की है जो विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये आपत्तियां किस समय पेश कीं ?

श्री भीमसिंह : ये आपत्तियां सन् ६२ में कर दी थीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ६२ से लेकर अब तक सरकार किस निर्णय पर पहुंच पायी है मैं इस बारे में आश्वासन चाहता हूं, सरकार अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगी जब कि आप यह मानकर चलते हैं कि प्रोवीजनल लिस्ट और फाइनल लिस्ट में ग्रेड्स अलग अलग रखने चाहिये। और इसी के अनुसार सीनियोरिटी मुकर्रर करनी थी आपके सामने प्राइमोफेसी के रूप में विद्यमान है। ६२ से जब पड़े हुए हैं तो आप उस पर निर्णय कब तक ले लेंगे ?

श्री भीमसिंह : बहुत जल्दी ही निर्णय कर देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सीनियोरिटी का प्रश्न है सन् ६२ से चल रहा है दो साल हो चुके हैं, कर्मचारियों की महंगाई बढ़ी यह अलग सवाल है सीनियोरिटी का सवाल है इस पर तो आप जल्दी ही निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लक्ष्मणगढ़ गोविन्दगढ़ तथा कठूमर कस्बों को बिजली

२४७. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) [श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) के द्वारा पूछा गया] : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नगर भरतपुर, खेड़ली, अलवर, राजगढ़, में बिजली आ चुकी है ?

Page No 19

(श्री नत्थीसिंह)

(२) क्या यह भी सही है कि लक्ष्मणगढ़ एवं गोविन्दगढ़ तथा कठूमर उपरोक्त कस्बों के समीप एवं उनसे घिरे हुए हैं लेकिन वहां अभी तक बिजली नहीं दी गई है ? यदि हां तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ गोविन्दगढ़ एवं कठूमर में सबसे अधिक कुए हैं ? क्या सरकार की यह नीति है कि जहां अधिक कुए हों, वहां सबसे पहले बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध किया जावे ? यदि हां तो उपरोक्त कस्बों में बिजली कब तक पहुंच जायेगी और कहां से दी जायेगी ?

उप मंत्री, (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां । और राजगढ़ पावर हाउस को अभी विद्युत् बोर्ड ने अपने अधीन ले लिया है ।

(२) यहां पर बिजली देने की निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है ।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर सु.): बिजली देने की योजना क्यों नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : हमारी लाइन से दूर पड़ती है और धनाभाव है ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : जब रूरल सेक्टर के अन्दर बिजली जाती है तो इसको दी जानी चाहिये ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : राजगढ़ को जोड़ने का प्रावधान इस साल है । राजगढ़ भरतपुर जुड़ जायगा कम्प्लीट हो जायगा तब कठूमर के लिये कहा जा सकता है । अभी लाइन नहीं है इसलिये जोड़ने का सवाल नहीं उठता ।

श्री गोकुलचन्द : जब बिजली की लाइन रोड पर है वहां से १५ गज की दूरी पर है तो इसको जोड़ने में क्या दिक्कत है ।

श्री हरिश्चन्द्र : रोड पर हो सकती है, लाइन, पर नहीं हो सकती ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : लाइन से कितनी दूर है ?

श्री हरिश्चन्द्र : लाइन है ही नहीं । भरतपुर राजगढ़ नहीं जुड़ता ३३ के. बी. से जोड़ने का इरादा है उसके बाद बिजली आ सकती है ।

श्री गोकुलचन्द : खेतड़ीमंडी १२ मील, सात मील नगर है कठूमर करीब १५ मील पड़ता है वहां बिजली नहीं मिल सकती । आपके डिपार्टमेंट में मैंने देखा था कि आप ६४ में कठूमर को बिजली देने वाले थे ।

श्री हरिश्चन्द्र : काटने का सवाल नहीं । मैंने जैसा पहले कहा जब तक अलवर से भरतपुर को जोड़ा नहीं जाता तब तक आगे ओर बढ़ने का सवाल नहीं । पहला काम अलवर भरतपुर वाया राजगढ़ है । यह जुड़ जाने के बाद बिजली और दे पायेंगे ।

श्री गोकुलचन्द : आप अधिकारियों से पूछ लें, पिछले सेशन में यह कहा गया

(श्री गोकुलचन्द)

था, कठूमर में विजली ला रहे हैं । मुझे बताया है आपके अधिकारियों ने ।

श्री हरिश्चन्द्र : आपके पास कोई लिखित रूप में है क्या ?

श्री गोकुलचन्द : आपने अपने चैम्बर में मुझे और अधिकारियों को बुलाकर उनके सामने कहा और बताया था ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल, प्रतापगढ़ की नई इमारत की मरम्मत

२४८. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मल्टी पर्पज हाई स्कूल, प्रतापगढ़ की नई इमारत में वर्षा के दिनों में पानी चूता है तथा कुछ कमरों की छत की पट्टियां टूट गई हैं जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में कठिनाई होती है और उनको खतरा भी बना रहता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा सम्बन्धित असिस्टेन्ट इन्जीनियर का ध्यान भी इस ओर दिलाया गया है ?

(३) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं ।

(२) पहले बुलाया गया था जिसके अनुसार आवश्यक मरम्मत ६१ में की जा चुकी थी ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अब्दुलजब्बार : ऑफिसर द्वारा बुलाया गया या विभाग द्वारा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा ।

श्री अब्दुल जब्बार : इसकी बार बार शिकायत है बिल्डिंग में पानी चूता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मरम्मत करवा दी गई है अब बिल्कुल पानी नहीं पड़ता ।

श्री अब्दुलजब्बार : वर्षा के पहले मरम्मत करवाई या अब करवाई गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब मरम्मत कर दी गई, पानी गिरेगा नहीं । ६०-६१ की वर्षा में शिकायत हुई उसके बाद कर दी गई ।

ग्राम सलावटिया से काँरया खदान तक सड़क निर्माण कार्य

२४९. श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

क्या यह सही है कि तहसील मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध पत्थरों की खानों के विकास के लिए सलाबटिया नामी ग्राम से कांस्या खदान तक एक सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस सड़क का कार्य पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्या काम बाकी है और वह कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। २ मील का कार्य शेष है। आशा है क्रोस ड्रेनेज कार्य को छोड़ कर इस योजना के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

बस्सी डींगरी सड़क में आई भूमि का मुआवजा

२५०. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में बस्सी से डिन्गरी तक सड़क निर्माण कार्य हुआ है ? यदि हां, तो यह सड़क कितनी लम्बी और किस वर्ष में बनी है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क में खेती की जमीनें कटी हैं ? यदि हां, तो कितनी जमीन चाही और कितनी बाराअनी कटी है तथा उन्हें अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है ? क्या सरकार अब शीघ्र मुआवजा देने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके मैटीरियल कलेक्ट करने के लिए और समय चाहिए।

समाज कल्याण विभाग की सलाहकार समिति की बैठकें

२५१. श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु.): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(१) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा विधानसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है और इस समिति की एक वर्ष में दो बार बैठक होना जरूरी है ?

(२) यदि हां, तो क्या वर्ष १९६४ में इस समिति की दो बार बैठकें हुईं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सांवलियाराम : आपने 'जी हां' कहा है। इसकी कोई समिति नहीं बनी है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने 'जी नहीं' कहा है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) ; मीटिंग बुलाई जावे, इसका निर्णय लिया

(श्री अब्दुलजब्बार)

जावे, इस बात के लिये निर्णय हुआ है और विभाग से प्रसारित भी हुआ है। फिर भी आप जवाब में जी नहीं कैसे कह रही हैं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : पहले प्रश्न का उत्तर तो 'जी हां' है।

ट्राइब कौंसिल शिड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड है। एक कॉन्स्टीट्यूटेड बॉडी है जो शिड्यूल फिफ्थ के अन्दर में बना है। दूसरा एडवाइजरी बोर्ड हैं जैसा निवेदन किया। अब उनकी मीटिंगें नहीं हुई। इसके कारण हैं प्रशासनिक दृष्टि से कठिनाइयां। अब जल्दी मीटिंग बुलाई जावेगी।

श्री सांवलियाराम : इन मन्त्रीजी का कहना सही मानें, या इनका ?

श्री भीखाभाई : 'जी नहीं' कहा; इसका मतलब यह है। आपने प्रश्न ही गलत पूछा है। प्रश्न पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : 'जी नहीं' का तो "जी नहीं" ही मतलब होता है।

श्री भीखाभाई : प्रश्न यह पूछा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा विधान सभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। हम कहते है यह समिति नहीं है, बोर्ड है और विधान सभा के सदस्यों का नहीं इसमें और भी बहुत अन्य सदस्य हैं। यह हाउस की कमेटी भी नहीं है। सरकार ने बोर्ड बनाया है। इसमें दूसरे लोग भी हैं। इसलिये निवेदन किया कि जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : इन नियमों में प्रावधान है क्या कि उनकी कब मीटिंग बुलाई जावेगी ?

श्री भीखाभाई : 'जी हां'; साल में दो बार आम तौर पर बुलानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : फिर पहले आप मीटिंग तो बुला लें।

श्री सांवलियाराम : अध्यक्ष महोदय, समिति का गठन जब हुआ तब से एक बार मीटिंग हुई और साल में एक बार भी बाद में नहीं बुलाई गई। इसका मुख्य कारण तो यह है कि सोशियल वेलफेयर के इसमें बहुत घोटाले हैं। बुलाने से उनकी मीटिंग में पोल खुलती है।

बांदीकुई-मंडावर मण्डी सड़क

२५२. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील बसवा में बांदीकुई से मंडावर मण्डी तक पक्की सड़क बनाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति होकर कब तक कार्य आरम्भ हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अर्थाभाव के कारण यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं हो सका ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : सड़कों के लिए अधिक प्रावधान रखा गया है। इस रोड के लिए भी योजना है ।

श्री हरिश्चन्द्र : रोड प्लान का सीलिंग कम हो गया है, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है । १३ करोड़ था पहले, उसका पहले ११ करोड़ हुआ और अब जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार ६ करोड़ के आसपास होगा । तो कोई बढ़ोत्तरी का सवाल नहीं है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने पंचवर्षीय योजनाओं लिए सुझाव मांगे, हमने दिये । सड़कों के लिये सुझाव रक्खे तो अब कैसे आप उसके लिये इन्कार कर रहे हैं । वह इस डिस्ट्रिक्ट की एकमात्र सड़क है । जयपुर जिले में एक ही सड़क के लिये कहा गया था और उसी के लिए अर्थाभाव की बात कह कर टाल रहे हैं । क्या अन्य डिस्ट्रिक्ट के लिये भी ऐसा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ओवर ऑल सीलिंग मैंने जैसा निवेदन किया कम हो गया है । बात भी हमने की थी, मीटिंग जैसा आप कहते हैं बुलाई थी, पर उस समय आशा थी पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध होगी । पर अब नई सड़कों के लिये हमारे पास प्रावधान ही नहीं है जिसके जरिये इसको ले सकें ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरा प्रश्न यह भी है कि अगर आप अर्थाभाव के कारण कमी कर रहे हैं तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट-वाइज आपने कोई अनुपात भी निर्धारित किया होगा । पर एक डिस्ट्रिक्ट में तो अर्थाभाव का प्रश्न नहीं है; तीन सौ, चार सौ मील सड़क बनावेंगे वहां तो, पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मील के लिये भी अर्थाभाव बतावेंगे, इसका क्या कारण ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह प्लान में स्वीकृत ही नहीं था ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द जाटव ।

सड़क की मरम्मत नगर कठूमर

२५३. **श्री गोकुलचन्द** (कठूमर सू.): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि नगर कठूमर के बीच में सड़क का कुछ हिस्सा कट गया है और पानी भर जाने के कारण रिक्शे तांगे व टैक्सी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि कई वर्षों से सम्बन्धित अधिकारी इसे दुरुस्त कराने में असमर्थ हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र : (१) कठूमर नगर रोड का कोई भाग कटा नहीं है । केवल एक सड़क के मील १२।४ पर एक रपट है जिसमें वर्षा के दिनों में पानी आता है तथा अधिक पानी आने पर छोटे वाहनों को कठिनाई होती है ।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) रपट तो ठीक है।

श्री गोकुलचन्द : इसे ठीक क्यों नहीं कराया जाता ? पांच-चार सालों से यह कठिनाई आ रही है। सारी दुश्मनी क्या आपकी इसी जगह से है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा रपट ठीक है। अब आपका क्या मतलब है कहने का क्या इस रपट को नई बनावें, या इसे ही ठीक करावें।

श्री गोकुलचन्द : मेरी शिकायत है और मैं इसे साबित भी कर दूंगा कि इन्जीनियर वगैरह से मिलते हैं तब तो कहते हैं कि टेन्डर मांगे हैं अब कर देंगे फिर क्यों नहीं ठीक कराते उसको, क्यों नहीं होता यह काम ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने पूछा उसका जवाब तो दे दें। जो रपट इस समय है उसकी मरम्मत कराने का प्रश्न है या नई रपट बनाने का प्रश्न है ?

श्री गोकुलचन्द : यह तो मैं कह सकता हूं, आप अपने इन्जीनियरों से मालूम करें कि क्या कराना चाहिये। हम तो यह चाहते हैं कि यातायात चालू रहे, उसे कोई कठिनाई न हो। अब आप नई बनावें, चाहे उसे ही ठीक करावें।

प्रश्न संख्या २५४

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

राजपूत शैली के चित्र

२५५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंड़ावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि राजस्थान की राजपूत शैली के चित्र देश में तथा देश के बाहर अत्यन्त लोकप्रिय हैं तथा मंहगे मोल बिकते हैं ?

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि आज कल उन प्राचीन चित्रों की कॉपी बनाकर कलाकार लोग बड़े अच्छे भाव पर टूरिस्ट लोगों को बेचते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि चित्रों की कॉपियों का विदेशों में अच्छा मार्केट बनाया जा सकता है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिससे प्राचीन चित्रों की कॉपियां बनाकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके और कलाकारों को रोजी भी मिले और कला को प्रोत्साहन मिले ?

(५) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर सामान्य प्रशासन के मन्त्री अपनी टर्न पर देंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उत्तर तो आ चुका है ऑफिस से आपके पास, अध्यक्ष महोदय।

श्री चन्दनमल वैद : मेरे पास कोई प्रश्न नहीं आया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री के पास है।

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री राम प्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। वैसे चित्रों की कॉपियों का विशेष महत्व नहीं है।

(४) जी नहीं।

(५) इसका उत्तर खण्ड (३) में दिया जा चुका है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : 'जी नहीं' का मतलब किससे है ? क्या सरकार की जानकारी में नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्राचीन चित्रों की कॉपियां बनाकर अधिक मूल्य पर एग्ज़ोबिटेन्ट प्राइसेज़ पर बेचते हैं, इसके बारे में कहा कि 'जी नहीं'!

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अच्छी कीमत पर नहीं बिकती हैं, यह मतलब है आपका ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अच्छी कीमत पर और कॉपियां बनाकर भी बेचा जा रहा है, यह जानकारी विभाग को नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, खुद जानते हैं कि किस कीमत पर बिकती हैं ? आज अगर आप जाकर देखें दुकानों को तो मालूम होगा कि काफी कॉपियां अच्छे भावों पर बिक रही हैं। सैकड़ों रुपयों की बिक्री आती है। आप कहते हैं, 'जी नहीं'।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टूरिस्ट शॉप्स पर सूची टंगी रहती है। हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई कि कॉपियों की एग्ज़ोबिटेन्ट प्राइस ली जाती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं शिकायत कहां कर रही हूं ? अच्छे भाव पर बिकती हैं, इसलिये इसको प्रोत्साहन देना चाहिये। There in no question of complaint ; बल्कि कहना यह है कि जो इनकी काफी डिमाण्ड मार्केट में है और अच्छी कीमतों पर बिक रही है तो फोरिन (विदेशी) मार्केट, भी इसके लिए अच्छा हो सकता है और सरकार को भी आमदनी हो सकती है; इसके लिये निवेदन किया है कि हम फोरिन मार्केट में इस बात की जानकारी करें टूरिस्ट विभाग के द्वारा या अन्य एजेन्सियों के द्वारा कि आया इन कॉपियों का भी अच्छा मार्केट हमें मिल सकता है या नहीं। इसकी जानकारी करने के बाद इसकी बिक्री को बढ़ाने की सरकार कोशिश करे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जानकारी करने बाद ही तय कर सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसका मार्केट तो है और असल जो चित्र हैं उनका विदेशों में जाना मना है। कॉपी ही बाहर जा सकती है कानून के अन्तर्गत।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ओरीजिनल्स की मांग रहती है, पर कॉपियां भी अच्छी कीमत पर बाहर बिक सकेंगी कि नहीं, इसकी जानकारी हमें फोरिन मार्केट में करनी पड़ेगी टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट के द्वारा या अन्य फोरिन एजेन्सी के द्वारा। तो यह जानकारी करने के बाद निर्णय करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जानकारी तो आपको है, कॉपियां भी आज काफी बिक रही हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको जानकारी है, पर हमारे विभाग को नहीं है कि इस तरह का मार्केट है या नहीं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : तो इसके बारे में जांच की जावे और इसे प्रोत्साहन देने के लिये कदम उठाये जावेंगे, इसका आश्वासन भी दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आश्वासन का प्रश्न पैदा नहीं होता। अभी तो जानकारी करना बाकी है। जानकारी के क्या परिणाम निकलते हैं – तब सोचा जा सकता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, आप अपनी ओर से यह कहें व्यक्तिगत तौर से कि क्या मामला है ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी करने का तो आश्वासन दे चुके हैं।

(विराम)

श्री हरलाल मीणा।

(१२ मध्याह्न)

प्रतापगढ़-मन्दसौर सड़क की मरम्मत

२५६. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से मन्दसौर सड़क की हालत बहुत खराब है और इस कारण यातायात में बहुत असुविधा हो रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह सड़क प्रतापगढ़ को मध्यप्रदेश से मिलाती है और इसलिये काफी महत्वपूर्ण है ?

(३) यदि हां, तो सरकार इस सड़क को सुधारने के लिये कब तक आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) राजस्थान सीमा में २ मील को छोड़कर सड़क की हालत ठीक है।

(२) जी हां।

(३) सड़क का रिपेयर कार्य चल रहा है।

श्री हरलाल : यह कार्य कब से चल रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस साल में लिया है। यह माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं वहां पर मध्यप्रदेश की सड़क भी आती है और मध्यप्रदेश का जो टुकड़ा है उसकी हालत ठीक नहीं है अभी। माननीय सदस्य शायद उस टुकड़े के लिए कह रहे हैं कि जो मन्दसौर से चलते ही सड़क है।

श्री हरलाल : उसकी हालत बिल्कुल खराब है और जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं :

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : आपका कहना यह है कि यह कार्य जो चल रहा है वह कब पूर्ण होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो मध्यप्रदेश की सड़क है वह खराब है। मेरी सड़क तो ठीक है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपकी सड़क पर भी कार्य चल रहा है क्या ? यदि हां तो वह कब खत्म होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस साल से।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

बिजली के लिए दरख्वास्तें

२५७. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

घरों में बिजली देने की कितनी दर्ख्वास्तें हनुमानगढ़ व गंगानगर के ए० ई० एन० के दफ्तर में विचाराधीन है तथा उन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है जब कि विभाग के पास आवश्यक धन-राशि भी उपलब्ध है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : गंगानगर में १७६ प्रार्थनापत्र व १०१ हनुमानगढ़ में हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल

हिन्डौन से बयाना तथा फैली का पुरा से कोटरी सड़कों की मरम्मत

२५८. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि हिन्डौन से बयाना तथा फैली का पुरा से कोटरी तक की सड़कें बहुत खराब हालत में हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें डामर रोड कब तक बनाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : बयाना से हिन्डौन की ओर ११ मील सड़क डामर की है बाकी १० मील की हालत साधारण है। फैली का पुरा से कोटरी रोड की हालत अच्छी नहीं है। डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री श्रवणलाल : यह 'साधारण' से मतलब क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : 'साधारण' का मतलब यह है कि अच्छी नहीं है; न बहुत ही खराब है, मामूली है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सत्य है कि जैसा आपने बताया कि ११ मील का डामर हो चुका है; इसके अलावा भी जो १० मील बाकी है उस पर डामर हो चुका है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस साल भी काम हो हो रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार प्रयत्नशील है कि सड़कें जो अच्छी नहीं हैं वे अच्छी हो जायें ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोशिश की जाती है कि अच्छी हो जाये।

श्री श्रवणलाल : यह ३ साल से क्वेश्चन चल रहा है और बारबार यही जवाब देते हैं। उस सड़क की हालत इतनी खराब है कि वहां से निकलना दुर्लभ हो जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र : इन्होंने दो सड़कों के बारे में पूछा है तो कौन सी की हालत खराब है ?

श्री श्रवणलाल : जो फैजी का पुरा से कोटरी जा रही है।

श्री हरिश्चन्द्र : एक तो है हिन्डौन बयाना वाली। यह इम्पोर्टेन्ट सड़क है। इसके बारे में मैं कह रहा हूं कि उसकी रिपेयर का काम ३ मील हुआ है। २१ मील है, उसमें से ११ मील तक टार हो चुका है और बाकी जो सवाई माधोपुर का एरिया है उसमें ३ मील और हो चुका है। इस साल और करवायेंगे। दूसरी सड़क है वह एप्रोच रोड है इसके ऊपर डामर नहीं हो सकता।

श्री श्रवणलाल : आपने कहा कि डामर नहीं हो सकता, अध्यक्ष महोदय, वहां पर लाखों रुपयों की सालाना सरकार की इन्कम होती है और माइन्स विभाग के लिए वह रोड बनी हुई है। पत्थर आते हैं वह ट्रकों के द्वारा आते हैं। गाड़ियां और ट्रकों के लिए जो रोड है वह इतनी खराब हो गई है कि वहां से निकलना कठिन हो गया है और सरकार खुद महसूस करती है कि वह सड़क अच्छी नहीं है फिर भी डामर नहीं करवा रही है, क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास पैसे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव

२३४ **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चुनाव विभाग ने राजस्थान में नगरपरिषदों और नगरपालिकाओं के चुनाव फरवरी, १९६५ में कराने के लिए निर्णय ले लिया था और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था भी करली थी ?

(२) क्या यह सही है कि इन चुनावों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को स्थगित कर दिया गया ? यदि हां, तो स्थगित करने का क्या कारण था ?

(३) अब सरकार का इन नगरपालिकाओं अथवा नगरपरिषदों का चुनाव कब कराने का इरादा है ।

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जिला परिषद् चुनाव और उसके तुरन्त पश्चात् विधान सभा सत्र आरम्भ हो जाने के कारण नगरपालिका चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं ।

(३) नगरपालिकाओं के चुनाव मई सन् १९६५ में करवाये जावेंगे ।

नदबई—डीग सडक

२३७. श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नदबई से डीग को मिलाने वाली सड़क को बनाने का इरादा सरकार रखती है ? यदि हां, तो वह सड़क कब तक बन जावेगी ?

उत्तर

नदबई से डीग को सीधा जोड़ने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है । अतः सड़क बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील दौसा की सड़कों का सर्वे

२४२. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील दौसा में दौसा से महसरा खुर्द व महसरा कलां से पुरोहिता का बास व काली पाडी सन्डौली से कुन्डल तक सड़क बनाने की सर्वे कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है । अतः सर्वे करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

रोडवेज़ के कर्मचारियों के टर्मिनेशन व डिसमिसल के मामले

२४४. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९६३–६४ व १९६४–६५ में राजस्थान रोडवेज़ के कर्मचारियों की सेवाओं को टर्मिनेट करने एवं डिसमिस करने के कितने मामले हुए हैं ?

(२) इन मामलों में से कितने मामलों में लेबर ऑफिसर द्वारा फेलियर रिपोर्ट दी जा चुकी है और उसके अनुसार कार्यवाही हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों में से केवल श्री उदयवीरसिंह राणा को ही बहाल किया गया है ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(४) क्या यह सही है कि श्री उदयवीर सिंह राणा इन्टक द्वारा संचालित राजस्थान रोडवेज़ कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी हैं तथा सन् १९६४ में असिस्टेंट जनरल मैनेजर रोडवेज़ द्वारा डिसमिस किये गये थे ?

(५) क्या यह सही है कि उनकी बहाली मंत्री महोदय के हुक्म से हुई ?

(६) यदि हां, तो इन मामलों में भेदभाव क्यों बरता गया है ?

उत्तर

(१) सन् १९६३–६४ व १९६४–६५ में राजस्थान स्टेट रोडवेज़ के ६८ कर्मचारी टर्मीनेट व १३ कर्मचारी डिसमिस हुए। सूची संलग्न है।

(२) करीब करीब सभी मामले लेबर कन्सीलेशन ऑफिसर के सामने जा चुके हैं और लगभग सभी में असफलता की रिपोर्ट दी जा चुकी है।

(३) आर्बीट्रेटर के अवार्ड के अनुसार श्री उदयवीरसिंह राणा को बहाल किया गया तथा अन्य १० को पुनः नियुक्त किया गया।

(४) जी नहीं। श्री राणा संघ के सेक्रेट्री नहीं हैं। वे सन् १९६४ में डिसमिस किये गये थे।

(५) जी हां। दोनों पार्टियों ने मंत्री महोदय को आर्बीट्रेटर मुकर्रर किया और उन्हीं के अवार्ड के अनुसार कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया गया।

(६) किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

माध्यमिक स्कूल, गोगुन्दा

२५४. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गोगुन्दा ग्राम (उदयपुर डिविजन) में जो लड़कियों की माध्यमिक स्कूल चल रही है उसे सरकार प्राइमरी स्कूल में परिवर्तित करने का सोच रही है ? यदि हां, तो क्यों और क्या इसका प्रभाव लड़कियों की शिक्षा पर नहीं पड़ेगा ?

उत्तर

(१) गोगुन्दा प्राथमिक कन्याशाला को कन्या माध्यमिक शाला में परिणित करते समय यह शर्त थी कि वहां की जनता शाला के लिए भवन उपलब्ध करेगी, परन्तु अभी तक ग्रामवासियों द्वारा भवन की व्यवस्था नहीं की गई है। अतः इस शाला को अवन्नत करने का प्रश्न सामने आया। अब नव निर्वाचित प्रधान पंचायत समिति, गोगुन्दा द्वारा सूचना भेजी गई है कि भवन की व्यवस्था शीघ्र ही की जा रही है अतः इस शाला को अवन्नत करने का मामला वर्तमान में स्थगित रखा है।

(१२·०७ म० प०)

आय-व्ययक १९६५-६६ पर अग्रत्तर सामान्य वादविवाद

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष माननीय वित्त मन्त्री द्वारा राज्य की माली हालत का ब्यौरा सदन के समक्ष आता है और सदन राज्य की वित्तीय स्थिति का सिंहावलोकन हर वर्ष करता है। इस साल के बजट की आमदनी का अनुमान इस प्रकार है। राजस्व से आय ७९ करोड़ ९८ लाख कूंती गई है। अन्य करों द्वारा ५५ लाख की आय का अनुमान रखा गया है। माल गुजारी की अतिरिक्त आय १८ लाख कूंत कर कुल आय ८१ करोड़ ४१ लाख की आंकी गई है। इसके मुकाबले में अनुमानित खर्च सन् १९६५-६६ में ८६ करोड़ १४ लाख का प्रोवीजन रखा गया है। यानी आमदनी के मुकाबले में खर्च ४ करोड़ ७३ लाख अधिक बताया गया है। लेकिन माननीय वित्त मन्त्रीजी के द्वारा इस घाटे की पूर्ति पूरा करने के लिए ४ करोड़ ३४ लाख की बचत के द्वारा यह पूर्ति पूंजी खाते से की जाने का वह अपने भाषण में जिक्र कर चुके हैं फिर भी, अध्यक्ष महोदय, ३९ लाख का घाटा रहना बताया जाता है। आगामी वर्ष की योजनाओं के खर्च में ५० लाख की कमी को पूरा कर दिया जायेगा और यदि यह हो सका तो इस तरह इस ब्यौरे के अनुसार अन्त में ११ लाख की बचत होना माननीय वित्त मन्त्रीजी के द्वारा बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आय-व्यय के आंकड़ों के सम्बन्ध में आलोचना मैं बाद में करूंगा किन्तु यह आलोचना करूं उससे पूर्व मैं मन्त्रीजी को संतुलित बजट सदन के समक्ष पेश करने के उपलक्ष में बधाई दूंगा। उनके द्वारा यह प्रथम ही बार है कि सन्तुलित बजट सदन के समक्ष पेश किया गया है। घाटे के बजट बनाना हमारे सिद्धान्तों के विरुद्ध है। साधारणतया घाटे के बजट बनाना देश के लिए एक घातक प्रक्रिया है। यह ठीक है, यदि आपत्ति-काल हो, यदि देश में संकटकालीन स्थिति हो, यदि युद्ध के बादल मंडराये हुए हों तो असाधारण स्थिति में यदि घाटे का बजट किया जाये तो ऐसी योजना कोई बुरी नहीं कही जा सकती, किन्तु साधारणतया घाटे के बजट हमारे मत के अनुसार देश के लिए हितकर नहीं होते। इस वर्ष का, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र का बजट तथा अन्य राज्यों के बजट भी घाटे के बजट नहीं है, डेफिसिट बजट नहीं है। केन्द्र और अन्य राज्यों की सरकारों की आदत जो घाटे के बजट पेश करने की है यदि यह आदत यदि समाप्त हुई तो मेरे ख्याल में यह एक अच्छा लक्षण है। चाहे हमारे कहने पर यह किया हो, चाहे अन्य कारणों के द्वारा किया हो। एक सिद्धान्त, आॅर्थोडाक्स बजेटरी के सिद्धान्त के अनुसार अगर इस सिद्धान्त को अपनाया गया है तो मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव एक ठीक प्रस्ताव है।

अब मैं पिछले कुछ वर्षों के आय-व्यय के आंकड़ों के सम्बन्ध में दृष्टिपात करना

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहूंगा । तुलनात्मक अध्ययन मेरे दृष्टिकोण में, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार है ।

सन् १९५१-५२ में राज्य की आय १६,०६,००,००० रु० थी । आगामी वर्ष में आय ६५-६६ में आय इससे पांच गुनी अधिक मानी गई है और आंकी गई है । चालू वर्ष की आय ४५,४८,००,००० रु० मानी गई हैं और ६५–६६ के वर्ष की आय इससे ५,९५,००,०००) रु० अधिक आंकी गई है।

अध्यक्ष महोदय, सन् ६२-६३ में जब कि वित्त मन्त्री ने अपने इस सदन के समक्ष सबसे पहले बजट पेश किया तब राजस्थान की आय ४८,५६०,००० रु० बताई गई है । इस तरह चार वर्ष के अन्दर आय के अन्दर २२,८५,००,००० रु० की बढ़ोत्तरी हुई है । इस बढोत्तरी का यदि औसत निकाला जाय तो ५,४८,००,००० रु० प्रति वर्ष की औसतन राजस्थान राज्य की आमदनी बढ़ी है। इस तरह से यदि राज्य की आय सन् १९५१-५२ में १०० थी तो सन् १९६५-६६ में वह आंकड़े ४९६ हो जायेंगे ।

इसी तरह सन् १९५१-५२ के खर्च १७,२३,००,०००) रु० था और १९६५-६६ में वह खर्च ८६,१४,००,०००) रु० का आंका गया है । इस तरह से १५ वर्ष में इखराजात में ६८,९०,००,००० रु० की बढ़ोत्तरी हुई है। सन् ६२-६३ में खर्च ५६,६९,००,०००) रु० था जो आगामी वर्ष के तखमीने से २९,३४,००,०००)रु० कम था । इस तरह से पिछले चार वर्ष में खर्च का औसत ७,३५,००,००० रु० की बढ़ोत्तरी का है ।

जो राज्य अपनी आय ५,५८,००,००० रु० प्रति वर्ष बढ़ाये और खर्च औसतन, ७,३५,००,००० रु० प्रति वर्ष बढ़ाकर अपने बजट की रचना करे वह किस संज्ञा में आ सकता हैं. यह स्वयं सरकार ही अनुमान कर सकती है । यदि उसे मैं दिवालिया योजना कहता हूं तो माननीय मुख्य मन्त्री और योजना मन्त्री नाराज होते हैं लेकिन यह तथ्य हीन बात नहीं है । यह सरकारी आंकड़े अनुसार एक तथ्य के साथ मैं यह आंकड़े पेश करता हूं और राज्य की स्थिति जो है अगर दिवालिया है या नहीं ; यह मेरे ख्याल सर्वसाधारण को विदित है ।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री आय को अन्डर एस्टीमेट करते हैं, वास्तविक रूप से कम बताते हैं और व्यय वास्तविक रूप से ज्यादा कूतते हैं । मैं मानता हूं कि एक हद तक यह करना बुरी चीज नहीं है, किन्तु यह जानबूझ कर टैक्स लगाने के औचित्य को जस्टिफाइ करने की कोशिश से अगर यह किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह एतिहात की संज्ञा में नहीं आता, यह एक शोषण–नीति है जिसके सिवाय विरोध करने के और कोई विचार अपनी ओर से प्रकट नहीं करता हूं । गत चार वर्षो का यही अनुभव है । इसी तरह से आय और व्यय के अन्डर एस्टीमेट और ओवर एस्टीमेट के आंकड़े हमारे सामने बराबर पेश होते आये हैं । उदाहरणार्थ,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अध्यक्ष महोदय, गये वर्ष की आमदनी २३,३२,००,०००) रु० आंकी गई थी, तखमीना उसका बताया गया था और अब जो एक्चुअल, जो वास्तविक आय होने जा रही है वह वित्त मंत्री के शब्दों में अनुमानित ७५,४९,००,०००) रु० हो गई, अर्थात् २ करोड़ से भी अधिक इसमें तफावत है। यदि इसी प्रकार के आंकड़े हमारे समक्ष आये हैं। दो करोड़ वास्तविक आय-व्यय के अन्दर अगर तफावत है तो पौने दो करोड़ के टैक्स लगान की जो योजना वित्त-मंत्री के द्वारा बताई गई है वह मेरे ख्याल से अनावश्यक है। यदि सारा अनावश्यक नहीं तो अधिकांश रूपेण व्यय मैं समझता हूं अनावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कूत सर्व प्रथम २३६ करोड़ थी। यह योजना २३६ करोड़ की बनाई गई। इसमें १५६ का हिस्सा केन्द्र का था और राज्य का ८० करोड़। राज्य का हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई गई थी वह निम्न प्रकार थी :—

३२ करोड़ नये टैक्सों के द्वारा प्राप्त करना।

२२ करोड़ प्रोजेक्ट से, सिंचाई क्षेत्र से बैटरमेंट लेवी और सरकारी जमीनों की बिक्री के द्वारा, और

३० करोड़ स्टेट लोन्स, राज्य ऋण द्वारा अल्प-बचत योजनाओं के द्वारा।

यों करके ८४ करोड़ अतिरिक्त आय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अर्थात् आवश्यकता से ४ करोड़ अधिक। अब राज्य का हिस्सा जहां पर ८० करोड़ था इस योजना के अनुसार ८४ करोड़ रुपया प्राप्त करने के प्रावधान थे। अब चार वर्ष इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त हो चुके हैं, और एक वर्ष और बाकी है। इसलिए स्थिति का सिंहावलोकन हम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, वह स्थिति इस प्रकार है।

सन् १९६४-६५ के अन्त तक २९,७३,-००,०००) रु० नये टैक्सों के द्वारा सरकार ने प्राप्त किये।

९,७०,००,०००) रु० बैटरमेंट लेवी और सैल ऑफ लैण्ड्स, जमीनों की बिक्री के द्वारा प्राप्त किये।

२६,६७,००,०००) रु० राज्य-ऋण, स्माल सेविंग्स के द्वारा प्राप्त किये। कुल मिलाकर ६६,१४,००,०००) रु० हम प्राप्त कर चुके हैं। आगामी वर्ष में १,७३,००,०००) रु० नये टैक्सों के द्वारा प्राप्त करने का प्रावधान है, अर्थात् ३१,४६,००,०००) रु० हम इस वर्ष के आखिर तक नये टैक्सों के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं। ३० करोड़ सैल ऑफ लैण्ड और स्माल सेविंग के द्वारा जो प्राप्त करने की योजना थी उसमें से २९, ६७,००,०००) रु० हम चार वर्ष में ही प्राप्त कर चुके हैं। इसका यह अर्थ है कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक ३० करोड़ के प्रावधान से २-३-४ करोड़ अधिक रुपया प्राप्त कर पायेंगे।

बैटरमेन्ट लेवी में और जमीन की बिक्री

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के संबंध में यदि आप २२ करोड़ नहीं प्राप्त करके ६ करोड़ ७० लाख ही प्राप्त कर चुके हैं तो यह लक्ष्य यदि आपका पूरा नहीं हुआ है तो इसमें रेड टेपिज़्म, ढिलाई, भ्रष्टाचार इत्यादि कारणों से संभव है कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इस रवैये से यह स्पष्ट है कि निर्धारित लक्ष्य से १३ करोड़ आय हम कम वसूल कर पाये हैं और योजना में आपने ३३ करोड़ कम किया है। २३६ करोड़ से २०३ कोर आॅफ दि प्लान आप बताते हैं। आपका निर्धारित लक्ष्य था जहां तक मुझे मालूम हुआ है, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र से हिस्सा आपको मिला है, नये टैक्सेज के द्वारा लक्ष्य पूरा हुआ है। स्माल सेविंग्ज़, राज्य ऋण पर आय आप पूरी प्राप्त कर चुके हैं लेकिन योजना में ३३ करोड़ की कटौती आपने की है, मैं समझता हूं यह राजस्थान की जनता के प्रति आपने विश्वासघात किया है और राजस्थान की प्रगति में एक रोड़ा अटकाया है।

अध्यक्ष महोदय, उत्पादन के संबंध में, खास कर खाद्यान्न के उत्पादन के संबंध में कृषि उत्पादन के संबंध में दिये हुए आंकड़ों के अनुसार मैं निवेदन करूंगा। उत्पादन सन् १९६२-६३ में २३.११ प्रतिशत कम हुआ। सन् १९५९ से ६३ तक चार वर्षों के ग्रूपिंग में आपका सूचनांक आपका इन्डेक्स फिगर १३४.२ था वह नेक्स्ट ४ वर्षों के ग्रुपिंग अर्थात् सन् १९६० और ६४ के दर्मियान में १२९.२ हो गया। चालू वर्ष में ज्वार जैसे मुख्य खाद्यान्न में आपके आंकड़ों के अनुसार ३४.६ प्रतिशत कमी हुई। बाजरा में १४.८ परसेन्ट कमी हुई। मक्का में २०.७ प्रतिशत कमी हुई और जौ में १५.८ प्रतिशत कमी हुई। गेहूं में २०.१ प्रतिशत कमी हुई और दालों में २९.८ प्रतिशत कमी हुई। यह आपका उत्पादन का ब्यौरा है। मैं समझता हूं यह ब्यौरा संतोषजनक किसी हालत में नहीं कहा जा सकता।

कॉमर्शियल क्रोप्स, व्यापारिक फसलों में कमी इस प्रकार है :

तिलहन के उत्पादन में ४८.९ प्रतिशत कमी हुई। गन्ना, आलू, अदरक में भी २० से ३२ प्रतिशत कमी हुई :—

अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्पादन में यों की यों ही कमी ही कमी नजर आ रही है। शक्कर में सन् ६३ में १३.७ हजार मैट्रिक टन और सन् ६४ में यह घटकर ६.६ हजार मैट्रिक टन रह गई। नमक में सन् ६३ में ४,६०० मैट्रिक टन से घट कर १९६४ में ३८०० मैट्रिक टन रह गया। इसी तरह सूती कपड़ा, बालबेयरिंग, बिजली के मीटर, ग्लास गुड्स (शीशा या कांच) के उत्पादन में भी कोई तरक्की नहीं की गई।

अन्य उद्योगों में जैसे बिजली के उत्पादन में खास कर हमने संतोषजनक प्रगति नहीं की। यदि बिजली के उत्पादन में कमी नहीं होती तो पंजाब से दो डीजल सैट्स क्यों मंगाते और ताबड़ तोड़ रतनगढ़ से बिजली की लाइन क्यों लाते और चंबल योजना में जो बिजली की कमी है वह क्यों अनुभव करते ? मेरे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ख्याल से यही स्थिति आपकी योजना के संबंध में है । इसको यदि आप संतोषजनक समझें तो आपको अधिकार है । लेकिन निष्पक्ष रूप से, यदि इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो यह आपका सुर्ख रूह का ब्योरा किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय, कीमतों या मूल्यों पर भी प्रभाव योजना का पड़ा है । आये साल मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है । इन्डेक्स फिगर १९५२-५३ में मूल्यों की सूची में १०० था, वह अब १६४ हो चुका है । यह इन्डेक्स फिगर केवल एक ही साल में २२ तक बढ़ चुका है । सन् १९६३ के भावों की तुलना यदि की जाय तो बढ़ोत्तरी १६.६ प्रतिशत हुई है । खाद्यान्न के थोक भावों में २५.१ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है । खाद्यान्न के खुदरा भावों में १६.४ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है । उत्पादन में कमी का कारण सरकार की नीति जो किसान के प्रति है करों में वृद्धि, तरह तरह की जमीन के ऊपर सेस, बैटरमेंट लेवी, सरचार्ज, इन्कम टैक्स इत्यादि लगाकर तथाकथित भूमिसुधार कानून बनाकर, सीलिंग का कानून कितने ही वर्षों पहले बनाकर कार्यान्वित नहीं करना इत्यादि बातों से किसान के मन में असंतोष उत्पन्न हो रहा है । जमीन के एलॉटमेंट के संबंध में भी जो आपकी पक्षपातपूर्ण नीति है तथा १७ वां संशोधन कोऑपरेटिव्ज में लाकर बोगस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना, ग्राम दान, राजकीय फार्म जो घाटे पर चल रहे हैं, सूरतगढ़ इत्यादि इन कारणों से किसान के मन में असंतोष उत्पन्न हो रहा है इससे भी मेरे ख्याल से उत्पादन में वृद्धि न होकर कमी हुई है ।

कीमत कन्ट्रोल के संबंध में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में चर्चा की है । फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर आपने गत वर्ष अप्रेल माह में जारी किया उसको मई माह में बिना कोई कारण बताये आपने निलंबित कर दिया । उस वक्त उप-चुनाव भीलवाड़ा में हो रहा था, संभवतः व्यापारी वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के लिये आपने यह किया है, लेकिन आपकी एकदम जो व्यवस्था थी उसके अन्दर इतना घोर परिवर्तन लाकर और जो फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर था उसको निलंबित कर देना मेरे ख्याल से कोई न कोई गुप्त कारण, कोई न कोई गुप्त रहस्य हुए बिना नहीं हो सकता । बाद में चनों पर आपने प्रतिबन्ध लगाया वह हनुमानगढ़ के उप-चुनाव में हनुमानगढ़ में जो रुकावट थी उसमे भी ढील दे दी । यह कदम मेरे ख्याल से सिद्धान्त-हीनता और प्रभावशून्य कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । सरकार की ऐसी नीति जो है उसका मैं विरोध करता हूं । सरकार की नीति स्थिर होनी चाहिये और यदि कोई कारणवश नीति में परिवर्तन, परिवर्धन लाया जाय तो कारण बता कर ऐसा करना चाहिये । एकदम आपने खाद्यान्न जैसे महत्वपूर्ण व्यवस्था के वितरण के संबंध में जो कानून पास किया था उसको निलंबित किया, वह मेरे ख्याल से कोई नीति पर निर्भर प्रतीत नहीं होता ।

सरकार ने अनाज की जितनी दूकानें खोली है । मेरे ख्याल में यह अनाज की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दूकानें खोलने की जो आपकी व्यवस्था है यह महा असंतोष-जनक है । मैं मानता हूं कि यह खाद्यान्न की राष्ट्रीय नीति से सम्बन्धित है । अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाय तो एक एक मील, सवा सवा मील लम्बी कतारें, क्यूज, इन दूकानों के ऊपर लगी हुई होती हैं । एक एक आदमी को एक किलो या दो किलो अन्न प्राप्त करने के लिए चार चार घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है । गर्भवती स्त्री और बूढ़े आदमी इन क्यूज़ के अन्दर खड़े हुए बेहोश तक हो जाते हैं । यह आपकी फूड नीति का मेरे ख्याल में द्योतक है ।

निर्यात के सम्बन्ध में दिन ब दिन अगर देखा जाय तो खाद्यान्न के निर्यात की मिकदार बढ़ रही है, घट नहीं रही है । मैं यह कह सकता हूँ निर्विवादित रूप से कि मध्यम श्रेणी या गरीब आदमियों को इन पिछले सतरह वर्ष आजादी के में क्या मिला, भुखमरी, जलालत और भ्रष्टाचार! मैं खाद्यान्न की स्थिति के सम्बन्ध में कांग्रेस की एक वरिष्ट नेत्री ने जो लोकसभा के सदस्यों के समक्ष भाषण देते हुए कहा है और जो कांग्रेस की प्रमुख पत्र के अन्दर एक लीडिंग आर्टिकल की शक्ल में आया है उसको सदन के समक्ष पेश किये बगैर नहीं रह सकता ।

७ मार्च, १९६५ के हिन्दुस्तान टाइम्स के लीडिंग आर्टिकल में लिखा है:—

"Mrs. Vijaylakshmi Pandit had a few home truths for members of the Congress Parliamentary Party when she spoke to them on Thursday on her recent visit to the U. S. A. Much of what she is reported to have said about the unattractive picture of this country abroad as a tireless seeker of gifts and loans has been said also by others. But it needed saying again and by a prominent member of the ruling party. We seem to be settling down in to an attitude of regarding foreign aid as something morally our due in our roles as a teacher if righteousness among nations and as a bulwark of the free world on the Asian continent. Even if our performance in either capacity had been more convincing than it has been increasing competition might have compelled us to look for worthwhile alternatives. But it now looks as if this choice will be forced on us by a change in the mood of those who have been the traditional givers of aid. Senator Fulbright was expressing a view which is becoming increasingly popular among his countrymen when he told Congress on Thursday that it should be more Selective in picking out countries and projects to be aided. Many influential Americans have been asking for instance why a predominantly agricultural country such as India should be relying so heavily on imports of food-grains. How far this is going to influence the coming congressional debate

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

on the aid programmes, it is too early to say."

इसके बाद फिर :

"It is estimated that an increase in agricultural production at least 2 percent greater than the increase in population is needed to maintain reasonable consumption levels. Our effort in the Third Plan has been to hit this target, but we are nowhere in sight of it even after this year's plentiful harvest. Some experts have calculated that unless the rate of increase in production is stepped up to three times its current levels the gap between production and demand may in a few years time build up to 28 million tons or so. It will just not be possible to fill this gap with imports, whatever the shipping and other resources that may be available. That prospect alone should compel us to work earnestly for self sufficiency in food."

अध्यक्ष महोदय, देश की खाद्यान्न-स्थिति और अर्थ-व्यवस्था दिन-ब-दिन गम्भीर होती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि अन्न भी आखिरकार उगेगा तो हमारे इस देश में ही उगेगा और हम उगा सकते हैं। अगर हम चाहें तो बराबर हमको सफलता प्राप्त हो सकती है। "where there is a will, there is a way."

किन्तु यदि हमारी योजनायें ऐसी हवाई योजनायें बनें जिनके द्वारा यह कहा जाय कि अब समुद्र के ऊपर अन्न उपजायेंगे, तो मेरे ख्याल से अन्न इस तरह नहीं उपजेगा। अन्न तो स्थिरता के द्वारा उपजेगा, वाजिब योजनाओं के द्वारा उपजेगा। आपकी योजनाओं के अन्दर जो कुछ प्रायोरिटीज हैं उनके सम्बन्ध में आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। योजना मंत्री जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान में मेरे लिए कहा था कि स्वतंत्र पार्टी के नेता बार बार यह कहते हैं कि हमारी योजनायें महत्वाकांक्षी हैं। तो विरोधी पक्ष वालों के पास सिवाय आलोचना करने के और कुछ क्या है।

हम तो यही कहेंगे और बराबर कहेंगे जब तक कि सरकार के बहरे कानों के ऊपर हमारे कहने का असर नहीं होगा तब तक हम हमारे इस पुनीत कर्त्तव्य को पूरा करते रहेंगे। यह मत-मतान्तरों का प्रश्न है। हम समझते हैं कि यह योजना है, इस योजना के अन्दर हमारी बहुत सारी आपत्तियां निहित हैं। और यह योजना, मैं फिर भी कहता हूं कि महत्वाकांक्षिणी है और यह बराबर कहता रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के द्वारा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। यदि वे चाहते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें वास्तविक रूप से मजबूत हों तो अब समस्त राजस्थान में पंचायत चुनाव हो चुके हैं। मेरी पार्टी के द्वारा कई बातें इन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चुनावों के सम्बन्ध में जो भी दृष्टिगोचर हैं, उनके सम्बन्ध में मैं सरकार के समक्ष एक सुझाव के रूप में आलोचना के रूप में नहीं,बल्कि सुझाव के रूप में निवेदन करूंगा। यदि सरकार उन पर विचार करे तो वह इस सरकार का अधिकार है और सरकार अपने हृदय के अन्दर संतोष करके इस योजना को ज्यों का त्यों रखना चाहे तो सरकार को इस हद तक भी अधिकार है। मैं समझता हूं कि वोटर्स को ट्रक्स में बिठा कर ले जाने की व्यवस्था है, यह सर्वथा घृणित व्यवस्था है और हम इसका सिद्धान्ततः विरोध करते हैं। कानून के द्वारा भी ट्रकों के अन्दर वोटर्स को बिठाने की कोई भी राजस्थान में इजाजत हो ऐसा मुझे मालूम नहीं.......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : फिर भी करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फिर भी कांग्रेस ने ट्रक काम में लिये। और स्वतंत्र पार्टी ने जब एक-दो जगह ट्रक्स काम में लिये तो....

श्री गिरधारीलाल : सब जगह लिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जब एक दो जगह काम में लिये आप सुनिये तो सही तो सरकार ने उनको पकड़ लिया। किन्तु कांग्रेस ने जब काम में लिये तो कानून विरोधी पक्ष के लिए तो था, कांग्रेस के लिए कोई कानून नहीं था। खैर, चाहे कुछ भी हो पर जैसे आम चुनावों में वोटर्स को कोई साधन काम में लेने का अधिकार नहीं है; उसी तरह से मेरे ख्याल में पंचायतों के चुनावों में भी प्रावधान होते हुए भी जो इसकी अवहेलना की गई है, उसका मैं विरोध करता हूं। लोगों के लिए महीनों तक तीन तीन सौ, चार चार सौ आदमियों के जो खाने की व्यवस्था की है यह भी मेरे ख्याल से एक समाजवादी, कल्याणकारी राज्य की शान, सिद्धान्त और पद्धति के विपरीत है। आप मृत्यु-भोज नहीं होने देते है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसको किस तरह से रोकें, आपका क्या सुझाव है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आपको निवेदन करता हूं, आप सुनिये। यदि हम मृत्यु-भोज के लिए मुमानियत करते हैं, प्रीति भोज के लिए मुमानियत करते है तो आप लोगों को इकट्ठा करके पांच पांच सौ आदमियों को खिलाने की महीनों व्यवस्था करते हैं तो क्या आप उसको नहीं रोक सकते, यह मेरी समझ के बाहर है। यदि यही व्यवस्था करना चाहते हैं तो यह एन्टी-सोशियल कदम है और इसको हम ठीक नहीं समझते।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विरोधी दल के नेता से जानना चाहूंगा कि यह सुझाव दे रहे हैं, यह जनरल रिव्यू है ? जो इलेक्शन में खराबियां हैं, "जनरल" के बारे में फरमा रहे हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : "जनरल" आम तौर से हुआ, सब जगह हुआ, इन जनरल होल टोपिक को जनरली डील विथ कर रहा हूं।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, जो पंचायत समितियों में मतदान की व्यवस्था है वह मैं समझता हूं दो जगह कम से कम मतदान केन्द्र होने चाहिये। पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस मील से वोटर्स को लाना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है और सिवाय शासनारूढ़ दल के सभी पार्टियां इसको पूरा नहीं कर सकतीं।। इसलिए प्रत्येक पंचायत समितियों के पंचायत हैड क्वार्टर के बजाय दो जगह मतदान केन्द्र होने चाहिये ताकि मतदाताओं को अधिक से अधिक १५ मील से ज्यादा सफर नहीं करना पड़े।

मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो बहस हुई उसमें भी मैंने अपने भाषण में इस सम्बन्ध में कहा था कि पंचायत समितियों की असमानता के सम्बन्ध में भी सरकार को गहन विचार करना चाहिये। कई पंचायत समितियां १५ पंचायतों की हैं, कई पंचायत समितियां ४५ पंचायतों की हैं। अगर पंचायत समितियों का कोई न कोई समानता के दृष्टिकोण से गठन करें और अधिक से अधिक ३५—३६ और कम से कम ३० पंचायतों की एक पंचायत समिति रखें तो उचित होगा।

प्रोग्राम के सम्बन्ध में, कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जिला स्तर पर यह कार्यक्रम तय नहीं होना चाहिये। इलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा यह कार्यक्रम तैयार होना चाहिये। क्योंकि चुनाव दलगत रूप से जातिवाद के सिद्धान्त को लेकर लड़े गये हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट को चाहिये कि हर एक पार्टी को बुला कर यह प्रोग्राम बनाये और कांग्रेस को भी एक राजनैतिक पार्टी के नाते नम्र होकर इलेक्शन डिपार्टमेंट के सामने जा कर इसमें सहयोग देना चाहिये।

यह चुनाव अत्यधिक लम्बे हो जाने के कारण कांग्रेस के कार्यकर्त्ता जिनको कि तनख्वाह मिलती है, वे ही कार्य कर सकते हैं, पर दूसरे लोग धंधा छोड़ कर इन चुनावों को नहीं लड़ सकते। मुख्य मंत्री महोदय ने भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस के दौरान में संकेत करते हुए कहा था कि उनकी विचार धारा के अनुसार ये चुनाव लम्बे हैं। मैं आशा करता हूं कि तीन महीनों की बजाय, तीन सप्ताह या एक महीने में संपादित कराने की व्यवस्था करेंगे तो अधिक उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के सिद्धान्तों के अनुसार हम यह समझते हैं कि आवश्यकता से अत्यधिक टैक्स लगाना अनुचित है, इसे हम अच्छा ख्याल नहीं करते। हम इन्फ्लेशन का भी शुरू से कटु विरोध करते आये हैं। लोकसभा में और अन्य राज्यों की विधान सभाओं में भी हमने इस विरोध को जारी रखा कि बजट में नये टैक्स नहीं लगें। केन्द्रीय बजट में नये टैक्स नहीं लगें और अन्य विधान सभाओं में भी नये टैक्स नहीं लगे, संभवतः यह हमारे विरोध की प्रतिक्रिया है। किन्तु चाहे यह हो या न हो मेरे ख्याल में जो अभी नीति के अन्दर परिवर्तन हो रहा है, खास कर के इन्फ्लेशन के सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्तमंत्री ने जो योजना

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया है, ना पसंद इन्फ्लेशन को किया है वह शुभ लक्षण है और मैं उसका स्वागत करता हूं।

राजस्थान में नये टैक्सों के प्रस्ताव वित्त मंत्री द्वारा रखे गये हैं वह मैं समझता हूं एक हद तक अनावश्यक हैं किन्तु उसमें विशेष विरोध प्रकट नहीं करते हुए यह अवश्य कहूंगा कि दवाइयों पर २ परसेंट में ४ परसेंट, एक दम डबल सेल्स टैक्स लगाया है, यह लोक कल्याणकारी राज्य की पद्धति के विपरीत है। मैं समझता हूं दवाइयां और शिक्षा, चिकित्सा और शिक्षा निशुल्क होनी चाहिये किन्तु दवाइयों के ऊपर जो सेल्स टैक्स बढ़ाया है उसका मैं विरोध करूंगा।

हाथ से बने बर्तनों पर भी कर लगाया है, जो छूट थी उसको उठा दी और कर लगाया है, वह भी मेरे ख्याल में अनावश्यक है। इससे मेरे ख्याल से गृह उद्योगों को शक्ति पहुंचेगी। यह एक महत्वपूर्ण गृह उद्योग है, ठठेरे और सुनार स्वावलम्बी कारीगर हैं, इससे उनको ठेस पहुंचेगी। संभवत: जो सुनार अपना धंधा खो बैठे हैं, वे ठठेरे का धंधा पकड़ कर मेहनत से काम कर रहे थे, इससे उनके लिए भी विस्थापित होने की संभावना उत्पन्न होगी। मेरे ख्याल से यह टैक्स आवश्यकता के प्रतिकूल है और इसका भी मैं विरोध करता हूं।

डीज़ल और हाई स्पीड डीज़ल पर कर लगा कर जो कर की व्यवस्था थी, जो महगा था और भी महगा कर दिया, यह भी मैं समझता हूं ठीक नहीं। भाड़े की वृद्धि होने से मूल्यों में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। डीज़ल पर टैक्स लगाने से उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इस प्रकार के कर को मैं अनावश्यक समझता हूं।

आबकारी कर, खास कर देशी शराब पर आपने कर लगाया है मैं यह तो नहीं कहता कि आपने अनुचित कदम उठाया है पर इसकी प्रतिक्रिया खास कर आदिवासी क्षेत्रों में अच्छी नहीं होगी। आदिवासी इल्लीसिट डिस्टिलेशन, नाजायज़ कसीद शराब निकालेंगे और उनको हर तरह एक्साइज रेड्स के द्वारा परेशान किया जाता है उसमें वृद्धि होगी कटौती नहीं होगी। अगर देशी शराब पर टैक्स बढ़ाना है तो कम से कम आदिवासियों के काम में आने वाली जो सबसे सस्ती किस्म की शराब है वह महंगी नहीं करें तो ठीक होगा।

ठेकेदारी व्यवस्था के सम्बन्ध में, मिनिमम सेल्स के रूप में रकम लेते हैं वह भी सिद्धान्त के विपरीत है। उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है और बिक्री के ऊपर आप रकम निर्धारित करें तो इतना भ्रष्टाचार और गोलमाल नहीं हो; पर मिनिमम सेल पर नजराने की रकम निर्धारित करते हैं वह सिद्धान्तों पर निर्भर नहीं है।

समाज शिक्षा पर, जो कदम उठाये हैं, खास कर स्त्री शिक्षा पर, वे सराहनीय हैं।

अन्धे, लूले, लंगड़े, अपाहिज लोगों के लिये जो पेन्शन की व्यवस्था की है वह प्रशंसनीय है। किन्तु कितनों को कहां कहां पेन्शन दी, किन किन जिलों की सर्वे की इस सम्बन्ध में आपने अपने भाषण में कोई जिक्र नहीं किया, इस बारे में भी प्रकाश डालना आवश्यक है।

Page No 41

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी कोई पेन्शन हमारे क्षेत्र में दी जाती हो या दी गई हो ऐसा मुझे मालूम नहीं है । बहुत सी आपकी योजनाएं कागजों पर रह जाती हैं, यह भी अगर कागजी योजना हो तो मेरे ख्याल से ढकोसला बाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं है ।

कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ते दिए है, आप दें, आप विवश हैं यदि आप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर काबू नहीं पाते तो आप महंगाई भत्ता दें, किन्तु आप साल भर में एक दफा दें, आपने १-३-६४ को महंगाई भत्ते में वृद्धि की, फिर १-८-६४ को और फिर १-३-६५ को । १-८-६४ को आपने जो वृद्धि की वह मेरे ख्याल से पंचायती चुनावों को मद्देनजर रखते हुए की होगी ताकि सरकार को विशेष रूप से विशेष कर्मचारियों के द्वारा सहयोग मिले और सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस पार्टी मिल कर इन चुनावों में विरोधी दलों को परास्त करने हेतु लड़ें । यदि यह आपकी योजना थी तो उसका मैं विरोध करता हूं । अगर आपने कर्मचारियों को रियायतें दी तो स्वाभाविक है, आपका कर्त्तव्य था । किन्तु साधारण व्यक्ति के लिए आपने इस बजट में कुछ नहीं किया । यदि आप अनाज पर सेल्स टैक्स जो ले रहे हैं वह भी हटाते तो मैं समझता हूं कि गरीब आदमियों को कुछ राहत मिल सकती थी, किन्तु यह सेल्स टैक्स ज्यों का त्यों आपने जारी रखा । आपने आमदनी बढ़ाई, टैक्स बढ़ाए, योजना की लागत को बढ़ाया लेकिन प्रति व्यक्ति औसत आय २.०५ प्रतिशत घटी है ।

आपने राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में यह जिक्र किया कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा संचालित किया जायगा और खर्चे का वहन भी वही करेगा तो फिर आपने जो खर्चे का ऐतिहात प्रावधान रखा है और टैक्स लगाए हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है । आपको चाहिए खर्चे के अन्दर मितव्ययता करते, मितव्ययता की ओर आप विशेष ध्यान नहीं देते । आपकी अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार है, शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार है । अवसरवादिता और आपाधापी में आप लगे हुए हैं । अभी उड़ीसा के दो भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में और सेन्ट्रल कैबीनेट की सब-कमेटी के बारे में कांग्रेस के मुखपत्र हिंदुस्तान टाइम्स ने एक लीडिंग आर्टीकल में जो बातें प्रकाशित की हैं, वह मैं सदन के समक्ष निवेदन करूंगा, गिल्टी मैन के नाम से जो ६ मार्च वाले पर्चे में छपा है :

"The persistence of Mr. H. V. Kamath and a few other public-spirited men working against grave handicaps has trumphed in placing before the people the information that they should all along have had on the very serious misgivings which have been aroused by the conduct of public affairs in the State of Orissa under Mr. Biju Patnaik and Mr. Biren Mitra as successive Chief Ministers after the mid-term elections of 1961. The Government at the Centre and the Congress High

Page No 42

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

Command have always appeared to act in the Orissa case only under pressure and with the utmost reluctance, though there is also fugitive evidence, as in the decision to ask the Central Bureau of Investigation to assist, of divided counsel, of the momentary assertion of the claims of public duty over party embarrassment. But what won in the end patently was the narrow vision of immediate party interest. Even now, with the publication of the CBI report, we have nothing like a full picture of what, on the face of it, looks like the worst episode of chicanery and sordidness in the public life of the country in all the years since independence. It is possible that in this Mr. Patnaik and Mr. Mitra are being wronged just as it is possible that the truth is far worse than we are allowed to guess at. But what matters is that the CBI was not permitted to make a full investigation and only drew its conclusions from such official files as were made available to it and the explanations offered by Mr. Patnaik and Mr. Mitra. The C. B. I. conclusions and we need not take them as finally established-are that there was gross evasion by the administrations under Mr. Patnaik and Mr. Mitra of all the normal rules of procedure in the purchasing practices of the Orissa Government to the direct benefit of companies in which the two Ministers or their families had substantial financial interests. The CBI report reveals not just a deal here and a deal there but a systematic pattern of operations in which public funds were recklessly diverted to serve private ends.

Yet the more important question now is not whether Mr. patnaik and Mr. Mitra have received their just deserts. That question is of the bonafides in the matter of the Central Government and the Congress High Command. The Cabinet sub-committee which recorded its profound concern at the picture emerging as a whole from the series of such individual transactions in many fields of activity of the State Government, of improper use of authority by the leaders of the Government ? Also came to the conclusion that in all fairness, their examination of the material available did not reveal that in the various transactions in which Mr. Patnaik was concerned, he had personally derived any pecuniary denefits. Was this conclusion arrived at in good faith ? Could any reasonable group of men activing with high attachment to standards of integrity in public life have reached a similar conclusion on the material which is now fortunately available to a wider panel of judgment than the cabinet sub–

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

committee constituted ? The answer must be 'No,'unqualifiedly No. We are not saying that the Cabinet sub-committee should have reached the contrary conclusions, but if there was ever a primafacie case established which needed to be more thoroughly gone into, this was such a case. A partisan attitude has resulted in a debasement of the values of public conduct to an extent where the Government's moral authority to continue in office has been placed under calamitious doubt."

इससे बढ़कर और क्या भ्रष्टाचार के कडेम्नेशन के संबंध में हो सकता है अध्यक्ष महोदय, इसी तरह की बातें पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रतापसिंह कैरों के संबंध में, काश्मीर के चीफ मिनिस्टर श्री बक्शीगुलाम मोहम्मद के संबंध में...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का सवाल है। दूसरी असेम्बलीज के बारे में, चाहे पंजाब या उड़ीसा हो, अगर उनके रेफरेन्सेज यहां पर बजट के अन्दर इन पर चर्चा शुरू हो गई तो एक दिक्कत होगी। वित्त मंत्री कैसे इस बात का निराकरण करेंगे ? सवाल यह है कि इस तरह का लंबा कागज आपने पढ़ और हम देरी तक सुनते रहे, लेकिन उसका इलाज हमारे पास नहीं, वित्त मंत्री के पास नहीं, सरकार के पास नहीं है।

(१.०० म. प.)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहने का लक्ष्य था कि समस्त देश में एक ही पार्टी का शासन है। समस्त देश के अन्दर एक ही पार्टी की शासन की नीति है। नीति, रीति और प्रक्रिया भी करीब करीब मिलती-जुलती है। हम को धीरे २ यह प्रतीत हो रहा है कि जो उड़ीसा में हुआ, शायद पंजाब में भी वही स्थिति, कश्मीर में भी वही स्थिति और सम्भवतः अन्यत्र भी वही स्थिति और सम्भवतः विरोधी पक्ष के पास ऐसे मुद्दे भी हों जिनके ऊपर यह अनुमान किया जा सकता है कि राजस्थान भी इस प्रवाह में बह रहा हो।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसको तो वे वेलकम करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह तो करें या न करें....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उनको तो शुबहा है खाली। आपके ऊपर भी विश्वास नहीं है। नेता महोदय जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आप गलत बात सुनते हैं...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोई शुबहा होता है तो कोई पाप नहीं। सबसे पहले कोई बात होती है, कर्णगोचर होती है, फिर शंका होती है। उसके अन्दर छानबीन होती है और फिर तथ्य निकलते हैं और इस तरह से तथ्यों के द्वारा यही का यही इतिहास पंजाब में एक स्टोरी रिवील करता है, उड़ीसा में वह स्टोरी दृष्टिगोचर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होती है, तो राजस्थान के अन्दर भी क्रय विक्रय संघ जैसे कांड हैं और मंत्री गणों के विरुद्ध भी एक से अधिक आरोप हैं जिन पर काफी चर्चा की जा चुकी है, वह भी ऐसा मुद्दा है कि मेरे ख्याल में इस मुद्दे को लेकर तथ्य विहीन नहीं हो सकते।

श्री भैरोंसिंह : यह तो वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो उड़ीसा और पंजाब की हालत।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ ऐसी हालत हो तो मेरे ख्याल में कोई बुरी चीज नहीं होगी लेकिन बिना तथ्यों के उसका होना भी हुआ तो मेरे ख्याल में आसान तो नहीं है। विरोधी पक्ष के नाते हमारे पुनीत कर्तव्य हैं कि सरकार की भ्रष्टाचार नीति को ऑपोज करें, उसका विरोध करें और कुसूरवार हैं जो गुनाहगार लोग हैं उनको दंड मिले, यह हम चाहेंगे और यह स्वाभाविक बात भी है।

तो यहां पर, अध्यक्ष महोदय, विजिलेन्स कमीशन स्थापित हुआ। नाम तो उसका विजिलेन्स कमीशन है। मंत्रियों के विषय में विजिलेन्स कमीशन कुछ न करे, लेकिन छोटी मोटी बातों पर भी विजिलेन्स कमीशन विजिलेन्स बताये तब तो ठीक है, नहीं तो विजिलेन्स कमीशन का भी कागजी घोड़ा रच कर यह बताया जाय कि यह कर रहे हैं भ्रष्टाचार में वह कर रहे हैं।

विजिलेन्स कमीशन स्थापित कर रहे हैं, मैं समझता हूं यह सब बात की बात है और गुड़ कांड आदि के बारे में मेरा यह निश्चित अभिमत हो चुका है कि सरकार की नीति उन सब चीजों को दबाने की है। उनको खोलकर व्यवस्थित ढंग से गुनहगारों को सजा देने की नीति नहीं है और इस नीति को यदि देखा जाय उड़ीसा, पंजाब और काश्मीर में जो हुआ वही एक समान नीति सी है। राजस्थान के अन्दर भी एक समान प्रक्रिया उत्पन्न हुई है।

तो, मैं सदन का विशेष समय, अध्यक्ष महोदय, नहीं लूंगा। मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था शोचनीय है। हम स्वावलम्बन के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, हम परावलम्बी करते और होते जा रहे हैं और यह परावलम्बन हमारा आक्रंठ करके एक दुर्घटना में ग्रस्त रास्ते पर शनैः शनैः आगे बढ़ता जा रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े गौर से मैंने कई मर्तबा हमारे वित्त मन्त्री जी की इस बजट स्पीच को पढ़ा। मैं इसे प्रवचन बोलूं, क्या बोलूं; वास्तव में यह आय-व्ययक पर उनकी स्पीच है।

एक माननीय सदस्य : तखमीना।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब आया है सही शब्द।

श्री जयनारायण सालोदिया : जरा माइक नीचे कर लीजिये, भूतपूर्व वित मंत्री जी ! सुनाई भी दे और आपका चेहरा भी दीखे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि इस बजट भाषण में मैंने इस बात को देखा है जिस नीति को हम कई वर्षों से प्रतिपादित करते हुए चले आ रहे हैं, जिस विषय की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस समाजवाद के नारे को लेकर हम चल रहे हैं, अब की बार हमारे वित्त मन्त्रीजी ने 'समाजवाद' के नाम को ही बजट स्पीच में से निकाल दिया है। शुरु से आखिर तक इस बजट स्पीच को देखा, उद्देश्य क्या है और किसकी पूर्ति के लिए यह तखमीना बना रहे हैं? हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपनी स्पीच में जिक्र किया पेज २ और पेरा नम्बर ४ पर कि जवाहरलाल नेहरू के जाने से नेहरू युग खत्म हुआ और नये युग की शुरुआत हो रही है। मैं समझता हूं कि आज देश के अन्दर जो भी सिद्धान्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिपादित किये उन्हीं सिद्धान्तों पर सरकार चल रही है और हमारे वित्त मन्त्री जी उस युग को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने तो अपनी तरफ से खत्म कर दिया है। हां, बजट स्पीच में 'समाजवाद' का जिक्र भी नहीं है। उद्देश्य भी नहीं रखा है। शायद आपने किसी तरह इसको खत्म कर दिया हो, हम जितने लोग इस तरफ बैठे हैं सरकारी बेंचों पर उस युग को खत्म नहीं होने देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपकी सरकार का ही बजट है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप सुनिये तो सही। क्या समाजवाद पर आपको ही कहने का हक है और किसी को नहीं?

श्री मुरलीधर व्यास : यह आपकी सरकार है। आप कह रहे हैं कि अलग रहेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस बजट में हमारे वित्त मन्त्री जी ने एक कन्जरवेटिव आउट लुक को अपनाया है और इस कन्जरवेटिव आउट लुक को अपनाने के कारण ही यह जो इस साल के आंकड़े बनाये गये हैं उनमें यह सारी चीज आभास होती है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब तक कांग्रेस है, जब तक कांग्रेस में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, जब तक जवाहरलाल नेहरू में लोग श्रद्धा रखने वाले हैं नेहरू युग खत्म नहीं हो सकता; वह तो और आगे बढ़ेगा और समाजवाद हम लाकर रहेंगे। यह भूल जाय वित्त मन्त्री जी। शायद राजस्थान में 'नेहरू युग' को समाप्त करके 'कौल युग' करना चाहते हैं और परिभाषा क्या देते हैं नये युग की, वह आप अपने जवाब में देंगे कि मेरे नये युग की परिभाषा यह है, मैं समझता हूं कि आपके नये युग की परिभाषा यह है कि नेहरू युग समाप्त हो गया और अब कन्जर्वेटिव युग आया है और वही नीति अपनायी जाय।

प्लान जो भी हमारे थे, तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें इस कदर कमी कर दी गई है कि जैसे हमारे विरोधी पक्ष के नेता भी कह रहे थे कि सारे प्लान एक्स्पेन्डीचर में है। हम नहीं कह सकते कि हमारी प्रगति में अन्तर पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिस कदर कटौती हमारी सरकार ने की है उसके कारण राजस्थान के विकास पर जबरदस्त असर पड़ेगा और इस वर्ष प्लान सीलिंग में

Page No 46

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कमी होने की जो अभिलाषा जाहिर की और जो आभास प्रकट किया यद्यपि ५० लाख कम पड़ेगा लेकिन उसको किसी प्रकार पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आगे आने वाले जमाने में भी कमी आने वाली नहीं है।

आगे आने वाले सालों में जो कुछ भी लक्ष्य मुकर्रर किया गया था उसकी पूर्ति अवश्य होने वाली है, यही मानते हुए इस तृतीय योजना का निर्माण किया गया था। तृतीय योजना में इस साल में किसी प्रकार भी कमी नहीं आनी चाहिये थी। कोशिश की जाती तो तृतीय योजना में जो कटौती करनी पड़ी वह न करनी पड़ती और उसके खर्चे के लिये हम आवश्यक धन जुटा सकते थे। मैं यह नहीं समझ पाया कि तृतीय योजना को पूरा का पूरा नहीं लागू करने का यह सवाल किस प्रकार दिमाग में आया, यह मैं नहीं कह सकता। इसका क्या कारण हो सकता है, यह तो वित्त मंत्री महोदय बतायेंगे? कारणों का दिग्दर्शन मैं कराने लगूं तो मेरा जो स्पीच का समय है वह सारा उसमें लग जायगा। तृतीय योजना काल में हमारी आमदनी कितनी बढ़ सकती है? हम केपीटल एक्स-पेन्डीचर प्लान के मुताबिक कर सकते थे, हमने ऐसा प्रयत्न नहीं किया। आशा है इसी कारण हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इसे नेहरू युग का खात्मा कहा है और इस तरह से कन्ज़र्वेटिव युग को देश में लाने का प्रयत्न किया गया है। इस कमजोरी का कि नेहरूजी का हाथ हमारे सिर से उठ गया है इसलिये अब क्या करें? जो कुछ भी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है वह इसीलिये किया गया है। इसलिये मैं तो एक बात जानता हूं कि पं० जवाहरलाल नेहरू होते तो वे कभी भी पंचवर्षीय योजना में कटौती नहीं करने देते।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पंचवर्षीय योजनाओं में कटौती होना उनके समय से ही शुरू हो गया था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उन्होंने कभी इस बात के लिये एग्री नहीं किया।

मैं निवेदन कर रहा था कि हम कन्ज़र्वेटिव न हो कर हमारा आउट लुक थोड़ा प्रोग्रेसिव रखना चाहिये, रिस्क लेना चाहिये। नई नई चीजों की खोज करके बजट में उनकी शुरुआत करनी चाहिये। प्रशासनिक सुधारों, उनके तरीकों में हमें रद्दोबदल करनी चाहिये। कई इस तरह की चीजें हैं जिनको हम नये तरीके से इन्ट्रोड्यूस करते तो मैं उम्मीद करता हूं, राजस्थान का हम ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकते थे।

नेहरू युग के साथ साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने जो हिन्दी के बारे में जिक्र किया बड़ी खुशी की बात है कि हिन्दी को अपनाया गया। लेकिन इसके साथ ही दुख इस बात का है कि इसका विरोध भी काफी हुआ। कारण विरोध का क्या है, इस विरोध को किस प्रकार कम

Page No 47

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

किया जा सकता है, इस बारे में मैं सुझाव देना चाहूंगा । आज हिन्दी भाषी प्रांतों में हिन्दी के लेखक लोग हैं वे हिन्दी में किताबें लिखने के कारण अपना वेस्टेड इन्टरेस्ट इसमें मानने लग गये हैं, वेस्टेड इन्टरेस्ट इसलिये कि उनकी लिखी हुई पुस्तकें चलती हैं उसकी रोयल्टी मिलती है । अगर हम थोड़ा सा इस वेस्टेड इन्टरेस्ट को इस तरह से कम कर सकते हैं कि अहिन्दी भाषी राज्यों में जो लेखक हैं उनकी किताबों का हिन्दी में ट्रान्सलेशन करवा कर हमारे हिन्दी भाषी प्रान्तों में उनको पढ़ावें । मद्रास राज्य में चलने वाली तामिल तेलगू, कन्नड़ आदि की किताबों का अनुवाद करा कर हमारे यहां के कोर्सेज में उनको रखा जाय तो वहां के लेखकों को रॉयल्टी मिलेगी, उनकी उसमें दिलचस्पी होगी । हिन्दी भाषी प्रान्तों में अहिन्दी भाषी प्रान्तों की किताबें हों, लिटरेचर हो, साहित्य हो शोर्ट स्टोरीज हों अनुवाद करके तो उनका उत्साह बढ़ेगा और इस तरह से उनका विरोध कम हो जायगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, यही मेरा सुझाव हिन्दी के बारे में है । अगर सरकार इस पर अमल करे तो मुमकिन हो सकता है इसके विरोध में कमी आये ।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता था । यद्यपि उसका जिक्र हमारे विरोधी दल के नेता ने कर दिया है, यह बजट मेमोरेन्डम जो पेश किया जाता है, उसमें हमारी वित्तीय स्थिति का सही दिग्दर्शन होना चाहिये । ऐसा मालूम पड़ता है इसमें सही दिग्दर्शन न होकर एक प्रकार से तखमीना ही बताया गया है जो आगे चल कर आपके अनुमान से बहुत डिफरेन्ट चला जाता है । इस स्पीच को पढ़ने से, तखमीने के देखने से ऐसा पता चलता है कि एक्चुअल्स क्या होंगे, इससे बहुत कुछ दूर निकलते चले जा रहे हैं ।

यह सही है कि जो कुछ आमदनी इस साल में हो रही है वह आमदनी एक्चुअल्स से मालूम होती है । आज यह अनुमान करते हैं कि तीन करोड़ की पूर्ति हो सकती है उसके बाद ७८ लाख का घाटा एक्चुअल्स के बाद रिवाइज्ड बजट में रखा है वह घाटा रह जायगा । इसके साथ यह भी कह देना चाहता हूं कि प्लान के सीलिंग में कमी रह गई उसकी पूर्ति हो जायगी । इस तरह से अगर स्थिति यही रही, इस वर्ष राजस्व की वसूली पूरी नहीं होगी । बेटरमेन्ट लेवी में छूट दे रहे हैं लेन्ड की रकम वसूल नहीं हुई है । इसके बावजूद वित्त मंत्री महोदय कहते हैं यह साल बहुत बुरा और कठिनता का साल निकला है । लेकिन आने वाले साल में खतरा नहीं दिखता । आमदनी के मदों का अन्दाजा लगायेंगे तो आपको पता चलेगा हरेक मदों में बढ़ोत्तरी चली आ रही है । क्या वजह है कि यह मान कर चलें कि आयन्दा बजट में ६ करोड़ का घाटा होगा ? इस घाटे की पूर्ति के लिए आने वाले साल में चार करोड़ का केपीटल एक्सपेन्डीचर में कमी करके बचत रह जायगी बाकी के लिए टैक्स लगाने का प्रयास किया गया है । इसके ऊपर गौर करें तो यह बहुत अच्छी प्रकार का विश्लेषण है । आने वाले सालों का जो अनुमान लगाया गया है उसके

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

अनुसार छ- करोड़ का घाटा रहने वाला नहीं। अगले साल मे इस प्रकार की स्थिति नजर आने वाली नहीं है घाटा जो उम्मीद करते थे ३ करोड़ का वह घाटा नहीं रहेगा। यह तो आने वाला समय बतलायेगा। जिस कदर हर मद में हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से घाटे की उम्मीद कतई नहीं होनी चाहिये। मेरे दिमाग में खयाल था कि इस कारण इस साल टैक्सेज़ नहीं लगाये जायेंगे।

मैं एक चीज के लिए वित्त मंत्री महोदय को मुबारिकवादी देना चाहता हूं कि उन्होंने अफीम की पर्चेज पर टैक्स लगाया है। यह अच्छी चीज़ है इससे हमको फायदा होने वाला है, इससे आम जनता को नुकसान नहीं हो सकता।

टैक्सेशन की जो पोलिसी रखी गई है उसके अनुसार लाइट डीज़ल पर टैक्स बढ़ाया गया है इसको हाई स्पीड डीजल के बराबर कर दिया है। लाइट डीजल जो काम में आता है—चक्की चलाने के काम में आता है, कुओं पर पम्प में काम में आता है, ट्रक्टर में काम आता है-इसका भार जो कुछ भी पड़ने वाला है एग्रीकल्चरिस्ट पर पड़ने वाला है। सब यह मान चुके हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट्स पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ना चाहिये। पहले सरचार्ज के बारे में भी निर्णय हुआ था, आश्वासन यह था कि आगे आने वाले सालों में सरचार्ज को खतम करके रहेंगे लेकिन वह चालू है। लाइट डिज़ल पर टैक्स की बढ़ोत्तरी की गई है, वह उचित नहीं है।

(१.१९ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एन्टर्टेनमेन्ट में जो बढोत्तरी की गई है उसके बारे में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों के पास सिवाय सिनेमा देखने, नाटक देखने के और दूसरा एन्टरटेनमेन्ट है नहीं जिससे वे दिन भर की अपनी थकान मिटा सकें, और वित्त मन्त्रीजी उसी पर नाराज हैं।

उनको मालूम होना चाहिये कि जो लोग एन्टरटेनमेन्ट में ज्यादा मशगूल रहते हैं तो उनसे फेमिली प्लानिंग में अधिक मदद मिलती है। यह मान लेना चाहिये कि गरीब लोगों में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। और जब वे काम से घर जाते हैं तो सस्ते एन्टरटेनमेन्ट को पसन्द करते हैं, पर जब एन्टर्मेनमेन्ट टैक्स बढ़ने से उनका एक सस्ता जरिया भी छिन गया। और जगह अब जाने का मौका नहीं मिलता उनको। घर पर ही रहते हैं और जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं इस तरह। नागपुर में अभी सर्वे हुआ।

श्री भैरों सिंह (किशनपोल,जयपुर) : वे कौनसी जगह जा सकते हैं फिर ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वेनरल डिज़ीजेज के बारे में सर्वे किया। तो सर्वे से पता लगा कि वेनरल डिजीजेज़ उनके लिए है

Page No 49

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जिनको और जगह एन्टरटेनेमेन्ट का जरिया नहीं है। तो लोग जो बाहर जाते हैं उनका ध्यान और तरफ नहीं जाता और इससे फेमिली प्लानिंग में मदद मिलती है।

शायद वित्तमंत्री जी को एन्टरटेन्मेंट से शौक नहीं है। इसलिये वे हमारे काम में भी रोड़े अटकाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जरा खुलासा समझाकर बतावें कि कैसे फेमिली प्लानिंग में वे रोड़े अटकाते हैं? जरा भूतपूर्व वित्त मन्त्रीजी यह खुलासा समझावें एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से फेमिली प्लानिंग में कैसे रोड़े आते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप अधिक अक्लमन्द हैं। आप अपने वक्त पर यह बता देना।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं निवेदन करूंगा कि "Empty mind is the devils workshop"; वे अगर थके रहेंगे तो कभी भी फेमिली प्लानिंग को सपोर्ट नहीं मिलेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अक्लमन्द को इशारा ही काफी है। मेरे मित्र ज्यादा माहिर हैं। वे अपने भाषण के समय अच्छी तरह समझा दें।

श्री भैरोंसिंह : आपकी काबलियत को चैलेन्ज नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : फेमिली प्लानिंग में भी एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लगेगा क्या?

श्री भैरोंसिंह : यह आपका सुझाव देर से आया, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो वे लगा देते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय के सुझाव को अगले वक्त काम में लावेंगे। वेसेक्टोमी में १५) रु० लगते हैं। आप करा लें तो।

मुझे संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष होने के नाते अनुभव है। इसका असर शैक्षणिक चीज़ों पर भी पड़ा है। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है और हैं। इन पर सरकार ने कड़ा दृष्टिकोण अपना रखा है और खास तौर से मेरी वजह से या और नीति की वजह से। यद्यपि बहुत सी फिल्मों पर यह टैक्स माफ हो जाता है पर संगीत नाटक अकादमी पर इनका कड़ा रुख है।

मैं अॉर्ज करूं आल इण्डिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेन्स हुई, म्यूज़िक टीचर्स की। उसमें बिना पैसे के आर्टिस्ट भाग लेने आये। बाकी जो अरेन्जमेन्ट में खर्च हुआ सो हुआ। पर हमारे वित्त-मन्त्री जी ने मना कर दिया टैक्स की माफी करने से। मैं डेपुटेशन भी लेकर गया और कहा कि यह तो शैक्षणिक मामला है, कॉफ्रेन्स है, इस पर तो टैक्स माफ होना चाहिये। उन्होंने इन्कार किया। तो मुझे भी गुस्सा आया। मैं भी यह कह कर चला आया कि कौनसी मेरी बेटी का ब्याह है। मैं तो पब्लिक कॉज़ के लिये इस टैक्स को माफ कराने की दर्ख्वास्त करने आया था। नहीं करना चाहते है तो आपकी

Page No 50

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मर्जी है। पर मैं इस फ्लोर पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से काम करने से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और शैक्षणिक चीजों में बाधा उत्पन्न होती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अन्त में आपको एग्जेम्प्ट कर दिया कि नहीं उन्होंने ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी तक तो मालूम नहीं। पर मैं यह बता दूं कि इसके लिये घर की भी मेरी कुर्की हो जावेगी तो बर्दाश्त करूंगा। पर गान्धर्व महाविद्यालय, जिसने आयोजन किया था, हरगिज भी यह टैक्स नहीं देगा क्योंकि यह पब्लिक कॉज़ है। कैसे आप दूसरी फिल्मों पर टैक्स माफ कर देते हैं; दोस्ती पर और दूसरी दूसरी पर। पूरा पता नहीं मुझे कि कौनसी कौनसी पर माफ कर देते हैं।

मैं और जगहों की निवेदन करूं कि वहां जितनी भी ऐसी शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थाएं हैं ; अकादमी हैं, जनरल सरकूलर है माफी का कि एजुकेशनल और कल्चरल साइड का प्रोग्राम हो तो उन पर एन्टरटेनमेन्ट टैक्स नहीं लिया जावेगा। उनकी कॉपियां की नकल करके भी निवेदन किया था यहां पर अभी तक इस बारे में.... खैर....।

दूसरी बात निवेदन करूं कि इस साल फाइनेन्स विभाग का वर्किंग का क्या तरीका है, इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन आप करें।

ग्रान्ट्स रिलीज़ करते हैं। देर से करते हैं। और देते हैं तो यह मान कर देते हैं कि ये संस्थाएं भी प्राइवेट हैं। हालांकि ये ओटोनोमस बॉडीज़ हैं। अप्रेल में नया बजट बनता है और जून में रिलीज़ करते हैं। तो कैसे इतने दिनों तक उनकी तनख्वाह वगैरह चुकेंगी?

साहित्य अकादमी है, ललित कला अकादमी है महीनों तक परेशान रहती हैं। उनके जो कमिटेड प्रोग्राम हैं वे भी अर्थाभाव के कारण पूरे नहीं कर पाते वे। हमको फोर्सेज के लिये फ्रन्ट पर सैनिकों के मनोरंजनार्थ कल्चरल प्रोग्राम करने थे। डिफेन्स मिनिस्ट्री से तकाजा आया कि आप अपने ट्रूप्स भेजिये। लास्ट ईयर गये थे तो काफी हमारा पर्फोमेन्स उनको पसन्द आया था तो इस साल भी बुलाया। हमने उदयपुर की मीरां कला मन्दिर से निवेदन किया। वे बेचारे पूरी तरह से तैयार हो गये। पर समय पर वित्त विभाग ने ग्रान्ट रिलीज़ नहीं की, जाने के खर्चे का प्रबन्ध नहीं हो सका, हालांकि वह रिएम्बर्स हो जाता था, पर पहले तो पास से खर्च करना पड़ता। तो इसका परिणाम यह हुआ कि हमें इन्कार करना पड़ा। और बाद में जब रिलीज़ होकर आया तो तब तक तारीख निकल चुकी थी ओर हमने डिफेन्स मिनिस्ट्री को लिख भी दिया था कि ग्रान्ट रिलीज़ नहीं हो सकने के कारण हम आने में असमर्थ हैं। फिर मीरा मण्डल वाले भी वहां से निकल कर किसी अन्य प्रोग्राम में चले गये थे। तो इस तरह से सारा कार्यक्रम इनके कारण से खत्म हो जाता है। मीटिंगों में

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

फैसले होते हैं। मुख्य मंत्रीजी के सामने फैसले होते हैं। पर उनका भी कोई परिपालन नहीं होता। वित्त मन्त्रीजी औरंगजेब्री रुख क्यों अपनाये हुए हैं? पता नहीं उनको इन कार्यक्रमों से सख्त नफरत है। उनका इस प्रकार का रूख राजस्थान की शैक्षणिक और सांस्कृतिक तथा कल्चरल प्रवृत्तियों के लिये घातक है। उनको अपना यह रुख पलटना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : औरंगजेब से तुलना मत करो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक बात पर और गौर नहीं किया गया। कहा गया कि कई मुद्दों से आमदनी कम हुई; जैसे स्टाम्प के बारे में कहा गया कि करीब ३५ लाख की कम आमदनी हुई। इसी तरह से सेल आॅफ लैण्ड से भी कम हुई। तो इसके कारणों में जाने की जरूरत है। कारण क्या हैं?

जहां तक स्टाम्प का सवाल है राजस्थान में आपने कोर्ट फीस इतनी बढ़ा दी है कि इसके कारण सिविल लिटिगेशन करीव करीब बन्द होते जा रहे हैं और यदि आप आँकड़े मंगाकर देखें तो पता चलेगा कि राजस्थान की अदालतों में सिविल लिटिगेशन मुश्किल से पहले के मुकाबले में २५ पर्सेन्ट रह गये हैं। वस्तु स्थिति यह है कि कोर्ट फीस बढ़ा दी गई है और उसकी वजह से हम समझते थे कि आमदनी ज्यादा होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नीति खराब है। बढ़ी हुई कोर्ट फीस से तो दावों की संख्या में कमी होती है और आमदनी कम होती है जो आॅल इन्डिया का स्केल हैं, मद्रास का हैं और दूसरी जगह का स्केल है उसके मुकाबिले में रखेंगे तो यह ३५ लाख रुपये की कमी उससे पूरी हो जायेगी।

दूसरी चीज आप यह कहते हैं कि सेल आॅफ लैण्ड से काफी आमदनी होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। मैं उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा इस सदन में निवेदन कर चुका हूं कि जो चम्बल एरिया में आज जो दो साल हो गए, जमीन की बिक्री बिल्कुल बन्द है। हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है उसको यदि दो साल पहले से बेच दिया जाता जबकि रूल्स भी बन चुके हैं और रूल्स आॅलरेडी बने हुए हैं भाखरा में अलाॅटमेन्ट के नियम हैं, राजस्थान कैनाल में अलाॅटमेन्ट के रूल्स बने हुए हैं, चम्बल के लिए भी अलाॅटमेन्ट के रूल्स बने हुए हैं और लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत में जो दीगर जमीनें हैं उनके भी अलाॅटमेन्ट के रूल्स बने हुए हैं लेकिन आपने क्या किया कि उस जमीन का बेचना बन्द कर दिया। कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट के यहां शिकायतें हुई और उस डिपार्टमेन्ट को भी आपने बन्द करके एक तहसीलदार कलेक्टर के यहां रख दिया। लेकिन उस तहसीलदार ने क्या काम किया और यदि बिक्री नहीं हो रही है तो क्या उसने सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि इससे आमदनी नहीं हो रही है? लेकिन अभी तक किसी का इस बारे में ध्यान नहीं गया।

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

दूसरी चीज यह है कि आज एड-मिनिस्ट्रेटिव रेस्पोन्सीबिलिटी का यह हाल है कि कोई अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। हर एक ऑफिसर अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी को दूसरों के ऊपर डालना चाहता है। यहां तक कि आखिर रेस्पोन्सीबिलिटी लोअर डिविज़न क्लर्क की रह गई है कि जो वह एक नोट तैयार करके भेजता है उसके ऊपर सुप्रिन्टेन्डेन्ट और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के दस्तखत होते हुए ऊपर तक फाइल चली जाती है लेकिन उसमें कोई रद्दोबदल उसके नोट में नहीं होती। जब आप रेस्पोन्सी-बिलीटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर बड़ी बड़ी तनख्वाह के रखे जायें? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बतायें कि कितने ऐसे नोट्स हैं कि जो नीचे से नोट्स बने हुए आते हैं उनमें कितने नोट्स में तब्दीली होती है और कितने ऐसे हैं कि मिनिस्टर लेवल पर तब्दीली हुई है? मैं कहता हूं कि शुरू से आखिर तक दस्तखत होते हुए चले जाते हैं। हां कुछ लोग जरूर हैं कि जो इस बारे में बड़ी एफीशियेन्टली गौर करके हुक्म देते हैं और उनका माद्दा भी है कि वह फाइल पर ठीक हुक्म भी दें लेकिन इस जिम्मेदारी को हर-एक नहीं निभाते। इससे न तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी आती है और उसके साथ ही साथ सुपरवीज़न नहीं रहता है और सुपर-वीज़न नहीं होने से वह डिपार्टमेन्ट अन-कन्ट्रोलेबल स्थिति में हैं। आज नीचे क्या हो रहा है ऊपर वाले को पता नहीं। ऊपर वाले आराम से बैठे रहते हैं और कई तो पेन्शन की तरह से अपनी तनख्वाह लेते हैं। तो इस स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी आनी चाहिए और उसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा द्रुत गति से चले इस बात का प्रयत्न करना चाहिए। हर एक चीज पर कन्ट्रोल हो तो उसके बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

मैं एक बात और कहूंगा कि एडीशनल एक्सपेन्डीचर के इस आने वाले साल में २.८४ है और इसमें वह सब चीज है जो कि अब की साल में ५ रुपये कर्मचारियों के बढ़ाये। बड़ी मेहरबानी की आपने कि ५ रुपये कर्मचारियों को दिये यद्यपि कास्ट आफ लिविंग का इन्डेक्स तो बहुत हाई जा रहा है और मैं एक बात मानकर चलता हूं कि आप किसी भी गांव में चले जाइये वहां पर पोस्टमैन वहां के किसी भी राज्य कर्मचारी से ज्यादा तनख्वाह लेता है। रेल्वे का फाटक पर रहने वाला आदमी गांव के किसी भी आदमी से तनख्वाह ज्यादा लेता है। आप जयपुर में ही ले लीजिए, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट के चपरासी और हमारी राज्य का जो चपरासी है दोनों की तनख्वाह में काफी अन्तर है। आप आई० ए० एस० ऑफिसर को वही तनख्वाह देते हैं जो सेन्टर में मिलती है क्योंकि वह आज एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हो गए, इसलिए वह अपने आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी तनख्वाह के ऊपर कोई असर नहीं आता है-असर आता है नीचे की ग्रेड वालों के ऊपर। एक सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट के एल० डी० सी० को काफी तनख्वाह मिले और राजस्थान

Page No 53

(श्री धृजसुन्दर शर्मा)

गवर्नमेन्ट के एल० डी० सी० को १५ साल के बाद उसको बहुत नीची स्थिति में रखना चाहते हैं, यह कहां तक वाजिब है ? आप कहते हैं कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है तो क्या आपकी हैसियत इस बात की है कि आई०ए०एस० वालों को इतनी ज्यादा तनख्वाह सेन्टर के बराबर दें और नीचे वाले कर्मचारियो को नहीं दें? जब आपकी हैसियत उनको देने की हो सकती है तो आपकी हैसियत इतनी भी है कि कम तनख्वाह वालों को भी वही तनख्वाह दे जो कि सेन्टर में मिलती है । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति लोग बरदाश्त करेंगे नहीं, इसके लिए आन्दोलन करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको आगे जाकर फिर झुकना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में आपको नहीं आना चाहिए । बल्कि यहां तक मुझे मालूम पड़ा है कि बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे यह सुनकर कि कुछ कर्मचारी लोग अपनी सभायें करना चाहते थे और उनको सभा करने से रोक दिया गया और उनको अपनी मागें तक नहीं रखने दी और माणकचौक में कोई सभा होने वाली थी वह नहीं हुई । यह स्थिति आज के युग में चलनी नहीं चाहिए । हो सकता है आप समाजवादी समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं ।

आपने वेलफेयर स्टेट का जिक्र भी अपने भाषण में किया । इसमें शक नहीं कि अपने कर्मचारियों का ख्याल रखना सरकार का फर्ज है लेकिन कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) में आम आदमी का ख्याल रखना भी उतना ही अहम फर्ज है । तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपने अपने आदमियों का क्या ख्याल रखा ? जो आपके कर्मचारी हैं उनको आपने पांच, पांच, पांच रुपया देकर १५ करके दे दिया । यह कोई ख्याल रखने की बात नहीं है । आपने ऐलान किया था कि प्राईसेज़ बढ़ने नहीं दी जायेंगी लेकिन प्राईसेज़ बढ़ीं और आपसे कन्ट्रोल नहीं हो सका और प्राईसेज़ बढ़ती चली जायेंगी और आने वाले समय में इसमें कोई प्रावधान किसी किस्म का नहीं किया और न कोई जिक्र आपने अपने भाषण में किया कि आपकी क्या नीति होगी । आप आने वाले फाइनेन्शियल ईयर में प्राईसेज़ को बढ़ाने नहीं देने के लिए क्या स्टैप्स लेना चाहते हैं, इसकी ओर कोई इशारा नहीं है । स्टेट ट्रेडिंग को आपने रिजेक्ट कर दिया और इसलिए कर दिया कि आपने कहा कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि जो इसका इन्तजाम कर सके । तो फिर आप करेंगे क्या ? स्टेट ट्रेडिंग का इन्तजाम नहीं हो सकता तो आप राज्य का कैसे इन्तजाम करेंगे ? आप तो पुराने दकियानूसी तरीके से चलना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं; अपने आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे काम चलेगा ? आज के युग में जितनी भी मेजर इन्डस्ट्रीज़ हैं उनको नेशनलाइज़ करना है, आपको नोन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी है तो इसका इस भाषण में कोई जिक्र नहीं है । आप टैक्स लगाते जाइये और आमदनी बढ़ाते जाइये, लेकिन एक महकमा था नॉन-टैक्स रेवेन्यू का, माइनिंग डिपार्टमेन्ट का । अब मैं देखता हूं कि माइनिंग डिपार्टमेन्ट से आपको आमदनी बढ़ने के बजाय ३० लाख की कमी हो गई ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

दूसरे डिपार्टमेन्ट्स हैं और कई स्थितियां हैं जिनसे हम अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका कहीं भी आपके भाषण में जिक्र नहीं है। आज भी नॉन–टॅक्स रेवेन्यू वही २५ परसेन्ट के करीब है जो कि १९५१–५२ में पहले था। बल्कि १९५१–५२ में नॉन-टैक्ट रेवेन्यू २७ परसेन्ट था और इस साल में नॉन–टॅक्स रेवेन्यू २५ परसेन्ट ही रह गया।

तो यह एक चीज है मुद्दे की, जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और यदि इस पर ध्यान देंगे तो शायद हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, वरना इस प्रकार की चीज है यह कि बजट के आंकड़े जिस तरह के पेश किए गए हैं वे शायद वित्त मंत्री जी के बजाय कोई एल० डी० सी० को दे दें तो वह बनाकर पेश कर देता। आपको अपने दिमाग का परिचय देना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह : उसने ही बनाये हैं। भाषण इनका है केवल।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मैं नहीं कह सकता, आप कह सकते हैं।

मैं टॅक्स का जिक्र कर रहा था, मैं भूल गया। मैंने जैसा कि निवेदन किया कि आज क्या आवश्यकता थी टॅक्स की सिवाय ओपियम वाले टैक्स के ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओपियम खरीदता कौन है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा ; वह गवर्नमेंट आफ इंडिया पचज़ करती है। मैं इसमें आपकी बड़ाई का काम मानूंगा कि आप गवर्नमेंट आॅफ इंडिया से पर्चेज टॅक्स वसूल करके अपने खजाने में जमा करायेंगे। यह एक बहुत ही बड़ा काम होगा और राजस्थान का भला होगा। लेकिन आप देखेंगे कि मैडिसिन पर टॅक्स बढ़ाया गया। मैडिसिन के ऊपर टॅक्स बढ़ाने से आपको दो लाख की आमदनी होगी, फिर दो लाख की खातिर आप मैडिसिन जैसी चीज पर टॅक्स बढ़ाते हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह फैमिली प्लानिंग के सिलसिले में है, इसलिए किया है कि लोगों को दवा कम मिले और आबादी कम हो। इसलिए वह लगा दिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फैमिली प्लानिंग में भी इन्जेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो....

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मिनिस्टर साहब कोई नहीं हैं। जिस समय से सत्र आरम्भ हुआ है उस समय से लेकर सिवाय वित्त मंत्री महोदय के कोई मंत्री नहीं है। कई विभागों के ऊपर बातें आई हैं बजट के सम्बन्ध में। आज जब से डिबेट शुरू हुई है तब से मंत्री लोग यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह हाउस के प्रति एक प्रकार का अनादर है। इसलिए आपकी तरफ से आदेश दिया जाय कि सब यहां आकर बैठें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बुरी परम्परा सदन में चल रही है। मैं समझता हूं कि आपके जरिये यह काम हो

(श्री मुरलीधर व्यास)

सकता है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए उनको यहां रहना चाहिए ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करती हूं ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब की स्पीच पर बहस जब चल रही थी तब भी यही स्थिति थी । इस प्रकार की परिपाटी रहती है तो सदन की परम्परा जो है उसके प्रति उदासीन प्रवृत्ति नहीं धारण करनी चाहिए ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आज फैमिली प्लानिंग का युग है । लोग-बाग फैमिली प्लानिंग में लगे रहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आ गये मंत्रीगण । फिर भी मैं यह मानता हूं कि यहां की परम्परा के अनुसार जब वाद-विवाद हो तो सभी मंत्रियों को उसे उतना ही महत्व देने की आवश्यकता है । यह बात अलग है कि किसी कार्यवश कोई बाहर हो । और यहां मैं इतना ही नहीं कहूंगा कि केवल मंत्रिमण्डल ही उस बात का ख्याल रखे बल्कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय हैं और दूसरे हैं वे भी इसका ख्याल रखें । यह परम्परा परस्पर जो व्यवहार होगा उससे पूरी तरह से कायम रहेगी तथा निभेगी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो मैडिसिन पर टैक्स लगाने की मैं समझता हूं कोई आवश्यकता नहीं थी । यह ख्वामख्वाह का विवाद क्रियेट हो गया है, और मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी विचार करेंगे कि मैडिसिन पर जो टैक्स बढ़ाया है उससे दो लाख का टैक्स आएगा तो ख्वामख्वाह का इस प्रकार से विवाद मोल नहीं लेना चाहिए । शायद यह बड़े दम्भ की बात होती अगर किसी मालदार आदमी पर टैक्स लगाते, किसी अरबन प्रापर्टी पर टैक्स लगाते और हायर इन्कम ग्रुप्स पर ज्यादा से ज्यादा डाइरेक्ट टैक्स लगाते । यह इन्डाइरेक्ट टैक्स लगाने की प्रवृत्ति कहां तक चलती रहेगी ? हमारे टैक्स लगाने के दो तरीके होने चाहिएं । एक तो यह कि हमारे टैक्सेज डाइरेक्ट होने चाहिए और हायर इन्कम ग्रुप्स पर उसका ज्यादा से ज्यादा असर होना चाहिए और इन्डाइरेक्ट टैक्सेज को कम करते हुए चले जाना चाहिए । दूसरा यह है कि हमको नॉन-टैक्स रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए और अपने खुद के जरिए पैदा करने चाहिए कि जिससे हम आमदनी को बढ़ा सकें ।

दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह : किन पर लगाया जा सकता है ? इस पर रोशनी डाल दें कि किन चीजों पर टैक्स लगाया जा सकता है आपकी ओपीनियन के अनुसार ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि इस पिष्टपेषण में जाने की जरूरत नहीं है कि किन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए । सिद्धान्त में इस बात को मानना चाहिए और सिद्धान्ततः इस बात को मानकर चलना चाहिए कि हायर इन्कम ग्रुप्स····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ये आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि आप मिनिस्टर बन जायें तो किन किन पर लगायेंगे, उनकी तरफ रोशनी डाल दें।

श्री भैरोंसिंह : आपका इम्तिहान तो लिया हुआ है। आप मिनिस्टर थे तब ऐसे ही टैक्स लगाये थे।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल जयपुर) : आप अपने जमाने में टैक्स काफी लगा चुके हैं, कोई नई बात नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने जिस जमाने में टैक्स लगाये होंगे तो कितने से टैक्स होंगे, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। अब मुझे कौन बनायेगा जिससे फिर टैक्स लगाने की नौबत आये, क्योंकि बनने वाला होता है तो शायद कभी का बन गया होता। अब वह नही करेंगे, लेकिन सुझाव देना परम कर्त्तव्य है मेरा; चाहे मिनिस्टर हूं, चाहे नहीं हूं। आज भी अपने ध्येय की पूर्ति, जो कुछ भी मकसद बना रखा है उसकी पूर्ति के लिये आगे बढ़ते रहना चाहिए चाहे किसी स्थिति में रहें। उस स्थिति में नेहरू युग के बजाय दूसरे युग के लाने का प्रतिपादन करना, मैं समझता हूं कि वह एक कांग्रेसमैन की शान के खिलाफ है।

हां, तो मैं निवेदन कर रहा था कि आगे आने वाले समय में एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि आपने मंहगाई को रोकने के लिए और कीमतों को कम करने के लिए कोई उपाय सख्ती से काम में नहीं लाये तो आपकी सारी स्थिति डावांडोल हो जाने वाली है। लेबर में आज इतना अनरेस्ट है, हर जगह इस बात की तैयारी है कि हम स्ट्राइक कर देंगे अगर मंहगाई कम नहीं हुई तो। अगर लेबर में अनरेस्ट हुई तो सारी प्रोडक्शन खराब हो जायेगी। इसकी जिम्मेदारी जो नीति प्रतिपादित करते हैं उनकी है। पहले ही से लेबर डिपार्टमेंट इनइफेक्टिव है। कन्सीलियेशन और आर्बीट्रेशन को कोई चीज मानते ही नहीं हैं। हरेक चीज़ को कोर्ट में मालिक लोग ले जाते हैं। राजस्थान सरकार के जितने महकमे हैं वे जो प्राइवेट एम्प्लायर्स से भी ज्यादा बदतर है। आज राजस्थान कैनाल में २० तारीख से हड़ताल चल रही है, और उसका सारा मामला यह है कि उनका फिक्सेशन किया जाय। हमारे मंत्री महोदय से मैंने सुना कि उनकी कि मांगें पूरी होती चली जा रही हैं। एक सवाल है कि उनकी तनख्वाह, जो आर्डर मई में निकला था कि अमुक आदमी की अमुक ग्रेड यह होगी, फोरमैन को २८५) से ५००) रु० तक कर दिया, उसके नीचे असिस्टेन्ट फोरमैन कर दिया, फिर चार्जमैन कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसमें फिक्सेशन की बात को लेकर भूख हड़ताल शुरू हुई तो कह दिया कि मांगों को पूरा करने वाले हैं, जल्दी ही फिक्सेशन करने वाले हैं, अभी भी यह कहा जाता है कि फिक्सेशन जल्दी ही करने वाले हैं, लेकिन २० तारीख से हड़ताल हुई है और २६ तारीख को एक ऑर्डर लेकर हमारे चीफ इन्जीनियर साहब पहुंचते हैं कि जिसमें यह फिक्सेशन किया है कि फोरमैन को असिस्टेन्ट फोरमैन का ग्रेड दे दिया। जो फोरमैन का ग्रेड था उसको लेकर करके असिस्टेन्ट फोरमैन का ग्रेड दे

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

और असिस्टेन्ट फोरमैन का ग्रेड उससे नीचा कर दिया। यों करके एक एक ग्रेड नीचे फिक्सेशन किया है। यह कहां के फिक्सेशन का तरीका हुआ? यह कहां का लेबर डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका हुआ? वे यह ऑर्डर कहां से हासिल कर ले गये जो कि मई के महीने का ऑर्डर था उसके खिलाफ है, फिर लेबर में अनरेस्ट क्यों न हो। राजस्थान कैनाल हम सेन्टर को सौंपने जा रहे हैं। उनका आज तक ग्रेड में फिक्सेशन नहीं हुआ है। उनको खतरा है कि अगर ट्रान्सफर हो गया सारे के सारे प्रोजेक्ट का, तो उनकी तनख्वाहों के बारे में क्या होगा? यहां पर असिस्टेन्ट फोरमैन है तो वहां पर भी असिस्टेन्ट फोरमैन कर देंगे जब कि असल में वह फोरमैन है, उसका डेज़िग्नेशन फोरमैन का है, लेकिन उसके डेज़िग्नेशन को चेन्ज कर दिया। इस गैर-जिम्मेदाराना स्थिति में आगे जो भी काम होने वाला है मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि जहां तक लेबर का ताल्लुक है वह खराब हो रही है और आगे इस साल और ज्यादा खराब होगी और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक होने की गुंजायश है। इसलिए इस खतरे को पहले से ध्यान में रखना चाहिये और जितनी श्रमिकों की वाजिब मांगें हैं उन पर विचार करना चाहिए और विचार करते समय ह्यूमन आउटलुक होना चाहिये और इन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न करना चाहिये, वर्ना स्थिति गंभीर हो जायगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेज़ है वह किस अनुपात में है? हमारे मंत्री महोदय ने बजट में दोनों महकमों को अलग अलग कर दिया। एक्साइज़ और टैक्सेशन को अलग अलग कर दिया और कह दिया कि इस वजह से ज्यादा खर्चा बढ़ गया। मेरी समझ में अब तक यह नहीं आया कि दोनों डिपार्टमेंट्स को अलग करने की क्यों जरूरत पड़ी जिससे कि ज्यादा खर्चा करना पड़ा जबकि एक्साइज़ और टैक्सेशन डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम करता आ रहा था और उसके द्वारा काम किया जा सकता था; हो सकता था, तो दोनों को अलग अलग करके खर्चा बढ़ाने की जरूरत क्यों हुई? किस अनुपात में खर्चा बढ़ा और किस अनुपात में आमदनी बढ़ी? यदि हम सन् ६३-६४ के आंकड़े देखें और जिस प्रपोर्शन में आमदनी बढ़ी है उसका हिसाब लगावें तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन खर्चा हो जायगा। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्शन का स्टाफ और कम होना चाहिये। आज मोटर वेहिकल का टैक्स वसूल करने वाले अलग हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के लिये अलग आदमी हैं, माइन्स के लिए अलग हैं। यह कलेक्शन का तरीका दकियानूसी तरीके से पुराने जमाने से आ रहा है, आप उसको छोड़ कर एक टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट कायम कर दीजिये और सारा कलेक्शन का काम उनके जिम्मे कर दीजिये युनिट्स बनाकर सुपरविज़न ज्यादा कर दीजिये। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कलेक्शन पटवारी करते हैं। मैंने गत अधिवेशन में कहा था कि पटवारी सिवाय इसके कि रेकॉर्ड रखते हैं दूसरा क्या काम करते हैं?

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

बल्कि वे झगड़ा गांवों में आपस में अलग करवाते हैं। पटवारी रेवेन्यू विभाग के भी हैं और सिंचाई विभाग के भी अलग हैं। सिंचाई विभाग के तहसीलदार भी अलग हैं। माइन्स के भी अलग हैं, भाई। आखिर ये हरेक डिपार्टमेंट के अलग अलग क्यों कर दिये ? आखिर कोर्डिनेशन भी होना चाहिए एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। इस तरह से कोर्डिनेशन करके सारा खर्चा बचाया जा सकता है और हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं।

आपने रोड ट्रान्सपोर्ट का कोर्पोरेशन बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी का अलग कोर्पोरेशन बना दिया और इनको अलग से कर दिया। आखिर ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन से आमदनी सरकार को होने का भी कुछ जरिया रखा है या नहीं ? जो देना था वह दे दिया, मोटरें दे दीं, कर्मचारी दे दिये और सब कुछ दे दिया लेकिन लेंगे क्या ? सिर्फ ब्याज। मुनाफे का क्या होगा ? कितना मुनाफा होगा, चैक किस तरह होगा ? इलेक्ट्रिसिटी का भी आपने कॉर्पोरेशन बना दिया, लेकिन उससे जो आमदनी होगी वह कहां जायगी ? क्या कर्जा ही कर्जा हमारे सिर पर रहेगा और उसके ऊपर हमारा कंट्रोल कैसे रहेगा ? प्रशासन का जो कुछ है वह आपके सेक्रेटेरियट में बैठे सेक्रेटरी के हाथ में है, लेकिन आपने जो ऑटोनोमस बोडीज़ बनाई हैं उन पर कंट्रोल तो रहना चाहिये। मैंने गवर्नर के भाषण के समय भी कहा था कि जब आप नेशनलाइज़ करने जा रहे हैं, इन्डस्ट्रीज़ और बोर्ड को हाथ में लेते जा रहे हैं तो उस पद्धति को क्यों नहीं अपनाते ? जैसे कॉमर्शियल कन्सर्न्स में डाइरेक्टर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की रेस्पोन्सिबिलिटी होती है तो इस सदन के सदस्यों को भी इनमें लीजिये, कुछ अधिकारियों को भी लीजिये और कुछ उन लोगों को लीजिये जो नेशनलाइज़ेशन में विश्वास करते हैं या जिनका नेशनलाइज़ेशन में पूर्ण विश्वास है,ऐसे लोगों को लीजिये। यह नहीं कि फलां आदमी बिज़नेस में समझता है इसलिये उसको ले लिया जाय या फलां बनिये को ले लिया जाय, इससे काम नहीं चलेगा। नेशनलाइज़ेशन आप ट्रान्सपोर्ट का करें तो मिशनरी स्पिरिट से करें। केवल किसी सेठ को ले लिया या बनिये को ले लिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। यदि यही हाल रहा तो साल दो साल में यह सब पेंदे में बैठने वाला है; फिर कहेंगे कि राइट ऑफ कर दीजिये। फिर हम पर जिम्मेदारी किस बात की ? आप ऐसे लोगों को लेते हैं जो नेशनेलाइज़ेशन में विश्वास नहीं करते। ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन का हाल मैंने देखा है। पचास-पचास सवारियां टिकट लिये बिना सफर करती हैं, कोई चैक करने वाला नहीं है। यह अधिकार आप एम. एल. एज़ को दे दीजिये कि वे अपने अपने हल्के में देखें कि किसी को बिना टिकट तो नहीं ले जा रहे हैं। यह अधिकार आप प्रधानों और प्रमुखों को भी दीजिये जो समय समय पर चैक करते रहे। सरकारी चैकिंग इन्सपेक्टर जो चैक करते हैं जिनके रुपये बंधे हुए होते हैं जो उनको मिल जाते है। आप इस ओर भी कुछ ध्यान दीजिये और सुधार करने की कोशिश कीजिये। ट्रान्सपोर्ट

Page No 59

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कम्पनियों के बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए। ४०-५० ट्रान्सपोर्ट बंद कर दिये हैं उनकी कोई इन्क्वायरी नहीं की। आर्बिट्रेशन करके संस्था लेकर मजदूरों को दी गई तो जिम्मेदारी के साथ निभाकर काम करें, वर्ना इस तरह से काम चलेगा तो मैं समझता हूं बहुत ही खराबी इसमें आने वाली है।

फिर जहां तक आपकी आमदनी के सीपेजेज़ हैं उनको यदि आप टाइटन करेंगे तो अच्छा रहेगा। काफी लोग देना चाहते हैं लेकिन उनको तकलीफ इतनी है कि देना पसन्द नहीं करते। इसको आप मानवीय तरीके से सोचें।

चम्बल क्षेत्र में किसानों को सिंचाई में जबर्दस्त फायदा हुआ। वहां पर गन्ना बहुत अच्छा हुआ लेकिन मंडी तक ले जाने के लिये सड़कें नहीं हैं। कैनाल पर से ले जावें तो डंडी से उतार देंगे। सड़कों के लिये अब की प्रावधान रखा है लेकिन पता नहीं ये ३० लाख रुपये किसके लिये हैं। गन्ना मंडी तक लाने के लिये विलेज रोड्स बनाने की आवश्यकता है, ले जाने के लिये रास्ते बंद हैं; जो सड़कें हैं उन पर भी नहर का पानी फैल जाता है। इसके अलावा अफसरों का बोसिंग इतना जबर्दस्त चलता है जितना पहले कभी नहीं चलता था। जिस तरह से पुरानी रियासतों के अधिकारी काम करते थे उनसे भी ज्यादा बोसिंग आज चलता है। वे चाहते हैं कि काश्तकारों के डंडे मारें। इस तरह की मनोवृत्ति हमारे ऑफिसर्स की है। इस तरह की चीज चलने से बदनामी होती है और जनता पर खराब असर पड़ता है। यदि वक्त रहते इस चीज पर ध्यान दें तो हालत में सुधार हो सकता है।

फिर इन्डस्ट्रीज़ खोली जायेंगी, नये काम होंगे। मैंने सुना है कि अजमेर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जब कौल साहब फाइनेन्स मिनिस्टर हैं तो अजमेर में मेडिकल कॉलेज तो बनेगा ही लेकिन और डिस्ट्रिक्ट्स का भी ध्यान रखिये। वहां के लोगों के खाने पीने का भी ध्यान रखिये। बहुत से लोग जंगल से लकड़ी सिर पर लाकर अपना गुजारा करते हैं उनकी ओर आपका ध्यान नहीं है, वहां पर छोटी-मोटी इन्डस्ट्रीज़ खोलने का ख्याल नहीं। क्योंकि आप अजमेर के हैं इसलिये अजमेर में मेडिकल कॉलेज खोलने का आपको ख्याल है, और जगह क्या हो रहा है इसका ध्यान नहीं है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिये और एक उद्देश्य रखना चाहिये कि देश में समाजवाद स्थापित करना है। आपका आउट लुक भी उसी तरह का होना चाहिये। आउटलूक कंजर्वेटिव न रख कर प्रोग्रेसिव रखना चाहिये।

(२.०० म० प०)

एक रिस्क लेनी चाहिए और पुराने दकियानूसी एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करना चाहिए और एक नये तरीके से और एक नया एक्सपेरीमेंट करके हमें आगे प्रगति करनी चाहिए। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

Page No 60

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ के अन्दर मैं यह आवश्यक समझूंगा कि वित्त मन्त्री महोदय को, जो उन्होंने अपना भाषण दिया है और बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए धन्यवाद प्रस्तुत करूं। और वह धन्यवाद इसलिए कि अभी तक जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर सदन में वाद-विवाद चला, उसके अन्दर यह मान कर चला गया कि उनका अभिभाषण एक तथ्यहीन अभिभाषण था। कम से कम वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि उनके अभिभाषण को तथ्यहीन न कह कर, जो स्वय ने भाषण दिया है वह अधिक तथ्यहीन था। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जब कि वित्त मन्त्री ने अपना भाषण आरम्भ किया था तो आरम्भ के अन्दर ऐसा लगता था कि जैसे वित्त मन्त्री महोदय किसी काव्य की रचना कर रहे हों और काव्य की रचना करते करते उन्होंने अपने आपको एक चित्रकार की संज्ञा भी दी है। उपाध्यक्ष महोदय, चित्रकार महोदय एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं लेकिन लगता ऐसा है कि उस चित्रकार के हाथ कांपने वाले हैं, और उनके हाथ इतने कांपते हैं कि उन महोदय से कहा जाय कि तुम स्वयं का चित्र बनाओ तो वह स्वयं का चित्र नहीं बना पायेंगे और स्वयं के चित्र के बजाय सुखाड़ियाजी का चित्र बना जायेंगे। उन्होंने चित्र के निर्माण के अन्दर अपने जूझते हुए हाथों से यद्यपि महंगे रंगों का प्रयोग किया है, कीमती रंग इसके अन्दर प्रयोग किये हैं, लेकिन वे इतने उल्टे-सुल्टे लगे कि पता नहीं लग सकता कि चित्र आखिर बना किसका दिया है ?

अभी अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक शब्द को पकड़ कर उनके दिल में टीस पैदा हुई—मैं समझता हूं वह स्वाभाविक है। लेकिन इसके पूर्व उसकी भूमिका अगर वह समझ लेते तो मैं समझता हूं कि इतना दर्द नहीं होता। कौल साहब स्वयं एक नेहरूजी की देन हैं और उनको भी शायद यह आभास हो गया है कि वित्त मन्त्री की हैसियत से जो कुछ भी उन्होंने भाषण दिया है वह उनका अन्तिम भाषण है और आने वाले समय में, आने वाले वर्ष के अन्दर वित्त मन्त्री की हैसियत से वह भाषण नही दे पायेंगे। यही कारण था कि इसी भावना से, इसी प्रेरणा से उन्होंने कहा कि नेहरू युग समाप्त हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९६३-६४ और १९६४-६५ इन दो सालों के जो भाषण और बजट सदन के समक्ष वित्त-मन्त्री ने रखे-उनको देखने से ऐसा लगता था कि किसी वित्त मन्त्री के द्वारा पेश किये हुए बजट हैं लेकिन इस वर्ष का जो बजट पेश किया है उस बजट का अवलोकन करने से यह साफ सिद्ध हो जाता है, और यह स्वयं सिद्ध है, कि वह बजट वित्त मन्त्री ने पेश नहीं किया है, उस बजट का वित्त मन्त्रीजी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ है बल्कि एस० डी० ओ० के कैडर के किसी व्यक्ति ने इस बजट का निर्माण किया है। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि किसी एल०

Page No 61

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

डी० सी० या यू० डी० सी० के द्वारा बनाया हुआ यह बजट है। मैं सोचता हूं कि यह कहना वास्तविकता से आंख मूंदना होगा कि यह बजट किसी एल० डी० सी० या यू० डी० सी० के द्वारा बनाया हुआ है। यह बजट किसी एल० डी० सी० या यू० डी० सी० के द्वारा बनाया हुआ नहीं है बल्कि एस० डी० ओ० के केडर के किसी व्यक्ति का है, ऐसे व्यक्ति ने इसको तैयार किया और इसका निर्माण किया है—यह तथ्य स्वयं इस बजट से साफ हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी इस बजट से और बजट पेश होने से पूर्व एक हलचल सी कर्मचारियों में मची हुई थी कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए वित्त मन्त्री जो कुछ देंगे और उनके महंगाई भत्ते के अन्दर कुछ न कुछ तरक्की होगी। लेकिन जो बजट पेश किया गया है और जो मंहगाई भत्ते के अन्दर बढ़ोत्तरी की है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि समाजवाद का एक नंगा चित्र इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। समाजवाद का नाम लेकर यह सरकार ढिंढोरा पीटती है कि ऊंचे और नीचे के भेद को मिटाने के अन्दर यह सरकार विश्वास रखती है। मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा इन्क्रीमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाय तो सही चित्र सामने आ जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी तक की ग्रेड्स थीं और उन ग्रेडों के अनुसार जो महंगाई का अलाउन्स दिया जा रहा है उसको अगर गौर से देखा जाय तो साफ मालूम पड़ जायगा कि १५०) रु० की आमदनी वालों को अभी तक २५)रु० मंहगाई मिलती थी। अब आपकी घोषणा के अनुसार उनको पांच रुपये की बढ़ोत्तरी मिली है। इसके बाद १५० से ३०० रु० की जिनकी आमदनी है उनको ३० रुपये महंगाई भत्ता मिलता था अब उनको बढ़ा कर ३५ रुपये किया है। इसलिए इनको भी पांच रुपये ज्यादा मिलेंगे। ३०० से ३२० रुपये वेतन पाने वालों को ३५ रुपये मंहगाई भत्ता मिलेगा, यानी उनको भी केवल पांच रुपये का मुनाफा हुआ है। ३२० से ३६० रुपये वेतन जो पाने वाले हैं इनको दस रुपये मंहगाई भत्ता दिया जाता था, अब इसके बजाय इनको ३५ रुपये दिये जायेंगे, यानी ३२० से ३६० रुपये वेतन पाने वालों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में २५ रुपये की बढ़ोत्तरी इस समाजवादी सरकार ने की है। इसी प्रकार से ३६० रुपये तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति थे जिनको ४०० रुपये मिल सकते थे। यानी उनको पहले ९ रुपये महंगाई भत्ते के मिलते थे लेकिन अब उनको महंगाई भत्ते के ३५ रुपये दिये हैं; इस प्रकार इन लोगों को भी २६ रुपये का मुनाफा हुआ है। और ४०० से लेकर ५४० रुपये वेतन पाने वाले व्यक्ति को ३५ रुपये का मुनाफा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो स्थिति थी उसमें ४०० रुपये से ज्यादा वेतन पाने वाले व्यक्ति को कोई महंगाई का अलाउन्स नहीं दिया जाता था। अब इस घोषणा के अनुसार उन व्यक्तियों को, जो ४०० से ५४० रुपये तक पाते हैं, ३५ रुपये दे दिये गये हैं और ५४० से ५७५ तक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को ३५ रुपये का मुनाफा दे दिया गया है। मैं वित्त मंत्री

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यही समाजवाद है ? आज इस मंहगाई से जो तबकाग्रस्त है, जो इससे परेशान है, जो अपने घर का बजट, अपने घर का खर्चा ठीक प्रकार से नहीं चला पाता है वह तबका आपका यह नहीं है जो चार सौ से ज्यादा वेतन पाने वाला है, वह तबका तो वह है जो गरीब है और जो चार सौ से नीचे वेतन पाता है। आपने १५० से ३०० रुपये तक वेतन पाने वाले को केवल पांच रुपये का मंहगाई भत्ता दिया है । इससे ऊपर पाने वाले को आपने २५ रुपये, ३० रुपये और ३५ रुपये मंहगाई भत्ता दिया है। क्या यह समाजवाद है ? क्या इसी समाजवाद को लेकर समाजवाद का नक्शा रखना चाहते हैं, अगर आपका यही समाजवाद है तो आपका समाजवाद धन्य है और आपकी नीतियों को धन्य है, जिनका आप ढिंढोरा पीटते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने केवल अनाड़ी और वृद्ध चित्रकार होने के नाते बजट के द्वारा राजस्थान का चित्र खींचना चाहा हो बल्कि इस भाषण के अन्दर, मैं तो यहां तक कहूंगा बहुत क्षमा मांगते हुए, इतनी अपमानजनक बात कही है, इतनी भद्दी बात कही है कि अगर वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होते तो विद्रोह कर बैठते, वे सरकारी कर्मचारी अगर मजबूर नहीं होते तो नौकरी को लात मार कर अलग हो गये होते । उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण में पंक्तियां दी हैं, मैं सोचता हूं जो व्यक्ति आत्म-सम्मान रखता है, जिसके हृदय के अन्दर थोड़ी भी टीस है वह इन शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपने कहा है-ताज्जुब की बात है कि ज्यादातर नौजवान, क्लर्कों की नौकरियों में भर्ती होते हैं। इसकी वजह शायद यह है कि क्लर्की में दूसरे व्यवसायों के मुकाबले मेहनत कुछ कम है और सहूलियतें कुछ ज्यादा हैं। मैं सोचता हूं, वित्त मंत्री महोदय आपके लिए इन शब्दों का कहना किसी तरह से शोभनीय नहीं है क्योंकि यह बात वास्तविकता से परे है। आप अनुमान लगाते, जो व्यक्ति क्लर्क बनता है वह इच्छा और सुख की आशा से बनता है। आज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास व्यक्तियों को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, उनके घरों की परिस्थितियां मजबूर करती हैं और वे एल. डी. सी. और यू. डी. सी. की नौकरियां करते हैं। उनके इमीजियेट ऑफिसर के सामने उनका कितना अपमान होता है, कितनी बेइज्जती होती है इसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते ! मै कहूंगा, वित्त मंत्री महोदय, मैं इसे जानता हूं क्योंकि मैंने एल. डी. सी, की हैसियत से वर्क किया था ।

मैं जानता हूं कि कितना अपमान होता है, कितना ह्यूमिलियेशन होता है ? ऊंचा बास है वहां तक तो उसका अप्रोच हो ही नहीं सकता। जो उसका इमीजियेट बोस होता है उसकी खुशामद के लिये उसे क्या क्या नहीं करना पड़ता, उसको उससे घर के क्या क्या काम नहीं करने पड़ते। और उनके सम्बन्ध में यहां यह बात कह कर आप हमसे सर्टिफिकेट लेना चाहते

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हैं कि वित्त मंत्री ने बहुत अच्छा भाषण दिया। इस तरह की बात कह कर आपने उनका अपमान किया है, आपने उनकी इज्जत के साथ खेल किया है। आप उनको ५ रुपया देते हैं, उनकी हालात की ओर देखने का आपने प्रयास नहीं किया; आपने जले पर और नमक छिड़का है।

इनमें से कुछ व्यक्ति मुझे मिले थे, जिस वक्त भाषण और मीटिंग की बात चल रही थी तो वे कह रहे थे कि जब हम वित्त मंत्री के सामने गये और हमारी समस्याओं को उनके सामने रखा तो यह तो नहीं कि हमें सान्त्वना दें कि बजट आ रहा है, शान्ति रखो; बल्कि उनको इस प्रकार की बात कहते हैं जो वित्त मंत्री के केडर के व्यक्ति को शोभा नहीं देता। वे कहते हैं, उन्हें आपने कहा छोड़ जाओ नौकरी, जहां अच्छी तनख्वाह मिलती हो वहां चले जाओ। इस प्रकार की बात वित्त मंत्री के केडर के व्यक्ति कहें, यह आशा नहीं की जा सकती, जब कि आप और हम सभी समझते हैं कि हम इन्हें ठीक महंगाई भत्ता नहीं दे सकते, इसके लिये हमारी फाइनेन्शियल कन्डीशन्स की मजबूरिया हैं। इस प्रकार उनको दुत्कारा गया और फिर सर्टिफिकेट दिया गया कि ऐशो-आराम पसंद करते हैं इसलिये एल. डी. सी. बनना पसंद करते हैं। वित्त मंत्री महोदय, यह वह तबका है, जो पढ़ा-लिखा है, जो अनएम्प्लोयड हैं या अन्डर-एम्प्लोयड हैं, जिसका कोई जैक नहीं, अगर इस तबके के पास जैक होता तो ये भी आज सेक्रेटेरियेट में मौजूद होते ऊंची कुर्सियों पर, इनका जैक नहीं, इन्हें इनकी मजबूरियां परेशान करती हैं, इनको एल. डी. सी., यू. डी. सी. बनने को मजबूर होना पड़ता है। और आप उनकी तकलीफें दूर न करके उनका इस तरह से अपमान करते हैं।

हमारी सरकार समाजवादी सरकार होने का दावा करती है, पर मजदूरों के लिये माथुर कमेटी की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। ५ महीने हो गये वह रिपोर्ट खटाई में पड़ी है। सरकारी कर्मचारियों के लिये आप ऑल इन्डिया कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स है उस पर विचार नहीं करना चाहते और एडहॉक बेसिस पर पांच रुपया महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करते हैं। पांच रुपया एक बार, पांच रुपया दूसरी बार और पांच रुपया अब बढ़ाती है और कर्मचारियों को इस प्रकार का सर्टिफिकेट देती है। मैं समझता हूं इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की अवहेलना करना सरकार के लिये शोभाजनक नहीं है।

बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कई समस्याओं को रखा कि कई डिपार्टमेंट्स को तोड़ कर विभागों में इकोनोमी कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माइन्स को बढ़ाइये, रॉयल्टी बढ़ाइये, जंगलों के टैक्स बढ़ाइये, नोन-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाइये, पर आप इस तरह से सरकारी कर्मचारियों की अवहेलना नहीं कर सकते, उन्हें यह कह कर कि आप आराम पसंद हैं, फिर भी हम महरबानी कर रहे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है कि ५ रुपया एडहॉक बेसिस पर महंगाई बढ़ा रहे हैं।

आज इन सारे कर्मचारियों के पारिवारिक बजट की जांच करनी चाहिये, महंगाई भत्ता इनके वेतन में शामिल करना चाहिये, यह हमारी मांग है, यह समय का तकाजा है। आज आप डीयरनैस अलाउन्स को उनके वेतन से अलग कर रहे हैं और महंगाई भत्ते को अलग बता कर समाज को बता देना चाहते हैं कि हम इनको इतना महंगाई भत्ता देते हैं । मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि क्या आप आशा करते हैं कि आज के युग में या आने वाले समय में ३९ के आधार पर इन लोगों का वेतन तय किया था, उस समय जो वस्तुओं की कीमतें थीं, उस स्तर पर क्या आप भावों को ला सकते है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भाव गिरते गिरते उस स्तर तक ले आयेंगे ? नहीं ला सकते। मूल्य उस स्तर तक नहीं आ सकते। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि सर्विसेज़ को स्टेबिलाइज कीजिये, स्थिर कीजिये, वेतन में ही महंगाई अलाउन्स मिला दिया जाय, वेतन प्राइस स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाय जो फेमिली को देखते हुए पर्याप्त हो। आज राजस्थान सरकार क्या कर रही है, इन व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना महंगाई भत्ते के रूप में रुपया देंगे उतना ही इन्फ्लेशन आयेगा, फिर महंगाई भत्ता बढ़ायेंगे, कीमतें बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आयेगा और यह दौड़ कभी कम नहीं होगी, बढ़ती ही जायगी। तो आज के युग में इन्फ्लेशन को रोकने की आवश्यकता है। मूल्यों को नियन्त्रित किया जाय, सब्सिडाइज्ड शॉप्स सरकार खोले, सरकारी कर्मचारियों के लाइफ इन्डेक्स को देखते हुए, जहां तक जितना उनको देना जरूरी है, वह दे। महंगाई भत्ता आप बढ़ा देंगे, आप वेतन बढ़ा देंगे इससे कोई हल नहीं होगा, महगाई निरंतर बढ़ती जायगी और इससे देश की स्थिति और विषम हो जायगी।

आरम्भ में मैंने निवेदन किया कि यह बजट नहीं, यह तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बनिये ने हिसाब बना कर पेश किया हो और कैसे बनाकर पेश किया कि ५ मेरे पास आयेंगे, ८ का मेरा खर्चा है, ३ का घाटा है, १ का ले लूं कर्जा और २ की ले लूं हुण्डी, इस प्रकार बराबर कर दूं। फिर ब्याज कहां से दूं ? ब्लैक कर लूं, काला बाजार कर लूं, उससे ब्याज चुका दूं और आधा रुपया बचाकर अपने पास जमा कर लूं और मुनाफा बताऊं। हमारे वित्त मंत्रीजी ने भी इसी प्रकार के आंकड़ों के जाल में यह बजट पेश किया है।

इनकी क्या योजना है, कृषि के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाय, उद्योगों का उत्पादन कैसे बढ़ायेंगे, कीमतें कैसे कम होंगी, ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। आंकड़ों के अन्दर ही सारे सदन को फंसाने का प्रयास किया है।

बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि ६४-६५ का बजट पेश किया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वह ८७ लाख के घाटे का बजट पेश किया था और बजट स्पीच देने लगे तो जैसे वित्त मंत्रीजी का जादू का डंडा घूम रहा हो, आपने कहा कि ८७ लाख के घाटे का बजट था पर परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगा कि ३ करोड़ का घाटा चला जायगा, पर हमारी होशियारी से ३ करोड़ का घाटा नहीं आया बल्कि वह घाटा ८७ लाख से घट कर ७० लाख ही रह जायगा और आपने यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि मेरी एफिशियेन्सी के कारण जो ८७ लाख का घाटा होना चाहिये था वह ७० लाख का ही रह गया, ८७ लाख के घाटे का बजट पेश किया था, उसमें १७ लाख की बचत कर ली।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह माया जाल है, इन आंकड़ों के जाल को देखा जाय तो वित्त मंत्रीजी को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, वाह रे चित्रकार तूने कैसा चित्र बनाया, कैसा नक्शा बनाया, इन आंकड़ों से दुनिया को धोखा दिया है।

राजस्व वसूली खाते में ७३ करोड़ ३२ लाख का बजट अनुमान था, संशोधित अनुमान ७५ करोड़ ४९ लाख रुपया दिया, आपके जो अनुमान थे उनसे २ करोड़ १७ लाख रुपया अधिक मिला, इसके मुकाबले में जो राजस्व खाते से खर्च का आपका अनुमान था वह ७२ करोड़ ८१ लाख था, संशोधित अनुमान ७४ करोड़ ४७ लाख का। इस प्रकार इसमें १ करोड़ ६६ लाख का घाटा रहा। इस सब के बाद बैलेंस बचा ५१ लाख। ५१ लाख की बचत हुई।

इन सब आंकड़ों को बताकर और थोड़ा पूंजी खाते में जमा-खर्च बता कर वित्त मंत्री ने यह बताया कि उनको ४,६४,००,००० का नुकसान हुआ। फिर आपने यह बताने की कोशिश की कि क्योंकि अकाल की परिस्थितियां आ गई और सरकारी कर्मचारियों के वेतन के अन्दर वृद्धि करनी पड़ी इन सबका कारण था तीन करोड़ रुपए का नुकसान। लेकिन होशियारी से यह नुकसान घटा कर आपने केवल ७० लाख किया। परन्तु यह वास्तविकता के प्रतिकूल है। राजस्थान सरकार को केन्द्र से जितनी आशा थी उसके मुकाबले में लगभग ४ करोड़ रुपए इस राजस्व खाते के तहत मिला। आर० ए० सी० के तहत, एड फ्रोम दी सेन्टर, इन्कम-टैक्स शेयर, एस्टेट ड्यूटी शेयर, इन्ट्रेस्ट फ्रोम दी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इसमें से आपने वह खर्चा निकाल दिया है जो आपने ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन बनाया, वह शामिल नहीं किया। तो अगर इस आय को देखा जाय तो जो रुपया केन्द्र से मिला है वह ४ करोड़ है। आपको घाटा आमदनी में हुआ है, अतः यह आपकी एफीशियेन्सी का द्योतक नहीं है। यह बताता है कि वित्त विभाग निकम्मा है जो माइन्स के अंदर, सेल ऑफ लेंड के अन्दर नुकसान हुआ। यह आपके कर्मचारियों और आपकी इन-एफीशन्सी के कारण हुआ लेकिन जो ४ करोड़ रुपए केन्द्र से अधिक सहायता मिली और इतना ही नहीं, आपको कैपिटल खाते के अन्दर बीज और रसायन खाद खरीदने के

Page No 66

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लिए सवा दो करोड़ रुपया मिला, आपको फेमिन के लिए २,४०,००,००० रुपया मिला। जब फेमिन की रकम को निकालें तो आपको लगभग ६ करोड़ रुपया अधिक मिला। राजस्व खाते और पूंजी खाते में केन्द्रीय सरकार से ज्यादा मिला है और आप इस सारे नक्शे का श्रेय अपने को देना चाहते हैं और कारण आपने बताया कि महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ा, आपने बताया कि हमको अकाल सहना पड़ा। महंगाई भत्ते में इस चालू साल के अन्दर १९६४-६५ में राजस्थान सरकार ने अपने पास से ७५ लाख रु० खर्च किया। महंगाई भत्ते के कारण सरकार के ऊपर जो राजस्व खाते के तहत जो अधिक भार पड़ा वह केवल ७५ लाख का था और फेमिन के कारण जो आपके ऊपर अधिक भार पड़ा वह केवल २,७६,००,००० का था। इन दोनों की रकमों के मुकाबले में, जो केन्द्र से आपको आशा से अधिक लगभग ७ करोड़ रुपए मिले हैं, आपके पास इसका क्या जवाब है? आप हर प्रकार से अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए बहाना बनाते हैं, अकाल का बहाना, तो कभी महंगाई भत्ते का बहाना; लेकिन महंगाई भत्ते में और अकाल के तहत आपको लगभग तीन करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जब कि इसके मुकाबले में केन्द्र से जो रुपया ज्यादा मिला है वह लगभग ६ करोड़ मिला है तो आखिर आप सर्टीफिकेट हम से किस बात का लेना चाहते हैं। यह आंकड़ों का जाल है। जिस प्रकार बनिया जोड़-बाकी का हुंडियों से हिसाब लगा कर बताता है, उसी प्रकार वित्त मन्त्री ने कोशिश की है कि गत साल के अंदर कितनी होशियारी से नुकसान बैठा लिया, यह धोखा है। सत्यता यह है कि गत वर्ष के अन्दर इस वित्त विभाग की अकर्मण्यता के कारण राज्य सरकार को काफी नुकसान हुआ है, जितना प्रत्येक विकास क्षेत्र के अन्दर होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इतना ही नहीं वित्त मन्त्री महोदय ने वही जादू का डण्डा केवल गत वर्ष के लिए नहीं रखा लेकिन जो चालू बजट है १९६५-६६ का है, उसके अन्दर भी इसी प्रकार के आंकड़े हैं। राजस्व खाते के अन्दर घाटा ४,७३,००,०००, पूंजी खाते के अन्दर ४,३४,००,०००। इस प्रकार आपने ३९ लाख का घाटा बताया। आप आशा करते हैं कि योजनाओं के अन्दर ५० लाख का घाटा पूरा हो जायगा और मुनाफा बताया ११ लाख का। क्या बजट रखा है आपने? इसी आधार पर आप कहते हैं कि उद्योग और खेती पनपेंगे और बेकारी मिटेगी और कीमत गिरेंगी। इसके बाद आपने अपनी होशियारी से टैक्सेज हम पर इम्पोज किए जिनका अधिक विवरण बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने किया।

श्री गोकुलप्रसाद (मांडल) : आपने प्रेरणा ली है उनसे?

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रेरणा तो आप हम से लेंगे। एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब इधर आकर आप बैठेंगे तब आप प्रेरणा लेंगे। इस प्रकार आपने १,५५,००,००० के कर लगाए हैं, यह उचित नहीं है। मुझे याद आता है, एक स्थान पर मंत्री महोदय ने अपने भाषण में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कहा था, वह पत्र मैं लाना भूल गया हूं कि अब राजस्थान की जनता में कर सकने की शक्ति नहीं है। तो सदन के अन्दर कुछ और बाहर कुछ वित्त मंत्री बोलते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : समझ की बात है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप राजस्थान की जनता पर १,५५,००,०००) के जो टैक्स लगाए हैं, किस आधार पर लगाए हैं। क्या आप मानते हैं कि राजस्थान की जनता फिर इतने बढ़े हुए टैक्सेज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता रखती है? इसका असर छोटे तबके पर आता है; जैसे मनोरंजन कर। सिनेमा है इसके अन्दर जो एक रुपए के अन्दर टिकट है उसमें आप और हम नहीं जाते। वहां मजदूर, तांगेवाला जो दिन भर की थकान को सिनेमा के द्वारा मिटाना चाहता है, उस पर आपने ४० प्रतिशत इन्क्रीज़ किया। यह कहां तक न्याय है? अगर आप दो रुपए के टिकट पर लगाते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, यद्यपि वह टैक्स भी आप और हम पर पड़ता है, फिर भी एक रुपए वाले टिकट पर टैक्स का असर गरीब पर पड़ेगा जिसके मनोरंजन का दूसरा साधन नहीं है। एक आदमी जो गरीबी के कारण ट ा हुआ रहता है जो किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाता है और सिनेमा में एक रुपए या उससे कम वाले टिकट में जाता है उस पर यह कर अनुचित है। आपने मेडीसन्स पर बढ़ा दिया। यात्री-कर किस पर लगा, भाड़ो पर जो टैक्स लगाया और कीमतें जो बढ़ी, उसका असर किस पर पड़ा? इसी प्रकार कुओं के ट्रांसफर के सम्बन्ध में आपने टैक्स लगाए हैं। इससे आप आशा करके चलते हैं कि २० लाख रुपया आप किसानों से वसूल करना चाहते हैं। जब आपका बिल आएगा उस वक्त हमें बोलने का काफी समय मिलेगा। इस समय ज्यादा न कह कर केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि १,५५,००,०००) घाटे में से अगर आपने ११ लाख के मुनाफे को कम कर दिया तो १,४४,००,०००) रह जाता और उसमें से भी जो बाकी ७७ लाख हैं उसको भी निकाल दें तो ७७ लाख रह जाते हैं और इसमें से जो आपने टैक्स लगाए हैं, आपको बड़ा शौक है टैक्स लगाने का, वह टैक्स जो गरीब जनता पर पड़ता है, उनको आप न लगाते तो "नो प्रोफिट नो लॉस" का बजट बन सकता था। लेकिन आपको टैक्स लगाने का शौक है। टैक्स लगाकर आप इस प्रकार रोकना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से राजस्थान की उन्नति किसी प्रकार नहीं कर सकते। टैक्स लगाते समय उन नीतियों को मानना पड़ेगा कि जिन वस्तुओं का राजस्थान में व्यापार होता है, जिन वस्तुओं का राजस्थान में उत्पादन होता है, उनका उत्पादन और व्यापार बढ़े और उसकी खपत हो, और खपत कब हो सकती है उन वस्तुओं की जिनका व्यापार राजस्थान में होता हो, उत्पादन होता हो, वह बमुकाबिले लगे हुए राज्यों के; जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, वहां पर वे वस्तुएं सस्ती हों, तब ही राजस्थान में उन चीजों को खरीदने के लिए वहां के व्यापारी आकर्षित होंगे। इस मान्यता को लेकर चलेंगे तब ही तरक्की

Page No 68

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कर सकते हैं। सैल्स टैक्स और दूसरे टैक्स भी लगे हुए हैं वे उसमें आ जावेंगे। मुख्य मंत्रीजी बड़ी बड़ी घोषणायें करते हैं कि अमुक मिल को शेयर छोड़ने की बात कर रहे हैं, उस माल में इतना मुनाफा कर रहे हैं, सवाई-माधोपुर की फेक्टरी में इतना कर दिया, लेकिन जब यह पूछते हैं तो ठंडी सांस लेकर कहते हैं कि हमारी इतनी आमदनी बढ़ गयी और इससे क्या जावेगा। छूट के बाद भी जनता को फायदा होगा और राजस्थान को आमदनी होगी। उस लॉजिक को लेकर अगर आप हमारे व्यापार को तरक्की देने के लिए उस टैक्स में रेमिशन करते हैं, नये टैक्सों में कमी करते हैं और बमुकाबले अन्य राज्यों के हमारे यहां भाव सस्ते होते हैं तो खजाने में अधिक पैसा आवेगा और कमी नहीं आवेगी।

मैं इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, जनरल बात निवेदन करना चाहूंगा कि आज समाज की तरक्की के लिए आवश्यक है और एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवायें, इन चारों का संतुलित विकास हो। ये चारों सेन्टर बिल्कुल बेलेन्स्ड होकर अपने आप अपनी नीतियों के द्वारा राजस्थान में विकास करते रहें और अगर इनका विकास होता है और बेलेन्स कायम रहता है तो मैं सोचता हूं प्राइस लेवल नीचे ले जाते हैं और अन्य समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारी सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है।

जहां तक उद्योगों का प्रश्न है, मैं यह मान कर चलता हूं कि उद्योग तो राजस्थान में ऐसी अवस्था में चल रहे हैं कि उनको हर प्रकार से उन्नत करने की आवश्यकता है। उद्योगों के प्रसार का जहां तक सवाल है सरकार को कोटेज इन्डस्ट्रीज़, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ और बड़े बड़े उद्योगों में तालमेल करना पड़ेगा, अपनी नीति के अनुसार उनका प्रसार करना पड़ेगा, कौन से उद्योग आगे लाये जांय और कौन से उद्योग पीछे ले जायं और जिस नीति का प्रतिपादन होना चाहिये वह श्रम प्रधान नीति होनी चाहिये। पूंजी का कम खर्च हो और हाथ ज्यादा लगे। हमारी स्माल स्केल और कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोत्साहन दें और बड़ी इन्डस्ट्रीज़ भी राजस्थान में हों। छोटी इन्डस्ट्रीज़ और बड़ी इन्डस्ट्रीज़ इन सबका तालमेल कृषि और उसके विकास पर है। जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राजस्थान की क्षमता है उसको देख कर उन इन्डस्ट्रीज़ का विकास हो; चाहे छोटी हो या बड़ी इन्डस्ट्रीज़ हों राजस्थान में उस स्तर पर उनको लगाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीयकरण हो, या राष्ट्रीयकरण न हो यह एक अजीब दौर चल पड़ा है। जो यह सोचते है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये वे उन्नीसवीं शताब्दी में रहते हैं और जो यह सोचते हैं कि राष्ट्रीयकरण न हो वे चौदहवीं शताब्दी में रहते हैं। दोनों ही सिद्धान्तों के साथ चिपक कर नहीं चला जा सकता। परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर किसी का राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है, अगर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

परिस्थितियां ठीक नहीं है तो राष्ट्रीयकरण की नीति को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन दोनों नीतियों को पकड़ कर बैठे रहते हैं तो उनको कन्जर्वेटिव मानेंगे । चाहे राष्ट्रीयकरण करने वाले अग्रसर कहे जाते हों, लेकिन मेरी और मेरे दल की यह मान्यता है कि प्रत्येक स्टेज पर दोनों के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा । जो मूलभूत उद्योग हैं, युटिलिटी के उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण करना होगा; दूसरे उद्योग हैं जिनके लिए विदेशों से पूंजी सरकार के द्वारा लायी जाती हो, उनका भी राष्ट्रीयकरण करना होगा, दूसरे उद्योगों को स्वतन्त्र छोड़ना पड़ेगा । हमारे देश की यह मान्यता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार को आदर्श रखने पड़ेंगे, समाज में यह बताने के लिए कि अमुक प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ किस प्रकार चल सकती हैं, मजदूर वहां के किस प्रकार और कैसे हैं । एक आदर्श पैदा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में, हमारी भी मान्यता है, व्यापार को आंशिक रूप से नेशनलाइज़ करना चाहें तो जरूर करना चाहिये ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : नेता एतराज नहीं करते ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : एतराज का प्रश्न कहां ? यह तो दल की नीति है ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : यह नीति सुन कर खुशी हो रही है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्राइवेट सेक्टर में आंशिक रूप से । यह नहीं कि मोनोपोलाइज़ कर लें, चाहें तो राष्ट्रीयकरण करें ; आंशिक रूप से होना चाहिये । इस आधार को लेकर, गल्ले के व्यापार के बारे में, यातायात के बारे में; आपने सिद्धान्त का निर्धारण किया है लेकिन जहां तक हमारे दल का सवाल है वह यह मानकर चलता है कि ये सारी चीजें जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनमें आदर्श कायम करने के लिए आंशिक रूप से उस पर कन्ट्रोल रखिये लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे धन्धों को आप नेशनलाइज़ कर लें । आपने रोडवेज़ बनायीं, राष्ट्रीयकरण कर दिया मार्गों का, लेकिन इसके पेरेलल आप प्राइवेट पार्टीज़ को भी प्रोत्साहन दीजिये, जैसे बैंक हैं । खादी में कम्पीटिशन हो । मैं खादी के विषय में जब मांग आवेगी तो बोलूंगा । आप आइये कॉम्पीटिशन पैदा कीजिये और एक आदर्श पैदा कीजिये । तो, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार एक बात के ऊपर चिपके रहना कि राष्ट्रीयकरण हो और राष्ट्रीयकरण न हो, दोनों ही खतरनाक हैं । परिस्थितियों के अनुसार दोनों में समन्वय हो और एक सिद्धान्त बनाकर चलते हुए कि कभी यह आवश्यकता हो जाय कि अमुक चीज प्राइवेट सेक्टर में है और वह वहां चलनी चाहिए, लेकिन यदि परिस्थितियां और देश का हित यह है कि उस चीज को नेशनलाइज़ करना है, उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये तो हमारे दल की यह मांग है कि ऐसी परिस्थितियों पर विचार करने के लिए कि राष्ट्रीयकरण करना चाहिये या नहीं करना चाहिये, एक जुडिशियल आयोग बनाया जाय । ऐसे आयोग में जुडिशियल पर्सन्स हों और वे सारी परिस्थितियों का अवलोकन करके निर्णय करें कि वास्तव में राष्ट्रीयकरण

Page No 70

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आवश्यक है या नहीं। यदि एक ज्युडिशियल आयोग बना लेते हैं और वह यह विचार कर लेता है कि अमुक उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, तो हमारा दल उसको मान लेगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : इसमें जुडिशियल आयोग का क्या मतलब ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस प्रकार सरकार का रवैया देखने को मिला। गंगानगर में रोडवेज़ का राष्ट्रीयकरण करने का था लेकिन वहां के रूट्स नहीं लिए गए क्योंकि इलेक्शन जीतने का था तो कह दिया हमने कोर्पोरेशन बना दिया है अब इसको वह करेगा। इसी प्रकार जिन इन्डस्ट्रीज़ से चन्दा मिलता है उनको आप प्राइवेट सेक्टर में ही रख देते हैं जिनसे चन्दा नहीं मिलता उनको पब्लिक सेक्टर में ले लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा, न्यायिक आयोग बनाया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अगर जुडिशियल आयोग में ओमीशन्स आदि होंगे तो क्या होगा ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसके लिये यह हाउस बैठा है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : हाउस को अधिकार नहीं जुडिशियरी में दखल दे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो फिर इस्तीफा देकर बाहर आया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक मैंने उद्योगों के बारे में अपना मत प्रतिपादित किया है, अब मैं खेती के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आने वाली परिस्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा ; मेरी यह यह मान्यता है और सरकार भी यह मानती है प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि राजस्थान की ७० प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। इसके अन्दर ऐसे लोग हैं जिनकी पर्जिग कैपेसिटी सब से कम है। ऐसे समाज के अन्दर जिसके अन्दर सत्तर प्रतिशत व्यक्ति केवल खेती पर ही निर्भर करते हैं, इसके अन्दर ऐसे व्यक्ति अधिकतर हैं जो लेन्डलैस हैं जिनके पास इकोनोमिक होल्डिंग नहीं, इस प्रकार की स्थिति किसी समाज के लिये, किसी सरकार के लिये, किसी राज्य के लिये शोभाजनक नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आज जबकि जमीन पर प्रेशर अधिक है लेन्डलैस पर्सन्स जमीन पर ज्यादा हैं ; ऐसी हालत में आप को अपनी नीतियों द्वारा इस प्रकार का प्रयास करना चाहिये, जिससे प्रति एकड़ पर बर्डन कम होता चला जाय। खेती पर जो भार पड़ा हुआ है उनको दूसरे उद्योगों की तरफ अट्रेक्ट करें तभी हम राजस्थान की विकास का अच्छा नक्शा प्रदान कर सकते हैं।

मूल्य निर्धारण के बारे में आज सरकार की कोई नीति नहीं है, मूल्य स्वाभाविक रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं तो बढ़ते ही चले जायेंगे ; घटोत्तरी होती जायगी तो घटते ही जायेंगे। इसके लिये योजनानुसार, नियमों के अनुसार भावों की रोक हो, भाव बढ़ गये हों तो घटाये जायं। इस बारे में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आपका ध्यान जाना चाहिये। योजनाओं के साथ साथ देश का विकास होता है, राजस्थान का विकास होता है। मूल्यों के अन्दर अगर बढ़ोत्तरी होती है तो उसके कारण मंहगाई आयगी। ऐसी योजनाओं का तात्पर्य नहीं; इसके मायने यह हुए आपकी योजना असन्तुलित है, मरजी आये तब भाव बढ़ जायें मरजी आय तब घट जायें। कभी सडन इन्क्रीज़ होता है, कभी सडन फाल होता है; यह देश के लिये हितकर नहीं है। सडन इन्क्रीज़ और फाल जो होता है उसका कारण बिचौलिये हैं, चाहे वे व्यापारी हों चाहे दूसरे हों; इससे उनकी सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ती है। मूल्य निर्धारण करते समय इस बारे में भी नीति का निर्धारण करके चलना चाहिये।

हमारे वित्त मंत्री महोदय को इन बातों से मतलब क्या? उनको तो नक्शा खींचना था; चाहे वह मुख्य मंत्री का बने, चाहे किसी मंत्री का बने उन्होंने, नक्शा बनाकर दे दिया। अगर आप चाहते हैं, समाज की सु-रचना हो तो देश के अन्दर जो भ्रष्टाचार के बढ़े हुए तत्व हैं, जिसने सारे देश को और राजस्थान को भ्रष्टाचार से डुबो दिया है आज उस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करिये।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक योजना की ओर सरकार का ध्यान दिलाकर अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। वह योजना केवल चार करोड़ की है। अगर आप उसके लिये इन्क्वायरी कमेटी बिठाने के लिये तैयार हो जायं तो मैं यह सिद्ध कर सकता हूं इस चार करोड़ में एक करोड़ रुपये का घोटाला है। वह योजना ज्यादा दूर की नहीं, राणा प्रताप सागर डैम की योजना है। कोटा के पास यह डैम है। उस डैम को बनाने का जो ठेका दिया गया, जिस प्रकार के हथकन्डे इसमें अपनाये गये, जो रवैया चल रहा है उस पर गौर किया जाय। स्पष्ट रूप से प्राइमाफेसी एस्टेब्लिश होती है, एक करोड़ रुपये का इसमें घोटाला है।

राणा प्रताप सागर डैम का निर्माण सन् ६१ के अन्दर आरम्भ हुआ था; इसके निर्माण के पूर्व सरकार द्वारा टेन्डर्स इन्वाइट किये गये। उसके बाद लोगों ने टेन्डर्स दिये लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस समय टेन्डर्स इन्वाइट किये गये उसमें इस प्रकार की शर्त नहीं थी कि ठेकेदार को अर्नेस्ट मनी देनी पड़ेगी। जो 'ए' क्लास के ठेकेदार होते हैं उनको अर्नेस्ट मनी जमा कराना जरूरी नहीं। अचानक किसी को फायदा देना होता है। टेडर आमन्त्रिन्त किये गये, उसके २४ घंटे पहले यह कहा गया कि टेन्डर स्वीकृत उसी हालत में होंगे जब कि वह चार लाख रुपये अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करायेगा। नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के बड़े बड़े ठेकेदार जिनको फायदा होता तो राजस्थात को फायदा होता, उनके द्वारा निर्माण होता तो राजस्थान के मजदूरों को मजदूरी मिलती। चार लाख रुपये की अर्नेस्ट मनी की शर्त रख दी।

श्री बालकृष्ण कौल : तो उनकी अर्नेस्ट मनी देने की हैसियत नहीं थी क्या ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन २४ घंटे पहले किसी से चार लाख रुपये मांगते हैं तो वह कहां से ला सकता है ? पहले तो आपने इस प्रकार की शर्त नहीं रखी थी । इसके बाद कुछ व्यक्तियों ने अर्नेस्ट मनी के साथ टेन्डर पेश किये, उनका एक्सेप्ट हो गया ।

कोटा बेरजेज़ या दूसरे बेरेजेज़ का जितना भी निर्माण हुआ है उसमें किसी से इस प्रकार अर्नेस्ट मनी नहीं मांगी गयी, वह यहां के ठेकेदारों द्वारा कराया गया । राणा प्रताप सागर डैम के लिये जो रेट्स मन्जूर की गई वे रेट्स उन रेट्स से २५ प्रतिशत अधिक हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : गोयल साहब आप यह बताने की कृपा करेंगे फाइनेन्स रूल्स के अन्तर्गत टेन्डर लेने के लिये अचानक इस प्रकार की शर्त डाली जा सकती है क्या ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : डाली नहीं जा सकती फिर भी डाली गई है । चम्बल क्षेत्र में जितने भी इस प्रकार के बैरेजेज आदि बने हैं किसी में इस प्रकार की शर्त नहीं डाली गई । टेन्डर जब एक्सेप्ट हो गये उसके दो महीने बाद यह होता है कि १५ लाख रुपये कर्जे में से अर्नेस्ट मनी ली जाय । इसका नतीजा यह हुआ कि २५ परसेन्ट अधिक रेट्स पर वह ठेका दिया गया । इसमें इतना घोटाला है; जिस कम्पनी को राणाप्रताप सागर डैम का ठेका दिया गया वह मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी है । इस को सबसे बड़ा मुनाफा दिया गया है । चार लाख रुपये की अर्नेस्ट मनी का मामला इस प्रकार हल हो गया कि सरकार मशीनरी के लिये ९० प्रतिशत लोन पर्चेज़ के लिये देती है । मशीनरी की कीमत का ९० प्रति- उधार दिया जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, यह मोडर्न कन्स्ट्रकशन कम्पनी वह थी जिसने बांधों का बहुत काम किया, बम्बई में इस कम्पनी ने काम किया, मैसूर में काम किया । वहां से मशीनरी को यहां ले आये । वे ही ट्रक्स, वे ही विहिकल्स जो दूसरे प्रान्त में काम कर रहे थे उनको राणा प्रताप सागर डैम पर ले आये । उनकी खरीद के लिये एक पैसा भी जेब से खर्च नहीं किया गया और उसके एवज में सरकार से बीस लाख रुपया मिल गया । बीस लाख रुपयों में से ४ लाख रुपये अर्नेस्ट मनी के काटकर १६ लाख रुपये नेट बच गये ।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मशीनरी के बारे में आपने क्या कहा ? सरकार की तरफ से ९० प्रतिशत उधार मिलता है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मशीनरी इम्पोर्ट की जाय तो सरकार उसके लिये ९० प्रतिशत मनी एडवान्स कर सकती है, इस प्रकार का प्रावधान है । उन्होंने पुरानी मशीनरी पर २० लाख रुपया ले लिया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जो काम कर रही है

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उसमें जो मशीनरी लगी हुई है वह इम्पोर्टेड है। इस आधार पर उसको ८० प्रतिशत रुपया एडवान्स कर दिया गया, वह लगभग २० लाख रुपया होता है।

अब उस बीस लाख में से चार लाख चले गये अर्नेस्ट मनी के, बाकी रहे १६ लाख। तो यह सोलह लाख की रकम उनके पास काम करने के लिये आ गई।

इसके बाद एग्रीमेन्ट का सवाल आया। पर आपको जानकर ताज्जुब होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह एग्रीमेन्ट जो होना था काम के प्रारम्भ होने से पहले, वह ६२ में हुआ, जब कि काम प्रारम्भ हुआ ६१ से। वह भी प्रोवीज़नल। एक साल बिना एग्रीमेन्ट के काम चला। एक साल बाद प्रोवीज़नल एग्रीमेन्ट हुआ और फिर जाकर ६४ में लीगल डिपार्टमेंट द्वारा सलाह लेकर उस एग्रीमेन्ट को फाइनल शेप दी गई। तो इस तरह से ६२ से ६४ के प्रोवीजनल एग्रीमेन्ट से काम चला।

इसका नतीजा क्या हुआ ? जो एग्रीमेन्ट किये गये उनमें कई प्रकार के लेकुनाज़ छोड़ दिये गये, जिसका लाभ मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने पूरा पूरा उठाया। अगर लोकल कन्ट्राक्टर्स को इन लेकुनाज़ का आभास होता तो वे भी मैदान में आते और इससे राजस्थान सरकार को भी लाभ होता। पर यहां सरकार को लाभ कौन देता है ? अब जो शर्तें उस एग्रीमेन्ट में थीं और जिनमें लेकुनाज़ के कारण उस फर्म ने पूरा पूरा लाभ उठाया, उसका भी थोड़ा मुलाहिजा फरमाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, शर्त यह थी कि ५० प्रतिशत रेत राणाप्रताप सागर डेम पर जो लाई जावेगी वह कोटा से लाई जावेगी। और इसी के अनुसार रेटें दी गई थीं। इसी के आधार पर खर्चा आदि गिन कर रेट तय की गई थी। पर मैं निवेदन करूंगा कि जहां उसे कोटा से २५-२६ मील के लीड से लाना था और जिस दूरी को ध्यान में रख कर रेटें तय की गई थीं और एस्टीमेट आदि बने थे और जिसके आधार पर ही उसके टेन्डर एक्सेप्ट हुए थे और जो शर्त थी वह सब कुछ नहीं होकर वह रेत वहीं चम्बल की काम में लाई जा रही है। कोटा से कोई रेत नहीं लाई गई। अब इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि कितनी रेत होगी। पर आज सरकार किसी प्रकार से बोल नहीं रही है, न उसमें कटौती कर पा रही है। कारण यह है कि इसमें भी लॉ विभाग से राय नहीं ली गई, ड्राफ्ट में लेकुना था। आज इसमें भी कॉम्पलीकेशन्स पैदा हो गये हैं।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, एक सुर्खी होती है, जो काम में आती है। लाल मिट्टी होती है वह। उसके लिए शर्त थी कि वह मालासरा से लाई जावेगी जो वहां से १६ मील की दूरी पर था। पर आज वह भी १६ मील से नहीं लाई जाकर वहीं राणा प्रतापसागर पर मिट्टी को जलाकर काम में ले ली जाती है। तो इससे भी लाखों की हानि सरकार को हुई, कम्पनी को लाभ मिला।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इसी तरह से स्टोन में गड़बड़ी की गई। स्टोन वहां पर सात मील दूर से लाना था और इसी के एस्टीमेट के आधार पर उसका टेन्डर और रेट मंजूर हुई थी। पर स्थिति यह है कि अन्दर का पत्थर जो अधिकतर ज्यादा होता है जिसका हिस्सा अस्सी प्रतिशत होता है वह तो लोकल ही काम में लिया गया, सात मील का पत्थर शर्त के मुताबिक नहीं लाया गया। बाकी २० प्रतिशत जो बाहर देते हैं वह सात मील से लाते हैं। इसमें भी लाखों का फायदा कम्पनी को हो गया।

इसी तरह से सीमेन्ट का मामला ले लें। सीमेन्ट की कीमत में खाली बोरियां दी जावें या नहीं। खुद ठेकेदार कन्ज्यूम कर लेगा या नहीं, इस प्रकार का कोई प्रोवीजन एग्रीमेन्ट में नहीं होने से इस लेकुना का फायदा भी ठेकेदार ने उठाया। इसका नतीजा यह है कि आज सरकार के और कम्पनी के बीच नोटिसबाजी भी चल रही है।

इन सारी बातों का परिणाम यह हुआ कि इस चार करोड़ के बांध में कम से कम १ करोड़ का घोटाला है और मैं निवेदन करूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो चम्बल बोर्ड के चेयरमैन थे और वे जिस जगह के रहने वाले हैं, उप-मंत्री हैं वे आज कहीं पर, तो आज जिस जगह के वे रहने वाले हैं उसी जगह के रहने वाले ये मोडर्न कन्ट्रक्शन कम्पनी के ठेकेदार हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्द जैन।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली): आज मैं बोलूंगा, फिर कुछ भी झगड़ा हो जावे।

(विराम)

बोलने ही नहीं देते आप तो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप प्रारम्भ करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी: जो बजट उपाध्यक्ष महोदय, यहां पेश किया गया, उसमें जैसा करना चाहिए था सोशलिस्टिक पैटर्न की तरह, वह तो किया नहीं है। यह हमारे जैसे बड़े आदमियों की दृष्टि से बजट पेश किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आप बड़े आदमी हो?

श्री मुक्तिलाल मोदी: और जो आंकड़े दिये हैं और टैक्स लगाये हैं वह तो ठीक है। परन्तु जो तनख्वाह जिस तरह से बड़े आदमियों की बढ़ाई है वह ठीक नहीं है। जो हमेशा इस तरह से पुकारते हैं माननीय वित्त मन्त्रीजी भी और दूसरे मन्त्रीगण भी कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं; परन्तु काम करने में समाजवाद नहीं लाते हैं। हम पूंजीवाद लाना चाहते हैं। पंचायत राज कायम करते समय हमने कहा था कि हम

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

छोटे आदमियों को ऊंचा उठावेंगे। परन्तु इस बजट में जिस तरह से तनखा का प्रोवीजन किया है वह बड़े आदमियों का ज्यादा बढ़ाया और छोटों का कम बढ़ाया। अब तक भी उनके दिमाग में छोटे आदमी और बड़े आदमी की बात है। छोटे को थोड़ा पैसा देना चाहिये और बड़े को ज्यादा देना चाहिये। यह समाजवाद नहीं है। यह पूंजीवाद है। तनखा का जो प्रावधान बजट में इस तरह किया गया है वह बिल्कुल गलत किया है।

आज भारत सरकार और राजस्थान सरकार फेमिली प्लानिंग चलाना चाहती है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि छोटे आदमियों के जितने बच्चे हैं उतने बड़ों के नहीं होंगे। परन्तु जो फेमिली प्लानिंग की बात करते हैं वे खुद नहीं करते हैं और जो छोटे आदमी जिसको ६०) तनख्वाह देते हैं उसके चार-पांच-छः बच्चे होंगे। सत्तर-सौ रुपया होगी। वे इतने पैसे में कैसे तो इन बच्चों को पढ़ावेगा, कैसे कपड़े पहनावेगा? तो उसके तो आपने पांच रुपये बढ़ाये हैं और जिसको ४००) मिलता है उसका ३५) ओर ३०) रुपया बढ़ाया है। तो यह कहां का समाजवाद है?

दूसरी बात यह है, आज पंचायतों के अन्दर राजस्थान में पंचायती राज कायम हुआ, इसकी तो खुशी है। पर जिस दृष्टि से पंचायतों का विकेन्द्रीकरण हुआ वह आज किस तरह से हुआ, यह देखने की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको तो ३००) रु० मिलते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ३००) रुपया मिलता है तो ३००) रुपया आप ले लो, मैं तो सब खर्च कर देता हूं। रोटी भी मैं तो दूसरों के खाता हूं।

तो आज यह पंचायत राज कायम किया वह इसलिये किया था कि जनता को कुछ आराम मिलेगा। परन्तु मैं उपाध्यक्षजी, कहना चाहूंगा कि पंचायती राज करने के बाद लोगों में मोरल जो था वह बिल्कुल खत्म हो गया। बेईमानी ज्यादा आई और रिश्वतखोरी बढ़ गई और शराब पीना भी ज्यादा बढ़ गया।

और यह बात तो है ही कि आज हर आदमी, मैं मेरे लिये कहना चाहता हूं कि आज जितना रुपया राजस्थान सरकार का है वह मेरे जैसे व्यक्तियों के हाथ में जाता है। किसानों के लिये तकावी का नाम करके वह रुपया मेरे जैसों को दिया जाता है। एग्रीकल्चर के नाम का पैसा मेरे जैसे व्यक्तियों को दिया जाता है। कोऑपरेटिव का रुपया मेरे जैसे व्यक्तियों को दिया जाता है और फिर भी हम समाजवाद की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं और गरीब जनता का उद्धार करने की बात कहते हैं।

(३.०० म.प.)

आज किसान तकावी के लिए जायेगा तो उसका कम से कम १५०–२०० रुपया खर्च होगा यदि वह २००० की तकावी लायेगा तो। यह तरीका कहां का है?

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जिस प्रकार से आज पंचायतों के चुनावों का कानून बना हुआ है, मैं आपको बताऊं कि एक एक पंचायत समिति के चुनावों में तीस-तीस हजार रुपया खर्च हुआ है। क्या यही समाजवाद का लक्षण है ? यह पंचायती राज्य है क्या ? सरपंचों और दूसरे इस तरह के चुनाव करके किसान समझते थे कि मैं घर में बैठा हूं और आराम से रोटी खाता हूं, लेकिन उसके भी दिमाग में यह चुनावों की हालत पैदा हो गई है। वह समझते थे कि हमारे यहां अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगा, हमारे गांवों में सुधार होंगे, लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि वे सुधार नहीं हुए हैं। आज भी करोड़ों रुपया सरकार का लोगों में बाकी है। अभी राजस्थान में डिप्टी ए० जी० आये थे, लोगों में करोड़ों रुपया बाकी है और उसका हिसाब बराबर नहीं हो रहा है। ये फाइनेन्स मिनिस्टर बैठे बैठे क्या करते हैं, पता नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : करम ठोकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मक्खियां मारते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : देखो भई, मुझे भुलाओ मत।

जो रुपया डेवलपमेन्ट के अन्दर दिया जाता है वह १२ लाख होता है, जिसमें से ५ लाख रुपया तो तनख्वाह का है, ३॥ लाख रुपया तकावी का है और २॥ या ३ लाख रुपया डेवलपमेन्ट का है। आप देखिये कि २॥ लाख रुपये के लिए ५ लाख रुपया का खर्च बांध रखा है और सुधार कुछ हो नहीं तो आप राजस्थान के ऊपर क्यों इतना कर्जा करते हो ? टैक्स लगा लगा कर क्यों लोगों को मारते हो ? हमको अगर बेचना ही है तो रशिया वालों को बेचोगे या अमेरिका वालों को बेचोगे, किसको बेचोगे ? अगर आप बेचना ही चाहते हो तो फिर फैमिली प्लानिंग बन्द करो और पोपुलेशन बढ़ाओ और बेच बेच कर रुपया लाओ। नहीं तो आप रुपयों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग क्यों करते हो ? सबसे ज्यादा दुख तो उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का है कि आज दूसरे कन्ट्रीज के लोग हैं, आप कहते हैं कि हम प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन प्लानिंग नीचे से बनना चाहिए, पर हमारे यहां ऊपर से बनता है। प्लानिंग ऊपर से बनता है। इतने होस्पीटल खोल दिये, इतने स्कूल खोल दिये, इतने कॉलेज खोल दिये; लेकिन जहां जरूरत है और जहां पोपुलेशन है, जहां और साधनों की कमी है वहां तो कोई चीज करें नहीं और मन चाहे जहां कर दें, यह भी कोई बात है ? आज सड़कों के लिए बहुत कम रुपया है तो मैं कहना चाहता हूं कि आज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को रास्तों के लिए लाखों रुपया दे दिया। सबसे बुरी बात जो राजस्थान सरकार ने की है वह यह है कि आज राजस्थान का बेड़ा बिल्कुल नेश्तनाबूद करने की सोची है। शिक्षा का प्राइमरी स्कूल की स्तर का काम सारा पंचायत और पंचायत समितियों और जिला परिषदों को दे दिया है। यह एक नींव को खत्म करने का काम

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जो राजस्थान सरकार ने सोचा है यह सबने बुरा काम किया है। जिसकी नींव खराब हो वह मकान क्या अच्छा होगा ? आज जो स्कूल में मास्टर है उसका बाप सरपंच, दादा सरपंच, कोई का जंवाई सरपंच, कोई का बहनोई सरपंच,तो कोई का कोई सरपंच; तो ऐसे मास्टर क्या निहाल करेंगे ?

आप कॉलेजेज खोलते हैं, इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलते हो, मेडीकल कॉलेज खोलते हो लेकिन कम से कम जब तक मनुष्य के दिमाग को आप ऊंचा नहीं चढ़ाओगे तब तक यह सब बेकार है। आप में से कई फोरिन कन्ट्रीज गये हैं, तीन-चार मिनिस्टर्स भी फोरिन कन्ट्रीज जाकर आये हैं आपको कोई पूछे तो सही कि प्राइमरी स्कूल फोरिन के अन्दर कोई पंचायतों को दिये हैं क्या ? यह तो कहो कम से कम कि प्राइमरी स्कूल जो कि शिक्षा की सबसे पहली चीज है, जिससे देश आगे बढ़ सकता है, आज के युग के अन्दर यह प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पंचायतों को देकर इतना बुरा हाल हो रहा है कि जैसा कि कभी हुआ नहीं होगा। तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शिक्षा का काम है वह तो राजस्थान सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए और मैं यह भी बता दूं कि आज जो राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि हम ३ वर्ष या २ वर्ष में ट्रान्सफर करेंगे, डेपूटेशन करेंगे, यही तो आयुर्वेद का हाल बिगड़ रहा है और यही शिक्षा का हाल बिगड़ रहा है। सरकार जो आज्ञा निकालती है और आॅर्डर निकालती है उसका पालन नहीं होता है। आॅर्डर निकालते हैं तो पहले जमाने में राजा थे, अंग्रेज थे; सब कुछ थे परन्तु उनके हमने जूते खाये, लाठियां खाईं, तलवार खाई; आपने प्लान के बड़े बड़े बांध बनाये, बिजली लाये, शिक्षा का प्रसार हुआ, हिन्दुस्तान को और राजस्थान को आगे बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपका यह भी फर्ज था कि कम से कम आगे बढ़ाने के बावजूद वह पैसा तो हमारा ही है। यह समझना चाहिए हर आदमी को कि आज जो पैसा खर्च हो रहा है और एक पैसे की जगह दो पैसे खर्च हो रहे हैं वह पैसा अपना ही है और सोच-समझ कर पैसे को खर्च करना चाहिए। यह राजस्थान के हर आदमी को चाहिये और मेरे माननीय उधर बैठने वाले लोगों से कहूंगा कि जो बांध के लिए कहते हैं, सड़कों के लिए कहते हैं, पुलिस के लिए कहते हैं परन्तु इनके अन्दर सबसे ज्यादा कमजोरी है; इसलिए जो मंत्रीजी हैं और हम लोग जो इधर के बैठने वाले लोग हैं ये थोड़ी सी दिलचप्पी ले लें तो हमारा जो कर्तव्य है वह अपने आप ढक जाये। यह इनकी कमजोरी है, यह मैं उनके सामने कह रहा हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो क्या हुआ है....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ये तो पंचायत चुनावों में हारे हुए हैं; अभी तो मन की निकालने दो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप कौनसे जीत कर आये हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, ऐसी बात है शिक्षा की और पंचायतों के बारे में मैंने आपसे कहा। किसानों के ऊपर आपने सरचार्ज लगाया था सालभर पहले, वह तो कम से कम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि सरचार्ज के लगाने से यह होगा कि एक और तो आप कहते हैं कि हम किसानों का भला करना चाहते हैं तो फिर जब आप भला करना चाहते हैं तो सरचार्ज क्यों लगाते हैं ? टैक्स भी लगाते हैं तो लगान में बढ़ा दो। लगान बढ़ाना ही चाहते हैं तो लगान बढ़ा दो। काश्तकारों को यह तो होगा कि उनका लगान बढ़ा दिया लेकिन सरचार्ज, फलां सरचार्ज और ठिकाना सरचार्ज यह सब क्यों लगाते हैं ? और भी तो कई टैक्स लगाते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी, इसलिए आज यह भी हालत है राजस्थान के अन्दर कि कहीं तो लगान ज्यादा है, कहीं कम है। कहीं पर जो बिस्वेदारों का पहले का लगान था वही का वही है। आज कोटपूतली में, मेरी तहसील में ४ तरह का लगान है और एक तहसील के अन्दर कहीं ६ रुपया बीघे का है, कहीं १० रुपये बीघे का है और कहीं १५ रुपये बीघे का है, तो उसकी किस्म बे-आधार पर नहीं, बल्कि ठिकाने के वक्त से जो चलता आ रहा था उसी तरह का लगान है, और आज तक राजस्थान सरकार ने उस लगान को वैसा ही रखा है। एक ही किस्म की जमीन का लगान तय कर दे वह तो ठीक है, परन्तु एक किस्म की जमीन का एक लगान तय नहीं करके जहां पर खेतड़ी ठिकाने के अन्दर बिस्वेदार जो लगान लेते उसके बारे में आज तक तय नहीं हुआ है। बिस्वेदारों के गांवों का लगान अलग है, जागीरदारों के गांवों का लगान अलग है और ठिकाने की खुद की जमीन थी उसका लगान अलग है और दूसरे कोटपुतली तहसील में बैराठ तहसील के गांव आ गये हैं उनका लगान अलग है। तो आज तक सन् ४९ के अन्दर राजस्थान बना था और उसके बाद आज १५ वर्ष हो गये तो इन १५ वर्ष में एक तहसील का भी काम पूरा नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या बात है ? तो इसलिए मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूँगा कि कम से कम १५ वर्षों में एक तहसील का पूरी तरह से लगान तय न हो तो फिर करते क्या होंगे ? कुछ समझ में नहीं आता।

दूसरी बात यह है कि वे बेचारे इसलिए भी परेशान हैं कि राजस्थान में वहां पर जो रिफ्यूजीज़ है वे करीब करीब २०-३० वर्ष से काश्त करते हैं, कोई १६-१८ वर्ष से काश्त करता है, कोई ४० वर्ष से काश्त करता है। उनसे राजस्थान सरकार भी लगान लेती है और रिफ्यूजीज़ का महकमा है वह भी लगान लेते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो दो लगान सरकार लेती है और वह तय नहीं कर पाती है। सरकार को कई दफा कह दिया।

तीसरी बात यह है कि राजस्थान के अन्दर फोरेस्ट डिपार्टमेंट की जो हालत है,

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

माननीय उपाध्यक्ष, वह इतनी खराब हालत है कि मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज तक राजस्थान के अन्दर, माननीय उपाध्यक्षजी, सारे राजस्थान का चराई का मामला तय नहीं हुआ है और उदयपुर में क्या रेट है, जयपुर में क्या रेट है, बीकानेर में क्या रेट है और जोधपुर में क्या रेट है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : चराई का मामला तय कर दिया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं तय किया है। रिपोर्ट कहां पेश हुई है ? असेम्बली में वह रिपोर्ट पेश होगी। रिपोर्ट अभी केबिनेट पड़ी है। आप यह कैसे कहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अज्ञानी हैं, बोलिये आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सारे राजस्थान का मामला फोरेस्ट का तय होना चाहिए। और किसी गांव में कितनी छूट दे दी है और कहीं ज्याद लेते हैं चराई और कहीं पर कम लेते हैं, और चाहे जैसा करते हैं। तो यह राजस्थान के अन्दर नहीं होना चाहिए। ये समाजवाद लाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, परन्तु जो जनता के असली काम है वे तो किये ही नहीं।

(समय—समाप्ति—सुचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं कम से कम २० मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं। सारे विषयों पर बोल चुके हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : बोलने दीजिये, साहब।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, आपने खुद ने आधा घंटे के लिए कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष : १५-२० मिनिट हो चुके हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपने कल एलान कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं साहब, मैं तो बोलूंगा ही।

(विराम)

आप कहने के बाद भी नहीं बोलने देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे तो गवर्नर्स एड्रेस पर भी नहीं बोले थे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बैठ गया, लेकिन फिर उठ जाऊंगा।

Page No 80

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : देखिये साहब, आपने कहा था...

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष,.....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ !

श्री मुक्तिलाल मोदी : देखिये साहब, मैं तो बोल कर ही रहूंगा ।

(विराम)

आपने कहा था, उसके बावजूद भी टाइम नहीं देते हैं । मैं गवर्नर साहब के भाषण पर भी नहीं बोला हूं और पिछली दफा भी नहीं बोला हूं ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको समय देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इनको पर्याप्त अवसर दे देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप दो मिनिट और ले लें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच दे दें, साहब ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वह ज्यादा बढ़ाया है, और आज हम लोग यह कहते हैं कि छोटे आदमियों की तनख्वाहों में पांच रुपये बढ़ाये हैं, मैं कहता हूं कि यह सब जो मिनिस्टर साहब का खर्चा है और दूसरा खर्चा होता है यह अगर कम कर दिया जाय और आज जो चुनाव होते हैं और दूसरे जो काम हैं उनके अन्दर कमी कर दी जाय और गरीब आदमियों की तनख्वाह में जो बहुत कम,·· पांच रुपये बढ़ाये हैं; पर मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप से यह कहना चाहूंगा कि कम से कम २० रुपये बढ़ाने चाहिए थे । आज मंहगाई कितनी है ? आज उसकी परेशानी कितनी है ? और दूसरी बात यह है कि राजस्थान सरकार को आज की परेशानी के अन्दर नाज का प्रबन्ध करना चाहिए था वह प्रबन्ध नहीं किया और नाज के भावों में कमी नहीं की और पिछली दफा भी कहा कि जितना नाज बाहर गया राजस्थान सरकार को उससे आधा नाज सेन्ट्रल गवनमेंट से लेना चाहिए था, लेकिन राजस्थान सरकार ने हमें हौवा भर बताया नहीं जो कि उनको बताना चाहिए था कि इतना नाज बाहर जा रहा है और इतना नाज सेन्ट्रल गवनमेंट ने दिया है । आज नाज की जो कमी हुई, परेशानी हुई है, दिक्कत हुई, हमने सदन में बार बार कहा कि चोरी से नाज के बहुत से व्यापारी उसको इकट्ठा करके हजारों मन नाज मैरी तहसील से बाहर भेज चुके हैं, उसके लिए राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया । मैं आज भी कहना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सरकार को सोचना चाहिए और कम से मक एक साल भर का नाज स्टोर रखना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह मेरी आपसे प्रार्थना है और जो मैंने शिक्षा के लिए कहा है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी गौर करेंगे और यह जो पंचायतों के अन्दर शिक्षा का काम है उसको उठायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उस पक्ष से दो–तीन वक्ता बोल चुके है।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने सदन में बजट पेश करके अपनी विवेकशीलता का परिचय दिया। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में देखा जाय तो हमारा बजट, संतुलित बजट की श्रेणी में आता है। इसमें अगर गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग को अधिक राहत नहीं दी है तो करों के बोझ से भी उनको नहीं लादा है। उपाध्यक्ष महोदय, मनोरंजन कर बढ़ाया गया है। उसके द्वारा वित्त मंत्रीजी ने इन लोगों के साथ वास्तव में ज्यादती की है, फिर भी मैं इसको वित्त मंत्रीजी के विवेक की दृष्टि से ठीक ही समझती हूं, क्योंकि आजकल गरीब वर्ग में और खास तौर से स्कूलों के बच्चों में एक ही सिनेमा को कई बार देखने की प्रवृत्ति बढ़ गई हैं और मेरी ऐसी मान्यता है कि शायद इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए वित्त मंत्रीजी ने यह कर लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अफीम पर कर लगा कर तथा शराब पर अधिक कर बढ़ाकर समाज के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने का जो प्रयास किया है उसकी मैं सराहना करती हूं।

इस बजट में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जिसके लिए मैं राज्य सरकार का आभार मानती हूं और इनके लिए मैं इस बजट का स्वागत करती हूं। जैसे कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई है और वृद्ध तथा बेसहारा लोगों की पेन्शन में वृद्धि करदी गई है तथा अन्धे और अपंग लोगों को जो अपनी रोजी और रोटी कमाने में असमर्थ हैं उन्हें भी कम से कम २० रुपये प्रति माह किये। राज्य सरकार के ये कदम सराहनीय और प्रगतिशील हैं, जिसके लिए मैं बजट का स्वागत करती हूं।

इस बजट में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की भी नीति निर्धारित की गई है। उसमें ऐसा है कि सहायता-प्राप्त संस्थाओं को कॉलेज और हायर सैकण्डरी की एज्युकेशन तक अधिक अनुदान दिया जायगा; इससे उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन साथ ही साथ मैं राजस्थान सरकार का ध्यान उस ग्रामीण क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहती हूं जहां कि देश की ७० प्रतिशत जनसंख्या रहती है और गांवों में इस प्रकार के अनुदान या सहायता प्राप्त कॉलेज या हायर सैकण्डरी लेवल की कोई भी संस्थाएं नहीं हैं। इसलिये सरकार की इस नीति का

(श्रीमती गौरी पूनिया)

लाभ ग्रामीण जनता या ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां नहीं उठा सकतीं इसलिये मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय। ऐसा नहीं हो कि राज्य की इस नीति से ७० प्रतिशत लड़कियें इस क्षेत्र में पिछड़ जायं और हम अपने लक्ष्य में पिछड़ जायं और लड़खड़ा जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में परिवार नियोजन जैसी राष्ट्रीय समस्या का नाम भी नहीं लिया, कोई चर्चा भी नहीं की है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सदन में भी जब कभी परिवार नियोजन पर चर्चा चलती है तो हमारे माननीय सदस्य व्यंगात्मक हास्य के साथ आरम्भ करते हैं और हंसी की फुलवाड़ियों के साथ खत्म करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन की समस्या को मैं युद्ध से भी खतरनाक समस्या समझती हूं। इस पर यदि गंभीरता से कदम नहीं उठाया गया तो हमारी अर्थ व्यवस्था बिगड़ जायगी; हमारी योजनाएं फेल हो जायगी, इसलिये मैं प्रार्थना करती हूं कि इस ओर गंभीरता से विचार करें और सोचें। राज्य सरकार ने इस योजना को हाथ में लिया है उसको सफल बनाने में माननीय सदस्य अधिक योग दें और योग देना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझें। साथ ही साथ में राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि अपनी परिवार नियोजन नीति को सफल करने के लिये विशेषरूप से ग्रामीण जनता में काम करने के लिये अपने स्वास्थ्य विभाग को वास्तव में सतर्क करने की ओर ध्यान दे। जहां तक मैं सोचती हूं परिवार नियोजन केन्द्र शहर में हद से ज्यादा खोले गये हैं, शहर में और भी अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, गांवों में केन्द्र खोले जाते हैं लेकिन ग्रामीण जनता उनसे लाभ नहीं ले सकती, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग वे नहीं करना चाहते, इसलिये मेरा सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शहरों में लाकर उनका जो समय लगे उसके लिये उनको मुआवजा देकर इस समस्या को सुलझाने में सभी लोगों को और राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं प्रार्थना करूंगी कि इस तरह इस

(३.२३. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

राष्ट्रीय समस्या को हंसी में नहीं टाला करें और इसका पूर्ण उपयोग और कहीं नहीं तो अपने क्षेत्र में तो किया करें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मुरलीधरजी व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभानेत्रीजी, १९६५-६६ का जो बजट रखा गया है उसके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। सही माने में देखा जाय तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक प्रकार से सरकार की नीतियों का दर्पण होता है और फिर नीति

(श्री मुरलीधर व्यास)

का दर्पण आ जाने के बाद में वित्त मंत्री का भाषण उस आधार पर आर्थिक योजनाओं का सदन के सामने आता है। पर जब हम दोनों को देखते हैं तो दर्पण में तो जगह जगह समाजवाद की बात कही गई है और जब वित्त मंत्री की योजनाओं को देखते हैं तो वे दर्पण के विपरीत हैं।

आज कांग्रेस के पक्ष में से ही हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री ने एक बात कही और उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि पंडित नेहरू का युग समाप्त हो गया यह बजट में कहा गया है। और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के मंत्री यह कहते हैं कि नेहरू का ही युग है और उन्हीं के ही रास्ते पर हम चलेंगे। दूसरी ओर राजस्थान के अन्दर इसके विपरीत बात कर रहे हैं। दो धाराएं इस समय कांग्रेस में हैं, एक मुरारजी देसाई की जो कंज़र्वेटिव पक्ष की हैं और दूसरी ओर श्री लालबहादुर शास्त्री और हमारे नन्दाजी हैं जो समाजवादी पक्ष कहलाता है। हमारे राज्य के मुख्य मंत्री क्योंकि मुरारजी देसाई के पक्ष के हैं, तो उसका असर हमारे वित्त मंत्री के भाषण पर होना भी जरूरी है। हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि यह बजट किसी एल०डी०सी० की बनाई हुई तो नहीं है पर मैं कहता हूं कि यह बजट राजस्थान के मुख्य मंत्री की बनाया हुआ है और उनके विचारों का प्रतिपादन करता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बजट देखकर या हमारे वित्त मंत्री का खूबसूरत चेहरा देखकर देश में खुशहाली आ जाये ऐसी बात नहीं है, खुशहाली तो आती है जब उनकी स्कीम्स सोशयलिज़्म की तरफ चलती हों। पर उनकी स्कीम्स उनके चेहरे के विपरीत हैं। इससे मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। आज सबसे पहले बजट के अन्दर देखने की बात यह है कि राज्य की समस्याओं का समाधान कहां तक किया गया है। हमारे राजस्थान में किस प्रकार अनाज की कमी आई है और उसका समाधान करने के लिये सरकार ने अपने बजट में क्या व्यवस्था की है, यह हम देखना चाहते हैं। हम यह चाहते थे कि राजस्थान में बेकारी के समाधान के क्या आंकड़े दिये हैं और उसको कैसे हल करना चाहते हैं? हम देखना चाहते थे कि महंगाई को कम करने के लिए किस प्रकार के रास्ते वित्त मंत्री ने निकाले हैं। हम चाहते थे कि हमारे राज्य की पर–कैपिटा इन्कम जो सबसे पीछे है और जिसका पर–कैपिटा खर्चा ज्यादा हो रहा है वहां पर हम पर–कैपिटा इन्कम कैसे बढ़ावें; इसके कुछ सुझाव होते, पर इसका कोई जिक्र नहीं है। अनाज के मूल्य की महंगाई को दूर करने के लिए समुचित डिस्ट्रीब्युशन की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है।

हमारे वित्त मंत्री ने बजट के स्पष्टीकरण में यह कहा है कि अन्न प्रदाय की योजना पर १० लाख रुपये का प्रावधान इस आशा से किया गया है कि इस साल अन्न प्रदाय की स्थिति में सुधार होगा। सारा देश संकट में है, और राजस्थान भी संकट में है, तो हम सोचते थे कि अगले

(श्री मुरलीधर व्यास)

साल तो व्यवस्था ठीक होगी पर उसका कोई समाधान नहीं है। कह दिया कि अगले साल अच्छा होगा इसलिये कोई प्रावधान नहीं रखा। आखिर इस मुद्दे पर सरकार कहां जाना चाहती है ?

महंगाई के सवाल पर भी आपने कर्मचारियों के कुल पांच रुपये बढ़ा दिये। रावी के किनारे पर हमने प्रतिज्ञा की थी कि ५०० रु० से अधिक कोई तनख्वाह नहीं लेगा, हम विषमता के अन्तर में कमी करेंगे, वहां पर १७ साल की आजादी के बाद भी इतनी विषमता है कि एक तरफ बिड़लाजी तो एक दिन में तीन लाख रुपये कमायें और दूसरी तरफ एक आदमी की पर कैपिटा इन्कम केवल तीन आना रोज और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आज १७ साल की आजादी के बाद भी यह विषमता क्यों ? और हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार ने जो काम किया है वैसा १०० साल में भी नहीं हुआ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह आपके इतिहास में आपने राजस्थान की जनता को इस प्रकार से कलंकित कर दिया है कि जिससे राजस्थान का विकास भविष्य के दस साल के लिए अवरुद्ध हो जायगा। तुम्हारा जो काम दस साल के अन्दर हुआ है वह राजस्थान के विकास को बाधा पहुंचायेगा। आज आप घोषणा करते हैं तो मैं आपके बजट के अन्दर और सारी सिंचाई योजना के अन्दर देखता हूं तो मालूम होता है कि करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया गया है। लेकिन इसके बाद जब मैं एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो उसमें कहा जाता कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद जो हमने चार पर्सेन्ट रिटर्न का सोचा था कि जो ब्याज हम चुकाते हैं वह मिल जायगा, तो वह भी नहीं मिल पाया। हम उससे भी वंचित हैं और डेढ़ पर्सेन्ट की आशा है। वह भी डेढ़ पर्सेन्ट मिलेगा या नहीं, इसमें सन्देह है। आप कल्पना कीजिये आपकी योजना के अन्तर्गत जो सबसे बड़ी योजना है वह अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई योजना है जिसमें करोड़ों और अरबों रुपये खर्च कर दें, वह खर्च करने से जो रुपया मिलना चाहिए यानि किसी भी समाजवादी राज्य के अन्दर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए खर्च करते हैं उससे जो रिटर्न मिलना चाहिए उसमें भी हम घाटे में चले जायं और हमें लाभ न मिले तो आप कौनसा विकास इन सत्रह सालों में कर पाये हैं।

दूसरी ओर इसमें लिखा गया है कि सिंचाई योजनायें है उनमें से किसी में यदि लाभ है तो वह एक मात्र गंगनहर है, गंगनहर से लाभ मिलता है। आप एक तरफ कहते हैं कि आपने सौ साल का काम करके दिखा दिया है जैसा इतिहास में नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ गंगनहर जो गंगासिंहजी के समय की बनाई हुई है उसमें ही केवल लाभ है। उसके अलावा और किसी में लाभ नहीं है आप कल्पना कीजिये कि इन दस सालों में आपने क्या काम किया ? कहां तक आप आगे बढ़े हैं ? मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है ? यह हो रहा

(श्री मुरलीधर व्यास)

है कि हमारी पूंजी और हमारा पैसा जहां बढ़ना चाहिए, हमारी जमीन से जहां पैसा जाना चाहिए, जहां सिंचाई योजनाओं से लाभ मिलना चाहिए, जहां हमें बेटरमेंट लेवी का लाभ पहुंचना चाहिए और खान और जंगलात की सम्पत्ति बढ़ कर जहां लगातार लाभ मिलना चाहिए, इसके साथ ही जो कॉर्पोरेशन और दूसरी इस प्रकार की चीजें हमने बनाई हैं, उनमें जो सम्पत्ति हमने लगाई है, उस तमाम से पैसा आकर राज्य का काम चलना चाहिए वहां पर उनसे कोई पैसा नहीं आता है और आप लगातार पन्द्रह-सत्रह साल से टैक्स लगाते रहे हैं। सन् १६५१ की योजना में जैसा आपने बताया कि सिर्फ १६ करोड़ की वह भी, सोलह करोड़ का हमारे राज्य का सारा बजट था, वह आज कितना हो गया है? वह ८० करोड़ के ऊपर हो गया है यानि पांच गुना ज्यादा हमारा बजट हो गया है। आपके प्रशासन के और दूसरे खर्च बढ़ गये हैं और उन सबके बढ़ने के बावजूद भी जनता को कुछ नहीं मिला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके न मिलने के क्या कारण हैं? कारण यह है कि हमारी योजनाओं के अन्दर एक घुन लगा हुआ है, जो हमारी योजनाओं को रात दिन अन्दर ही अन्दर से खाता हुआ चला जा रहा है। इसी कारण हमें जमीन का पैसा नहीं मिलता और जमीन भी अगर लेना चाहते हैं तो वह भी नहीं मिलती है। गत समय मैंने एक जमीन का मसला रखा था कि जमीन किस प्रकार कैसे कैसे किन किन लोगों ने ले ली। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं राज्य की एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं.......

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : किसकी है?

श्री मुरलीधर व्यास : राज्य की सीक्रेट रिपोर्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी और दूसरे लोगों ने किस प्रकार से उसके बारे में कहा है। यह टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है।

"From The Commissioner, Kota Division, Kota to Shri B. G. Rao. I. C. S.: Chief Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur, dated the 2nd March, 1954."

अब इसमें क्या है?

"Complaints from certain cultivators of Bundi regarding allotment of Land."

इसमें पहले आपको मैं बता दूं कि जो जमीन बूंदी के इलाके के अन्दर नहर के पास में आने वाली थी, जो किसानों को बिक्री के अन्दर मिली या चाहे किसी तरह से मिलती लेकिन उसका पैसा आपको मिलता। लेकिन कोटा और बूंदी के इलाके के अन्दर हजारों बीघा जमीन बिना पैसे के लोगों को दी गई और जो जमीन दे दी गई उसका पैसा सरकार के खजाने में नहीं आया। उसकी एक दलील आपके सामने रखना चाहता हूं उसमें लिखा है :

"Copies of two applications received from some persons of Bundi district and alleging favouritism on

(श्री मुरलीधर व्यास)

the part of officers of this Division with regard to allotment of land to relations of Sri Mohanlal Sukhadia, Revenue Minister, Rajasthan are enclosed herewith. Since these applications have also been sent to the Chief Minister and to your office, I take this chance of bringing the facts to your notice with a view to place acts as they stand."

फिर नीचे लिखा है :

"As would be clear from perusal of these, it has been mentioned that with the connivance of the Commissioner Kota, Collector Bundi and the Tehsildar, Hindoli, Shri Sukhadia has been able to get 1200 bighas of land in the name of some of his relations in the village of Hindoli Tehsil in Bundi district which has debarred the landless villagers of the area from getting their share of the land which is now likely to be irrigated from the Gudha Tank."

और उसके नीचे है :

"On enquiries made from the Collector, Bundi, it appears from his report that 100 bighas of land in village Satheli was alloted to shri Munnalal of Nathdwara (Under District)......"

यह मुन्नालाल कौन है : "......on 13.9.52 under Government Notification No. F. 3 (132) Rev. II/51 dated the 15 March, 1951, similarly land measuring 146 bighas 11 biswas in village Raghunathpura was given on lease to Shri Munnalal of Nathdwara on 22.1.53 by the then Collector. Shri Mannalal is reported to be the brother-in-law of Shri. Sukhadia. Besides the above, lands measuring 352 bighas and 17 biswas was allotted in these two villages to Sarvashri Dinanath and Kishanlal of Nathdwara on 22.1.53 and 13.9.52.

Neither the present Collector Shri Tej Singh Kothari nor myself then holding any office in this division.

These complaints, it appears, were made when Shri Kishanlal and Munnalal applied for the transfer of 200 bighas of their holdings in village Satheli to village Chetan probably with a view to bring it under the irrigation scheme of Gudha Project when the Collector, Bundi, vide nos. 7338 and 7339 dated the 14th November, 1953, recommended the application of Shri Munnalal and Shri Kishanlal for their transfer in village Chetan."

फिर ट्रान्सफर हुआ उसको और उस पर क्या रिमार्क है, सुनो !

"Having gone through the record and finding that the land granted on lease had not been brought under the plough within the stipulated period......"

(श्री मुरलीधर व्यास)

जो दो-तीन चीजें निर्धारित थीं, न तो वह जमीन जोती गई और जो जमीन दी गई उससे प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। फिर क्या हुआ उसके बाद :

"......Papers were returned with the order that since the lease holders failed to cultivate the land in time, the lease may be terminated. This was done by me on 21st December 1953."

अब उसके अन्दर यह ऑर्डर भी हो गया कि इस लीज को समाप्त कर दिया जाय, नहीं दिया जाय। जो जमीन दी गई वह जमीन जोती नहीं गई। यहां तक है इसमें। इसके बाद यह रिपोर्ट है...

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : वापिस हो गई है ?

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं ! यह वापिस नहीं हुई। आपको बताऊं मैं, यह जमीन, जिस जमीन को उन्होंने जोता नहीं और उस पर प्रोडक्शन किया नहीं.....

श्री बालकृष्ण कौल : चेयरमैन महोदय, मैं यह चाहूंगा कि यह डॉक्युमेंट पढ़ा गया है, इसे टेबल ऑफ दी हाउस पर रखा जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पढ़ दिया है सारा का सारा !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : नहीं चाहते यह रखना !

श्री मुरलीधर व्यास : आपका टॉप सीक्रेट है, आप देख लीजिये आपकी गवर्नमेंट की फाइलों में है।

श्री बालकृष्ण कौल : आपने पढ़ दिया तो आप हाउस की टेबल पर रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी मैं पढ़ रहा हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप पढ़ते हैं उसको हाउस की टेबल पर रखने को कहते हैं तो आप नहीं रखते और हमें कह रहे हैं कि हाउस की टेबल पर रखो। आप संतरामजी की रिपोर्ट रखें न हाउस की टेबल पर।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस जमीन को रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं दी जाय। हुआ क्या वहां फिर, मैं बताऊं। आप यह कहते हैं कि किस तरीके से जमीन दी गई, मैं तारीख नाम, सब बताता हूं। २२-१-५३ को नाम नं० २ प्रार्थना पत्र मिलता है, फिर हुक्म भी उसी २२-१-५३ को हो जाता है, जिसको जमीन दी जाती है, दीनानाथ उसका नाम है। १४३ बीघा। लीज पर दी गई २०१० बीघा, श्री कल्याणसिंह के दस्तखत हैं। दीनानाथ कौन ? मैं नहीं समझता कि यह दीनानाथ कौन हैं, कौन पैसा लेता है। मैंने चार्ज लगाया है कि इसकी सारी आमदनी मुख्य मन्त्रीजी के घर के खजाने में जाती है, ये प्रोक्सी के रूप में रखे हुए हैं। बाप का नाम दर्ज नहीं......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : किसी के बाप का पता ही नहीं हो तो कहां से दे ?

श्री मुरलीधर व्यासयह दीनानाथ : कौन है, यह मैं जानना चाहता हूं। यह तो हुआ १४३ बीघा।

२२-१-५३ को बसन्तकुमार के नाम से हुक्म होता है, यह बसंतकुमार कौन? मुख्य मंत्री जी के साले दीनाभाई का लड़का।

श्री बालकृष्ण कौल : अभी तो आप फरमा रहे थे कि दीनानाथ कौन है, अब कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री के साले हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कभी दीन मोहम्मद लिखते हैं, कभी दीनाभाई बन जाते हैं, दीनानाथ भी बन जायेंगे। दीनानाथ ही तो सारी दुनिया का उद्धार कर रहा है, उन दीनानाथों में श्री मोहनलालजी भी हैं।

२२-१-५३ की दर्खास्त, उसी दिन हुक्म, उसी दिन तहसील में हुक्म। फिर मुन्नालाल की भी उसी दिन की दर्ख्वास्त, उसी दिन हुक्म, उसी दिन कब्ज़ा। तारीफ यह है कि जमीन यह हो गई थी, फिर २० साल की लीज़ पर जमीन दी गई, लगान पटवारी ने गलती से ले लिया और इन लोगों से लगान भी लिया वह भी मुख्य मंत्री ने वापिस खजाने से लेकर वापिस दिया। और उसके बाद में फिर क्या लगान पटवारी ने गलती से लिया। ५ रु०, १५॥ आना लगाया गया था, हुक्म हुआ कि खारिज़ समझा जावे। ५५ में हुक्म हुआ, हस्ब हुक्म राजस्थान सरकार एफ।३४४ राजस्व ख।५६ एस०डी०ओ० की आज्ञा से २९-१०-६१ को दर्जशुदा खुदकाश्त जमीन कर दी जाय। जमीन भी ले ली, नियमों के अन्तर्गत जोता भी नहीं, हुक्म हो गया था कि जमीन कैंसिल कर दी जाय, कैंसिल नहीं करके मालिक बना दिया।

मैं कहना चाहता हूं कि आपके राज्य में यही नहीं, दूसरी बात और बताऊं कि १२ हजार एकड़ जमीन इसी प्रकार ४ केपिटलिस्टों को एक ही दिन की दर्ख्वास्त में दे दी, पैसा एक नहीं लिया। इस प्रकार लाखों करोड़ों की सम्पत्ति रिश्तेदारों को दे दी। जब यह चीज कहते हैं……

श्री बालकृष्ण कौल : १२ हजार एकड़ किसको दी?

श्री मुरलीधर व्यास : यह भी बताता हूं, यह श्री जयनाराण व्यास के दस्तखत हैं।

"I have looked into all the files, I am very unhappy over how the Revenue Department has ignored the interests of the Government. I have seen the applications of :—

1. Beni Persad Parsrampuria of Nawalgarh.

2. Bhagwati Prasad Chowdhary of Kanpur.

3. Chiranji Lal Parsrampuria of Bombay.

4. Durga Pasad of Bombay.

5. Juggamnal of Nawalgarh.

(श्री मुरलीधर व्यास)

All the applications are dated 24-9-1951; addressed to the Revenue Secretary, From further perusal it is clear that the applications have been typed in one place and on the same type of papers, although the places from which the applications are sent are three different ones. obviously they belong to the same family, firm or group and have made statements that nobody is prepared to take that land. The total area of land thus involved is 12,758 bighas.

श्री बालकृष्ण कौल : किस काम के लिए दिया है, इण्डस्ट्री पर्पज के लिये दिया है ?

श्री मुरलीधर व्यास : इन्डस्ट्री के लिये नहीं यह बड़ा भारी फोरेस्ट है १२७५८ एकड़ का, जिसकी आधी जमीन जोतने लायक है, बाकी फोरेस्ट है, इन्डस्ट्री के लायक नहीं, पर नहर के पास में आने वाली थी, पहले से योजना बनी कि किन किन लोगों ने लाख लाख रुपया लिया, यह तो आगे लेटर से पता चलेगा कि किस प्रकार से हुआ।

"The Commissioner, Kotah (the smallest division in the State) has not informed the Government that the land involved was forest and did not come in the category of 'Waste lands and unoccupied fallow' which were to be given for G. M. F. under circular dated 15-3-51 of the Govt. of Rajasthan. Both the Commissioner and the Revenue Secretary are responsible for keeping the Govt. in dark about the actual position of the nature of the land and thus for allowing the Bombay Seths to exploit the Government of a lot of valuable property. My own apprehension is that these Seths have conspired to rob the Government of valuable property and I am seriously thinking of prosecuting them so that they be exposed in public eyes even if they retain this valuable property. On the one hand we do not find land for refugees, ex-soldiers and landless peasentary and are allowing them to be victims of the propaganda of the undesirable. On the other, we are giving big capitalists, who are mostly anti-Government and communalists, big pieces of land for a mere song, I can in no case reconcile myself with such generosity.

I would, therefore, request you to ask all these fictitious farmers to vacate the lands which they have got under wrong information and ask the officers to explain their conduct of not informing the Government of the actual situation."

श्री बालकृष्ण कौल : Who has Written this ?

श्री मुरलीधर व्यास : श्री जयनारायण व्यास ।

श्री बालकृष्ण कौल : चीफ मिनिस्टर न ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

तो मैं कहना चाहता हूं कि १२ हजार एकड़ जमीन, आप गंगानगर में चले जाइये, वहां की जमीन, दूसरी तरफ उदयपुर में चले जाइये डबोक बांध है, वहां की जमीन, गुड़ा की जमीन, कुछ ऐसे लोगों ने प्राप्त की, आपको एक पैसा नहीं मिला। माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ जाइये, फोरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ जाइये। फोरेस्ट का ठेका एक ही आदमी को देने से किस प्रकार की रकम प्राप्ति की गई। ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें देखिये, पी. ए. सी. ने १० लाख का घाटा बताया है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर। पी. एस. सी. के मेम्बर होने के नाते आपको अधिकार नहीं है कि उसकी बात रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : वह रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। १० लाख का सरकार को नुकसान हुआ, जिस मुख्य मन्त्री ने अपने एक आदमी को हर तरह से यह फायदा पहुँचाने के लिए इस तरह का ठेका देकर खुद पैसा कमाया। हमारी सारी १ करोड़ रुपये की सम्पत्ति को बर्बाद किया, बाहर भेजा गया, जो टैक्स मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। इन सारी चीजों की डिटेल्स में इन्क्वायरी हो तो पता चलेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या फोरेस्ट डिपार्टमेंट उस वक्त मुख्य मन्त्री के पास था ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह फरमा रहा हूँ कि फोरेस्ट के मामले में भी जिसके अन्दर पानरवा के फोरेस्ट की रिपोर्ट है उसमें मुख्य मन्त्री ने अपने हाथों से लिखा है कि मैंने सारे केस को अच्छी तरह से देख लिया है। किस समय लिखा है, जिस समय यह ठेका फिर से, जिसमें दस लाख रुपये का नुकसान हुआ था जिसके लिए हमारे चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम ने कहा था कि नहीं मिलना चाहिए, राज्य के खजाने को नुकसान है, यह फैक्ट मुख्य मन्त्री के नोटिस में लाने के बावजूद, मुख्य मन्त्री ने हाथ से लिख दिया और कह दिया कि सारे केस को मैंने देख लिया है। उसके बाद में भी ठेका दिया जाता है और राज्य की सम्पत्ति को दस लाख का नुकसान पहुंचता है। यह नुकसान मुख्य मन्त्री को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ।

दूसरी बात, योजनाओं में क्या है, आपकी योजनाओं के अन्दर जो कुछ हो रहा है उसकी एक रिपोर्ट है। गुढ़ा बांध का एस्टीमेट। इसके अन्दर दिखाया है सन् १९५६ तक तीन लाख रुपया। यह एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है १९६३-६४ की। इस रिपोर्ट के अन्दर लिखा है कुल योजना का प्रावधान १९५६ से १९६१ तक ३,६५,०००) फिर उसके बाद में कुल व्यय कितना है; २६,१८,००,०००)। इसके अन्दर जमीन कितनी बताई गई ? दस हजार एकड़ जमीन इनमें सिंचित होगी, सिंचाई होती है एक हजार एकड़ की, फिर तीन लाख का बजट-प्रावधान था और २६-२७ लाख का खर्चा कर दिया और यह भी बताया है खर्चे

(श्री मुरलीधर व्यास)

के बाद में भी, फिर से एस्टीमेट नहीं बना । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिना एस्टीमेट्स के इन तीन लाख की जगह बाद में २६ लाख कैसे लगाया, किसने लगाया, किसने योजना बनाई । जहां एक हजार बीघा जमीन सिंचित होती है वहां कितना मिलता है ? श्री रामनाथ पोद्दार के ट्रैक्टर्स चलते हैं उसके आदमी काम करते हैं और उस जमीन का नाम मैंने बताया, उस जमीन को रामनाथ पोद्दार जोतता है और उसका सारा फायदा, अगर मेरी बात गलत है तो जाकर पता लगाओ, सारे का सारा फायदा मुख्य मन्त्री ने उठाया, उसकी पत्नी वहां से ले गई है । किसान कहते हैं कि १९५१ से पहले फोरेस्ट के पैसे भी, जो कुछ पैसा हुआ, हमसे इतने इतने आदमियों ने जमा किया और घास की चराई का पैसा उसमें भी जितनी जमीन दी गई है उसका छः गुना जमीन इस्तेमाल कर दी थी और उनका सारा पैसा मिलता था अलाउद्दीन खिलजी को जो आजकल कलेक्टर झुंझुनू में है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह कलेक्टर वहां से रेवेन्यू खुद लेकर खुद जमा करा दे, रामनाथ पोद्दार के नाम जमीनें हों और फिर भी मुख्य मंत्री कहें कि मेरी चादर बिल्कुल साफ है । आज राज्य का पैसा, योजनाओं का पैसा, सारी सिंचाई की योजनाओं को देख लें, आपको पता चलेगा कि कैसे वह मिस्यूज़ हो रहा है ।

माइनिंग के अन्दर मुख्य मंत्रीजी किस प्रकार से बड़े बड़े सेठों से मिल कर पैसा प्राप्त करते रहे हैं, किसके जरिए प्राप्त करते रहे हैं, वह सेठी साहब हैं जिसके खिलाफ मैंने चार्ज शीट पेश किया था, मेरी रिपोर्ट और फोटो कॉपीज़ आपने ले ली थीं । मैंने कहा था कि किस प्रकार पद का दुरुपयोग उन्होंने किया है, वह आज भी डाइरेक्टर बने बैठे हैं, क्योंकि सुखाड़ियाजी से इस प्रकार के ताल्लुकात हैं, वे ऐसे आदमियों को हटाना नहीं चाहते । ताल्लुकात अगर मुख्य मंत्री के माइन्स डिपार्टमेंट से नहीं हैं तो आपके सामने दो पत्र फिर पढ़ना चाहता हूं जिनसे मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार मुख्य मंत्री खुद पैसा लेते हैं । एक पत्र है २९–१२-५९ एक्सप्रेस डिलीवरी । My dear Shri Jain......

श्री बालकृष्ण कौल : किसका लैटर है ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह भेजा है आपके अकाऊन्ट्स ऑफिसर, डाइरेक्टर ऑफ माइन्स एण्ड जियोलोजी, उदयपुर, ने श्री जैन को भेजा है :

"My dear Shri Jain,

I regret to inform you that I shall not be available upto 13 th February, 1960 and you may please fix up some other convenient time. As I know, you have paid a huge amount to Shri Sukhadia and our Director, but your work is such that none of them is in a position to assist you without taking me into confidence. If you are really serious to have your work done,

(श्री मुरलीधर व्यास)

please come with the amount as suggested.

You come here with Shri Kedia who is well acquainted with Shri B. L. Mathur my assistant and Shri Dangi"......

श्री बालकृष्ण कौल : जैन कौन है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जवाब सुनिये जवाब देते हैं : मुरलीधर झुंझुनू वाला प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, ३४८ डिफेंस कोलोनी, कलकत्ता । यह पत्र लिखा है १५ फरवरी, १९६० को :

"Respected Shri Sharma ji,

I have received your letter informing that you will not be available up to 13th. I now request you to please give us a date by the end of this month as Mr. kedia has gone to kandla for attend and myself not feeling well due to fever I hope, you will excuse me for this and that you will not think otherwise.

I hope, this finds you in cheers. With Greetings,

Yours sincerely,
(K. L. Jain)"

जिस के० एल० जैन को पत्र लिखा, उसने जवाब लिखा है । इससे स्पष्ट होता है कि आपके यहां पर डाइरेक्टर और दूसरे लोग मिल कर माइन्स डिपार्टमेंट के अंदर लेने देने के सौदे करते हैं, लेते-देते हैं, इसका प्रमाण पहले पत्र से जाहिर होता है । मैंने कहा ह्यूज अमाउंट सुखाड़ियाजी को दिया है, बड़ी बड़ी रकमें दी गई हैं और ये सौदे माइन्स के अन्दर, इंडस्ट्री के अंदर, जमीन के अंदर, नहरी मामले के अंदर, जहां लाखों-करोड़ों रुपए की गड़बड़ हुई है, हुए हैं । दस साल के अंदर राजस्थान को बिगाड़ा है । सरदार बल्लभभाई पटेल कहते थे कि स्वार्थ और सेवा दोनों का मेल नहीं हो सकता । तो ये लोग स्वार्थी बन गए हैं, हुकूमत के आधार पर हर मामले में १० साल से सौदे करते आए हैं और इस मामले में जैसे लास्ट टाइम श्री सतीश चन्द्र ने कहा था आपकी हुकूमत दस साल की सौदेबाजी की हुकूमत है । इस सौदेबाजी की हुकूमत के आधार पर दस साल में जो काले कारनामे हुए हैं हमारी सम्पत्ति को बरबाद किया है, इस कारण राज्य बढ़ नहीं रहा है, प्रगति नहीं कर रहा है और हमारी अर्थ-व्यवस्था विकसित नहीं रही है और बजट स्पीच में ही बताया है कि हमारी २.०५ पर-केपिटा इनकम कम हो गई है ।

(४.०० म० प०)

अनाज की समस्या को लेकर आपने बात कही और १५ करोड़ के टैक्सेज बढ़ाने के बावजूद भी हमारी हालत ठीक नहीं हो रही है उसका एक मात्र कारण है आपका हर काम में, योजना में स्वार्थ रूपी घुन इस कदर घुस गया है कि उसके कारण योजनाओं को नाकामयाब करते जा रहे हैं । वित्त मंत्रीजी आपका ध्यान इन गड़-

(श्री मुरलीधर व्यास)

बड़ियों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि दस साल से इस स्वार्थ के कारण राजस्थान का विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। बेकारी की समस्या है और बेकारों के आंकड़े आप देख लीजिये। लाखों बेकारों में से आपने बताया कि १८ हजार को काम दे दिया। हर साल लाखों लोग बेकार होते जा रहे हैं, उनको काम नहीं मिलता। जनता पर टैक्स लगाते हैं। हमारी रेवेन्यू बढ़नी चाहिये, उसमें पैसा आना चाहिये लेकिन वह नहीं आता है। जनता इस कारण परेशान है। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप अन्दर की गहराई में जावेंगे तो मालूम होगा कि खजाने को किसने खाली किया है, किसने बरबाद किया है और खजाने की रक्षा कैसे की जाय ?

श्रीमती सभानेत्री : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदया, सन् १९६५-६६ के वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के आंकड़े सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किये गये हैं, मैं इस विषय में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बड़े ही गौरव के साथ यह प्रकट करने की चेष्टा की है कि जो बजट राजस्थान सरकार प्रस्तुत कर रही है वह बजट अपनी सानी का एक बजट है जिसमें समाजवाद सही रूप में उसकी व्यवस्था और विधान है उसको प्रतिपादन करने की चेष्टा की गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अत्यधिक आत्मश्लाघा के शब्दों में वित्त मंत्री ने यह प्रकट करने की चेष्टा की है कि जन-साधारण को जितनी अधिक से अधिक राहत दी जा सकती है, जितना अधिक से अधिक आराम दिया जा सकता है, सहूलियतें दी जा सकती हैं उन सब के बारे में इस बजट में प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोक कल्याणकारी राज्य सरकारें हैं और समाजवाद की भित्ति पर जिनका निर्माण होता है उन सरकारों के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यक बात यह होती है कि बजट के आंकड़े इस प्रकार बनायें कि उनमें संतुलन होना चाहिये और बहुत सुन्दरता के साथ उनमें संतुलन होना चाहिये। ये टैक्सेज जो हमारे ऊपर लगाये गये हैं और टैक्सेज के भार से जनसाधारण को लादा गया है, उनके ऊपर लादने के पहले क्या वित्त मंत्री ने यह जानने की चेष्टा की कि वास्तव में ये टैक्सेज जन-साधारण को प्रभाव करने वाले होंगे या उनका प्रभाव समाज के कतिपय, थोड़े से अंग पर पड़ेगा ? सम्भवतः उन्होंने इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया है जिसकी व्याख्या मैं अभी आगे अपने भाषण में करने वाला हूं। मैं यह भी सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक इस वित्तीय बजट का प्रश्न है इस बजट के सिलसिले में जो आंकड़ों का निर्धारण किया है, आंकड़ों के निर्माण के पहले यह सोचने की चेष्टा की है हमने राज्य में नोन टैक्स रेवेन्यू उत्पादक बातों पर कितना विचार किया है और किस दृष्टिकोण से उस पर सोचा है ? जब राज्य सरकार समाजवाद के वास्तविक सिद्धान्तों को आगे रख कर चलना

Page No 94

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

चाहती है तो वहां टैक्स लगाने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिये। राज्य सरकार का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि वह नोन टैक्स रेवेन्यू जितनी बढ़ सके उतनी बढ़ाई जाय। मेरी यह मान्यता है कि सरकार को चलाने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है, रुपयों का उत्पादन करना, रुपयो को बहुत से जरियों से निकालना, यह राज्य सरकार का काम होता है लेकिन वह रुपया किस जरिये से निकाला जाता है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है; उसका सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, यह भी प्रथम कर्तव्य यदि किसी का हो सकता है तो वित्त मंत्री का हो सकता है। अपनी केबिनेट की और अपने मंत्रियों की गलती के कारण या राज्य सरकार के उच्च कर्मचारियों की भूल के कारण या और किसी कारण से यदि पब्लिक एक्स्चेकर के रुपया का लीकेज होता है और इधर उधर हो जाता है और उसके लिए वित्त मंत्री यह कहना चाहें कि उसका उत्तरदायित्व मुझ पर न रख कर किसी अन्य अधिकारी या मंत्री पर डाला जाय तो मैं यह कहूंगा कि सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यदि किसी का माना जावेगा तो वह वित्त मंत्री का माना जावेगा और उसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं।

बहुत से मुद्दे, माननीय सभापति महोदया, सदन के सामने रखना चाहूंगा। सबकी रेस्पोन्सिबिलिटी वित्त मंत्री पर आती है या और किसी पर आती है। माननीय वित्त मंत्री ने जैसे कोई निर्जीव कंकाल हो उस पर बहुत सुन्दर कपड़ों का ढांचा तैयार करके उसको सुन्दर रूप देने के लिए तैयार किया जाय, उसी प्रकार यह बजट आज हमारे सामने रखा है। सबसे पहले बताया, खर्चे का हिसाब दिखाया और यह बताया कि कितने लोगों को राहत देने की कोशिश की। खर्चे को ही ले लीजिये। शिक्षा को मान्यता देते हुए शिक्षा में खर्च की वृद्धि की चेष्टा की गई। योजनाओं में कमी करने की चेष्टा नहीं की और बढ़ाने की चेष्टा की। उत्पादन की और भी बातें हैं जिनमें वित्त मंत्री ने यह प्रकाश डालने की चेष्टा की है कि हमने इनमें वृद्धि करने की चेष्टा की है। जहां राहत देने का सवाल है आपने यह बताने की कोशिश की है कि हमारे राज्य के कर्मचारियों की तनख्वाह में और उनके महंगाई भत्ते में पहले वृद्धि कर दी थी और अयोग्य होते हुए भी वित्त मंत्री के भाषण में जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि किस दृष्टिकोण से कर्मचारियों के प्रति अपने हृदय की उदारता को व्यक्त करके यह बताने की कोशिश की कि ये हमारे आदमी हैं। उन पर किस प्रकार दबाव पड़ा या यों कहिये कि मोरली झुके कि उन्होंने ५) रु० महंगाई भत्ते में बढ़ाने की चेष्टा की, वर्ना उसके लिए वे उपयुक्त नहीं थे।

(गण-पूरक घंटी)

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो टैक्स इस दृष्टिकोण से लगाये गये कि उन टैक्सों से जो कमी है राज्य सरकार के खर्चा चलाने के लिए या अपने बजट को संतुलित करने के लिए आवश्यक है उसकी

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

वे पूर्ति कर सकें। वाहनों पर टैक्स लगाया, डीज़ल पर टैक्स लगाया; दवाओं, देशी शराब और सिनेमा के टैक्सेज़ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने वाहनों पर टैक्स लगाने की कोशिश की। आप वह देखियेगा कि ट्रान्सपोर्टेशन का प्रश्न जब रेल्वे में असुविधायें हुई तो ट्रकों के द्वारा ट्रान्स्पोर्टेशन एक बड़े ग्रावागमन का साधन बना। सामान को इधर उधर लाने, ले जाने का सवाल था। सहूलियतें जनसाधारण को मिलने लगीं उन ट्रक्स के कारण और उनमें वढ़ोतरी हुई तो इसका कारण यह हुआ कि दूर और पास का सामान भी आम पब्लिक को मिलने लगा। लेकिन अब क्या हुआ? सवेरे स्पीच असेम्बली में पढ़ी गई, लोगों में प्रतिक्रिया हुई और भाड़े में वृद्धि हो गई। जो सुगमता से सामान यहां मिलना चाहिये था उसके मिलने में दिक्कतें आने लगीं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ समय पहले और वर्तमान में अनाज की इतनी भयंकर समस्या पैदा हुई कि राज्य सरकार उसका इन्तजाम नहीं कर सकी। मैं यह कहूंगा जयपुर में एक व्यक्ति भी ऐसा उत्पन्न हुआ है जो राजस्थान की इस अनाज की समस्या का निराकरण करने पर तुला हुआ है। जो लाखों रुपया अपनी जेब से खर्च करके जनता के कष्टों को दूर कर रहा है। आपका अनाज का भाव ६४ रूपया क्विन्टल है। यह सारे राजस्थान का भाव है। आज जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई अनाज नहीं मिलता। आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं मिलता। यहां अनाज दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोटा और बारां से मंगाया जा रहा है और उनको ६४ के भाव वितरित करना पड़ रहा है, उससे कम में खरीदने का सवाल पैदा नहीं होता। वहां से अनाज खरीद करके यहां लाने में जो ट्रान्पोर्टेशन के चार्जेज़ होते हैं व उनको जेब से देने पड़ते हैं। इसके अलावा अनाज में छीजत भी होती है, उसको भी बर्दाश्त करते हैं, इसके अलावा अपने स्टाफ को वेतन देना आदि भी अपने पास से करते हैं। राशन सबको सुगमता से मिल रहा है। किसी की शिकायत नहीं कि उनको कम मिला हो। इस प्रकार की व्यवस्था एक व्यक्ति ने की है....

श्री बालकृष्ण कौल : वह कौन व्यक्ति है?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : महारानी साहिबा की तरफ से आतिश में मिल रहा है जयपुर में। मुझे आश्चर्य इस बात का है जयपुर की सारी पब्लिक जिसको जानती है उसको मंत्री महोदय नहीं जानते।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं भूल गया था, माननीय सदस्य वकील भी हैं?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : वकील तो हूं ही; सही दलील तथ्यों के साथ रख रहा हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : तो क्या वकील सही दलील नहीं रखते।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : दलील हर सही होती है उसी दृष्टिकोण से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप केबीनेट के प्रधान

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

अंग हैं। इसलिये आपको इन बातों का ज्ञान होना चाहिये। ज्वाजल्यमान जो बातें होती है उनका भी आपको ज्ञान नहीं होता, दुःख की बात है।

काबलियत मिनिस्टरों की कैसी होनी चाहिये इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं। अकबर के ९ रत्न थे केबीनेट के, जिस प्रकार आप ९ रत्न हैं। एक बार यह घटना हुई कि एक फकीर ने आकर अकबर से दो बीघा जमीन की याचना की। बादशाह उदार थे, उन्होंने दो बीघा जमीन देने की आज्ञा प्रदान कर दी। बादशाह का हुक्म हो गया, उसको कौन टाल सकता था? उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल थे। उन्होंने देखा बादशाह का हुक्म हुआ है सो देना तो होगा। उनमें काबलियत थी, वे यह भांप गये कि दो बीघा जमीन बादशाह से, फकीर आकर मांगें, इसमें राज होना चाहिए। बादशाह का आदेश होने के बाद भी उसने अपने देश की जमीन, अपनी सरकार की आमदनी का नफा–नुकसान भी देखा। आज खेद के साथ कहना पड़ता है, आज की हुकूमत देश के हित में क्या है, इसको सोचने के बजाय किससे निज हित साधन होता है उसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। करोड़ों रुपया खर्च होता रहे, कोई परवाह नहीं; इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। उस फकीर के लिये ऑर्डर ऑफ अलॉटमेन्ट लिखा गया कि काश्मीर के केसर के खेतों को छोड़ कर इसको भूमि दी जाय। इससे यह मालूम होता है उनको अपनी भूमि के बारे में कितना ज्ञान था कि यदि केसर के दो बीघे खेत को भी दे दिया जायगा तो लाखों रुपयों की आमदनी का सरकार को नुकसान हो सकता है। एक तरफ तो ये मिनिस्टर हुए जिनको अपने देश की हर जमीन का पता था; कहां कितनी उपजाऊ जमीन है जब कि आज के समय के वैज्ञानिक साधन उस समय उपलब्ध नहीं थे, बढ़िया डेवलपमेन्ट का तरीका नहीं था, छोटे जमीन के टुकड़े बंटे हुए थे। लेकिन इतना होने पर भी उस समय के मिनिस्टरों का कितना ज्ञान था। लेकिन आपको जयपुर में क्या हो रहा है, उसका तक ज्ञान नहीं।

वाहनों पर आपने टैक्स लगाया है दूसरे जिलों से अनाज इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें दो या तीन रुपये प्रति क्विन्टल आसानी से फर्क पड़ जायगा। आपने सुबह के समय खींच दी, शाम को टेम्पो इत्यादि के किराये बढ़ गये टैक्सी वालों ने अपना किराया बढ़ा दिया। यह जो आपने वाहनों पर टैक्स बढ़ाया है उसका असर सारी गरीब जनता पर पड़ा। आप कहते हैं कि ये टैक्स जनता, जन–साधारण को प्रभावित करने वाला नहीं है, टेम्पो में छोटे लोग ही सवारी करते हैं; टैक्सीज, जिनके पास घर की गाड़िया नहीं वे टैक्सी में इधर उधर आते, जाते हैं, तो आखिर यह भार जन–साधारण पर नहीं पड़ता है तो किस पर पड़ता है? आपने डीज़ल पर टैक्स बढ़ा दिया, कोई बीमार आदमी दवा खरीदता है उस दवा पर भी टैक्स बढ़ा दिया, आज जब कि मनुष्य को पूरा खाने के लिये नहीं मिलता अच्छी आबहवा में नहीं रह सकता तो वैसी हालत में

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

वह बीमार रहता है तो उसको दवा की आवश्यकता होती है।

(४.१७ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मालदार को इतनी दवा की आवश्यकता नहीं होती जितनी कि गरीब को। आपके आंकड़ों के आधार पर पर-केपिटा इनकम जो आंक करके चलते हैं उसके अनुसार गरीबों की संख्या विशेष है। रोग का मूल कारण गरीबी, रहन-सहन का ढंग खाने-पीने की अनियमितता आदि है। भोजन आज के समय में ठीक नहीं मिल पाता जिनके कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस दृष्टिकोण से आप विचार करें बीमारियां गरीबों के अन्दर ज्यादा मिलेंगी। बंगलों में जो लोग रहते हैं उनको बीमारी का क्या पता? रोग से प्रभावित ज्यादातर गरीब जनता रहती है उस जनता के लिये दवा पर भी टैक्स बढ़ा दिया है, इसका भार जन साधारण पर पड़ेगा। जिस देश में लोगों को खाने के लिये अन्न न मिले, पीने के लिये पानी न मिले, पहिनने के लिये वस्त्र नहीं; दुर्भाग्य की बात है, औषधियों पर भी आज इतना सेल्स टैक्स लगा दिया है कि वह भी दूभर हो रही हैं। ऐसी हालत में इस राज्य की प्रशंसा हम क्या करें, जनता से आप क्या अपेक्षा करके चलते हैं?

आपने सिनेमा के अन्दर मनोरंजन कर बढ़ा दिया है। साधारण व छोटे व्यक्तियों का मनोरंजन का साधन केवल सिनेमा ही हैं। क्लबों में वे जा नहीं सकते। आज किसी भी क्लब के मेम्बर बनने के लिये १५ रुपये के फीस के चाहिये। आप लोग जाते होंगे; कैसे वे क्लब होते होंगे, आप जान सकते हैं। यदि फीस के कम से कम दस या पन्द्रह रुपये भी माने जायं तो यू० डी० सी० या सुपरिन्टेन्डेन्ट के लेवल का आदमी तो क्लब में जा नहीं सकता।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि मैं किसी क्लब का मेम्बर नहीं हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: आपके घर में मनोरंजन के साधन हो सकते हैं आपको क्लब में जाने की क्या आवश्यकता?

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा था, जहां लोगों के मनोरंजन का साधन केवल सिनेमा मात्र है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम आज की जन-साधारण की स्थिति से चिन्तित हैं, आप उनके प्रति क्रोकोडाइल टीयर्स दिखाते हैं। जिस प्रकार मगरमच्छ शिकार तो खा लेता है, उसके बाद उसको पचाने के लिए रोने की कोशिश करता है। इससे यह मालूम पड़ता है कि जो शिकार वह कर गया उसके लिये उसको दुःख है, ऐसी बात नहीं। वह तो उसको पचाने के लिये आंसू बहाता है। मैं इसके लिए यह भी शब्द प्रयोग कर सकता हूं, हिपोक्रेसी यानी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ दूसरे। आप इस प्रकार की व्यवस्था करते हुए चले जा रहे हैं जो सही मायने में व्यवस्था नहीं कह सकते।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

माननीय वित्त मन्त्रीजी, मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक लूले, लंगड़े और डिसएबल्ड और बूढ़े पर्सन्स को पेन्शन्स और राहत देने का प्रावधान रखा है निस्सन्देह यह बहुत अच्छी बात है। पर साथ में मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके वितरण की सही व्यवस्था होनी चाहिये। अब तक के मेरे अनुभव के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि अक्सर राइटफुल क्लेमेन्ट को यह नहीं मिल रही है, वास्तविक पात्र इससे महरूम रह जाते हैं। इसके दो-तीन कारण हैं। या तो वे अशिक्षा का प्रचार होने के कारण ज्ञान ही नहीं रखते कि इस प्रकार की भी कोई सहायता मिल रही है। बहुत से हैं जिनको ज्ञान है तो क्षमता नहीं, कि वे आपके दरवाजे तक पहुंच सकें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : आपसे तो अपेक्षा काव्यमय भाषण की थी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ऐसी तो कोई बात नहीं। आप तो स्वयं आचार्य हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आचारज हैं ये तो, आचार्य नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 'आचार्य' शब्द के अमरकोष के आधार पर कई अर्थ होते हैं। इसलिये यह विषयान्तर की बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो बड़े गुरु हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : गुरु तो हैं ही नहीं। जो हैं सो वास्तविकता में हैं।

तो इसके लिये गांव गांव में पंचायत विभाग हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं; तो उनके ध्यान में यह रहता है कि वास्तव में यह अपंग है या क्या है या इसको कोई सम्भालने वाले हैं या नहीं हैं, तो इस प्रकार की एक फहरिस्त बन जावे और सत्य असत्य की खोज की जावे तो वाकई यह राहत देने का प्रोवीज़न होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : यह सरकारी मशीनरी के थ्रू होगा तो आपके जैसे व्यक्ति क्या करेंगे ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हमारी तो रिकमण्डेशन जरूर जाती है। कुछ दस-पांच दरख्वास्तें मैंने भी रिकमण्ड की हैं और यह देखने की पूरी कोशिश की है कि पात्र हैं या नहीं। अब उनको दिया गया या नहीं, यह मैं नहीं जानता।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर सरकारी मशनरी के थ्रू कराने लगे तो पर्पज़ सर्व नहीं होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा तो निवेदन करना यह था कि पात्र को मिलना चाहिये; फिर एजेन्सी कोई आप एडॉप्ट करें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। वर्ना तो इस रकम का भी दुरुपयोग होगा।

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

अब मैं खास बात जो बताने जा रहा था उस पर आता हूं। सरकारी कर्मचारियों के बारे में मेरा निवेदन करना यह है कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में आपने अपनी क्या धारणा बना रखी है, यह आश्चर्यजनक बात है। आप जैसे काबिल वित्त मंत्री से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी कि वे सरकारी कर्मचारियों के प्रति ऐसी भावना लेकर चलें। आपकी स्पीच मैंने पढ़ी, आपने सरकारी कर्मचारियों के प्रति बड़ी डिसग्रेसफुल लैंग्वेज यूज की। यह दुख का विषय है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकारी मशीनरी यदि चल रही है तो आप यह न समझें कि अकेले वित्त मंत्री जी के आधार पर चल रही है या कि अकेले वित्तमंत्रीजी की काबलियत पर चल रही है। न यह कैबिनेट के मिनिस्टरों के या चीफ मिनिस्टर के भरोसे चलती है। वक्त पर न वित्त मंत्री, न मुख्य मन्त्री या कैबिनेट के अन्य मन्त्री काम आ सकेंगे। इस सारी मशीनरी को चलाने का मुख्य श्रेय तो इन छोटे-छोटे कर्मचारियों पर है, जो इस मशीनरी के छोटे छोटे पुर्जों के रूप में काम कर रहे हैं। इस मशीनरी में कहीं पर फिट होने वाला एक छोटा सा स्क्रू भी फैल हो जाय या काम न करे और सहयोग करना बन्द कर दे तो कोई वक्त ऐसा आ सकता है कि सारी मशीनरी टम्बल डाउन हो सकती है। इन पुर्जों का इतना महत्व है। इसके सामने आपका कोई महत्व नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री मण्डल का स्क्रू तो पहले ही फेल हो गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नया आ गया।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : तो इन छोटे छोटे पुर्जों को निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है।

आज महंगाई को हमें देखना होगा। इनकी कठिनाइयों को देखना होगा। सन् ४० से लेकर ५० तक और ५० से लेकर ६० तक दस-दस वर्षों में जो महंगाई और उतार-चढ़ाव मार्केट में आया है उनके आंकड़ों का हिसाब लगा कर देखिये तो पता लगेगा कि खाद्यान्नों और जीवन की आवश्यक वस्तुओं के जो भाव चालीस में थे वे पचास में नहीं रहे और जो पचास में थे वे साठ में नहीं रहे। तो अब उनके वेतन के स्तर को और क्रम को भी उसी दृष्टिकोण से इस पृष्ठभूमि में आप देखने और जांचने की कोशिश करिये।

चालीस में आप जो तनख्वाह देते थे उसमें ५० में आपने कितनी वृद्धि की और उसके अनुपात से महंगाई कितनी बढ़ी और पचास में जो आप वेतन देते थे उसमें ६० में जाकर कितनी वृद्धि की और वह महंगाई के अनुपात में कितनी थी; ये सारे आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं और यह महंगाई की समस्या भी मौजूद है। तो मेरा यह निवेदन करना है और जैसा मैंने राज्यपाल महोदय की स्पीच के समय भी उल्लेख किया था कि मैं यह वकालत इन कर्मचारियों की इस दृष्टिकोण से नहीं करता कि मुझे कोई उनकी सहानुभूति लेनी है; आप उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करिये। मैं तो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सही तथ्यों की ओर आपका ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हुं कि आप उसका उचित हल निकालें, तनख्वाह बढ़ाना इसका सही हल नहीं हो सकता। आप इस बढ़ती हुई महंगाई पर नियन्त्रण करिये। वे आपसे रुपया-पैसा मांगते भी नहीं। वे तो केवल इस महंगाई पर कन्ट्रोल चाहते हैं। वे केवल सुविधाएं मांगते हैं कि उनको खाद्यान्न और जीवनोपयोगी वस्तुएं आसानी से पहले की कीमतों पर उपलब्ध हो जावें। वे चाहते हैं कि खाने के लिये वस्त्र मिल जावे, पहिनने के लिये कपड़ा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : खाने के लिये वस्त्र नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : खाने के लिये भोजन और पहिनने के लिये वस्त्र। तो मेरा निवेदन यह है कि मैडिकल फैसीलिटीज़ की, ऐजुकेशन की सही व्यवस्था हो जावे। इन सबके लिये आपने क्या किया ?

मैं जयपुर नगर की बात कहता हूं। शिक्षा मन्त्री भी स्वयं यहां मौजूद हैं। कई बार उनके नोटिस में लाने की कोशिश की कि आप यह देखें कि जहां आप शिक्षा की स्कूलों की सहूलियतें सब जगह दे रहे हैं वहां जयपुर नगर के एक हिस्से में यह सहूलियत बढ़ाना दर किनार रहा, दी हुई सहूलियत भी समाप्त कर दी। आप देखिये कि चांदपोल दरवाजे से लेकर सूरजपोल तक सिटी को दो भागों में बांट दीजिये। राइट हैन्ड साइड के पोर्शन में तो आपको बहुत सी हायर सैकण्डरी स्कूलें मिलेंगी, बड़े बड़े कॉलेज मिलेंगे। पर लेफ्ट हेण्ड साइड में आपको एक भी नहीं मिलेगी, जब कि पोपुलेशन को दृष्टि में रखें तो लेफ्ट हेण्ड साइड की जनसंख्या भी कम नहीं होगी। आपने स्कूलों की गिनती बढ़ाना दर किनार रहा, जो पुरानी बस्ती में एक हायर सैकन्डरी स्कूल चल रही थी और मैट्रिक के लड़के उसमें पढ़ने जा रहे थे। वे आज वहां उस स्कूल के हटा दिये जाने के कारण दूर जाकर पढ़ते हैं; छोटे-छोटे लड़के बारह-बारह, तेरह-तेरह और चौदह-चौदह साल के बच्चे लम्बा-चौड़ा भीड़ भरा बाजार पार करके जाते हैं। तो जो आलरेडी था नजदीक में उसको भी हटा दिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सुन्दर रंगाई हो रही नगर की।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह रंगाई ही होगी इस अन्धाधुन्धी के राज में। छोटे-छोटे बच्चों की सहूलियतें भी आप छीन रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ करने की कोशिश करिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'अन्धाधुन्धी' नहीं 'घटाटोप' है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो हर बात आपकी मानने को तैयार हूं। आप सोच सकते हैं यह 'अन्धाधुन्धी' है या 'घटाटोप' है ?

हमारा शासन है, हमारी शक्ति है। आप सहूलियतें पैदा कर सकते हैं, पर आवश्यकता है सही दृष्टिकोण अपनाने की। आप सही रास्ते से भटक गये हैं। लेकिन

Page No 101

लाल बाढ़दार)

मैं फिर याद दिला देना चाहता हूं कि मत भूलो, आप भी भारतवर्ष के ही रहने वाले हो। इस भारत की पुरानी संस्कृति है। पौराणिक आधार है और पुराण हमारे इतिहास के द्योतक हैं। आप जैसी कल्पना करने वाले शक्तिशाली व्यक्तियों ने राज्य की शक्ति को हाथ में लेने के बाद कल्पना की थी कि न हम दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे, न सुबह मरेंगे न शाम को मरेंगे, न अन्दर मरेंगे न बाहर मरेंगे, न जमीन पर मरेंगे न आसमान पर मरेंगे; ऐसी कल्पना और अभिमान करने वाले सत्ता के नशे में चूर व्यक्ति की मृत्यु के कारण भी हो सकते हैं, यह मत भूलो। यह हमारे देश की संस्कृति से मेल नहीं खाता।

श्री भैरोंसिंह : ये तो पानी में डूब कर मरेंगे।

एक माननीय सदस्य : वह भी चुल्लू भर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय की प्रतीक्षा का कष्ट करिये, समय को पहचानिये। मैं उस समय की प्रतीक्षा आपसे नहीं कराना चाहता। आपसे मेरी सहानुभूति है, प्रेम है और इस सहानुभूति और प्रेम के कारण सदैव मैं यह मंगल-कामना करता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर चलने की बुद्धि और प्रेरणा दे। कहीं ऐसी स्थिति न आने दें कि जब यह कहना पड़े कि

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः,
अभ्युत्था नमः धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यह्म।"

तो वह स्थिति उत्पन्न न हो जाय इसका आप ध्यान रखें कि :

"परित्राणाय च साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम्"

श्री निरंजननाथ आचार्य : "धर्म संस्थापनार्थाय........"

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : "धर्म संस्थापनर्थाय संभवामि युगे युगे।"

कहीं यह स्थिति उत्पन्न न हो जाय, इस पर आप विचार करें।

विषयान्तर होने की आवश्यकता नहीं है। यह गम्भीर विषय है, माननीय उप शिक्षा मन्त्री जी। मैं इन राज्य कर्मचारियों की समस्या, जो आपके सामने रख रहा था उसके लिए अवश्य कहना चाहूंगा कि जिन क्लर्क्स के लिए आपने कह दिया कि जहां तक काम करने का सवाल है आपने कभी यह विचारा कि आपने समय सुबह ९ से ५ तक का किया। लेकिन यह राज्य कर्मचारी अपने बच्चों को स्कूल भेज सके या नहीं, अपने घरों में साग सब्जी ला सके या नहीं, लेकिन क्लर्कों ने निश्चित रूप से यह कोशिश की कि समय पर वे सेक्रेटेरियट पहुंचे और काम करें। लेकिन उस समय भी आपके दिमाग में कभी ख्याल उनका पैदा नहीं हुआ और जब उन राज्य कर्मचारियों का डेपुटेशन आपसे मिलने गया तो बड़े दुःख के साथ हमें यह व्यक्त करना पड़ता है कि आपने एकमात्र जवाब दे दिया कि

Page No 102

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हमारे पास देने को इतना ही पैसा है और अगर आपको अच्छा पैसा कहीं मिलता है तो वहां चले जाइये। मैं कहता हूं कि आप केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तुलना तो करके देखिये कि उनके वेतन-स्तर में कितना अन्तर है ! यही जयपुर शहर है जिसमें सेन्टर के बहुत से विभाग हैं और जितने भी उन दफ्तरों में काम करते हैं और केन्द्रीय सरकार के मुलाजिम होते हैं उनका वेतन स्तर क्या है ? और इस राज्य सरकार के द्वारा, जो मुलाजिम होते हैं, उनका वेतन स्तर क्या है ? अब आप उनके स्टेन्डर्ड और एफीशियेन्सी के बारे में कहते हैं तो वर्कलोड का आधार आप उठाकर देख लीजिये। उसके आधार पर तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि केन्द्रीय सरकार का एक रिसीट और डिस्पेच का क्लर्क दस हजार कागज एक दिन में निकाल दे और आपके यहां का दो भी नहीं निकालता। फिर आपने कौनसी जांच की कि जिसके आधार पर आप हमारे यहां के जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी एफीशियेन्सी के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं ? मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपने कभी इन कर्मचारियों की सहूलियतों और सुविधाओं की ओर ध्यान दिया है ? एक अहलकार को ले लीजिए, उसके पांच-छः बच्चे हैं। वह आपकी इतनी सी दी हुई तनख्वाह से कैसे काम चला सकता है ? उसके पास आपके जैसे स्टेनोग्राफर नहीं, उसके पास आपके जैसे बंगले नहीं, उसके पास आपके जैसे रेफ्रीजरेटर्स नहीं, उसके पास ताकत नहीं। ये सब ताकतें उसके पास नहीं हैं। यदि उस अहलकार के पास भी ताकत होती तो आप नहीं कहते कि वे अहलकार ऐसे हैं कि जिनकी एफीशियेन्सी के बारे में हमें डाउट है। मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि हमारे पब्लिक एक्सचेकर का बहुत सा रुपया जो योजनाओं के लिए आपने रखा है इन योजनाओं का नक्शा भी एक अजीब किस्म का नक्शा है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी, आपको यह बताना चाहूंगा कि इस जयपुर नगर के लिए एक बार नहीं अनेकों बार मैंने ऐसी मांगें पेश की होंगी इस राज्य सरकार के सामने, लेकिन उनमें से एक पर भी राज्य सरकार ने विचार करने की चेष्टा नहीं की। मैं बहुत सी इम्पोर्टेन्ट बातें आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। इस जयपुर नगर में कई बार पानी आया और उस पानी से भारी क्षति हुई। उस समय तो पता नहीं क्यों किस तरह से ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यह सारी केबीनेट आज जागृत हो गई है और यह कुम्भकरण की नींद से सोने के बाद जागी है। ऐसा मेरा ख्याल है कि हमने सोचा, अब इस नींद से जागकर फिर सोने का सवाल पैदा होगा ही नहीं। जगह जगह जाकर आपने सैकड़ों लिटर तेल जला दिया होगा, आपने उस समय कई तरह की बातें कही होंगी और कई तरह के आश्वासन भी दिये होंगे, लेकिन आपने उनको कार्यान्वित करने की कोशिश कभी नहीं की है और उन पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वहीं पानी का नाला आज भी मौजूद है और उससे ज्यादा नुकसान होने की सम्भावना है। आज यदि फिर पानी आ गया तो जयपुर में वही कयामत फिर आयेगी और फिर वही सवाल

Page No 103

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

पैदा हो जायेगा। उस नाले को ठीक कराने के लिए जो आश्वासन दिया था उन आश्वासनों में से एक को भी पूरा करने की आपने जरूरत नहीं समझी। पता नहीं कहां कागज दब जाते है ? यदि गन्दी मोरी का नाला थोड़ी सी दूर पक्का बना दिया जाता है तो जहां तक बस्तियों का सवाल है वह तो कम से कम दूर हो जायेगा। एक छोटी सी योजना है।

इसी तरह से एक महत्वपूर्ण योजना जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि यहां जयपुर के रहने वाले अधिकांश लोगों को प्रभावित करने वाली चीज है। यहां चार बंध की मोरी के पास करबला नाम का स्थान है। जो आपकी नई सड़क निर्माण करने की योजना है उसका निर्माण होने से मुसलमानों का जो एक धार्मिक स्थान है और हर मोहर्रम के समय में जयपुर नगर में जितने भी मुसलमान हैं वे सारे के सारे करबला पर जाते हैं और हजारों आदमियों की भीड़ वहां एकत्रित होती है। लेकिन आप जो उधर से नई सड़क निर्माण करने जा रहे है और जिसका नक्शा विभाग ने बनाया है उससे इन मुसलमानों का जो धार्मिक स्थान करबला है वह जल महल के पानी में डूब जायेगा। ये लोग जो अपने धार्मिक स्थानों पर आते-जाते हैं और जो इनकी व्यवस्था है वह भंग हो जायेगी। उसका परिणाम यह होगा कि जितने भी इन लोगों के धार्मिक स्थान है वे नष्ट हो जायेंगे और ताजिये वगैरह ले जाते हैं इसके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। यह कोई बड़ी योजना नहीं है, सड़क का निर्माण साथ ही साथ चल रहा है। या तो आप यह व्यवस्था कर सकते हैं कि एक छोटीसी दीवार बना दें। इससे यह होगा कि जल महल का पानी उस हद तक नहीं आ सकेगा। यह छोटी सी योजना है, लेकिन इस ओर आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। छोटी छोटी बातें कही जाती हैं तो उत्तर यह आता है कि सरकार के पास अभी बहुत लम्बी-चौड़ी योजनायें हैं उनसे फुरसत मिलेगी तो छोटी-छोटी योजनाओं पर ध्यान दिया जायेगा। जिन योजनाओं से हजारों आदमियों का जीवन प्रभावित होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप छोटी योजनाओं को हाथ में नहीं लेते और बड़ी-बड़ी योजनायें लेते हैं तो ऐसा लगता है कि लाखों और करोड़ों की योजनाओं में गोलमाल भी लाखों का ऊपर का ऊपर होना चाहिए। यदि वास्तव में ये जो छोटी-छोटी योजनायें हैं इन पर ध्यान दें तो इससे बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। मैंने खुद ने सजेशन दिया कि जब बाढ़ आई तो सूरजपोल के पीछे का नाला उसी में जाता है। यह नाला इतना गहरा हो गया है कि उसकी गहराई ३०-४० फीट की हो गई है। और जैसे कुए में अपने आप पानी आता है उसी तरह से पानी उस नाले में आने लगा और इससे आपकी नल की लाइन डेमेज होते होते बची और मैंने आपको कहा था कि वहां पर दो नल थे उन नलों को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी दीवार बनाने की कोशिश इस

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

समय आप कर रहे हैं जिससे यह नल की लाइन बच जाये। यदि आप चाहें तो इसको आप कवर-अप करादें और एक छोटी सी पुलिया बना दें। उस पर आपका खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा और आपका मसला भी हल हो जायेगा। लेकिन आपने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यदि छोटी सी पुलिया बन जाती तो आवागमन का साधन भी परमानेन्ट हो जाता और नल की लाइन भी परमानेन्ट हो जाती। लेकिन आपने इस ओर ध्यान देने की चेष्टा नहीं की। योजनाओं में आप जिस तरह से खर्च करते हैं वह इस तरह से करते हैं कि दूसरों को राहत नहीं मिलती और यह पब्लिक एक्सचेकर का रुपया वाहियात तरीके से आपकी तरफ से खर्च किया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपके समय का घन्टा तो खत्म हो गया। एक घन्टा ले लिया आपने।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कोई समय की बन्दिश भी है क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन व्यक्ति उनकी तरफ से बोल चुके हैं और अपने पक्ष की ओर से मैं पहला ही बोलने वाला हूं, इस पर भी इतनी जल्दी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ५ मिनट और बोल लीजिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं और यह वह है कि जहां तक इस न्याय व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्न पर आपने कुछ स्टाम्प्स ड्यूटीज बढ़ाने की कोशिश की, कोर्ट फीस एक्ट को आपने पहले रिवाइज करने की कोशिश की और संभवतः आपका लक्ष्य यह रहा होगा कि इस प्रकार ड्यूटीज को बढ़ाने से थोड़ा स्टेट को पैसा मिल जायेगा। लिटिगेन्ट कम चुने हुए होते हैं, हर एक नहीं होता है जिसके ऊपर कि इस टैक्स का असर नहीं पड़ेगा और रेवेन्यू भी ज्यादा होगी, लेकिन मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय भी एक सभ्य सरकार में, सुसंस्कृत सरकार में एक सिविलाइज्ड राज्य में उतना ही परमावश्यक होता है जितनी कि अन्य जीवन के समयोपयोगी साधनों की आवश्यकता होती है। न्याय का भी उतना ही महत्व है। इस न्याय वितरण प्रणाली में राज्य सरकार का सबसे बड़ा हाथ होता है। यदि राज्य सरकार यह समझ लेती है कि न्याय को हम महंगी से महंगी और भारी से भारी कीमत पर बेचना चाहते हैं, तो मैं यह कहूंगा कि यह न्याय-वितरण की व्यवस्था नहीं हुई, बल्कि न्याय के बेचने की व्यवस्था हुई है। अब मैं आपके सामने यह निवेदन करूंगा कि कोर्ट फीस में एमेण्ड करते समय यह दलील दी गई थी कि सारी स्टेटों के कोर्ट फीस कानूनों को आप मुलाहिजा फरमावेंगे और कोर्ट फीस कानूनों को देखने के आधार पर राजस्थान के कोर्ट फीस का जो स्तर है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : तो इस न्याय-व्यवस्था के अनुसार, वकीलों की फीस आपके अनुसार कम होनी चाहिए, यह आपकी मान्यता है क्या?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यह कहूंगा, पर उनको न्याय सस्ता मिलना चाहिए। Where there is a wrong, there is a remedy. If wrong persists, remedy will not exist.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : न्याय कभी सस्ता नहीं हो सकता है जब तक कि यह वकीलों की एजेन्सी खत्म न हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो साहित्य-क्षेत्र की पूर्ति करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : न्याय सस्ते और मंहगे का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार न्याय को बेचना चाहती है और गड़बड़ करना चाहती है। जहां तक वकीलों का प्रश्न है वह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कितना महत्वपूर्ण अंग है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उस पर आप अपने विचार बताइये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : और कानूनों के इन्टरप्रिटेशन का सवाल आता है और कानून के इन्टरप्रिटेशन के लिए यदि उसका सही मायने में अर्थ लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है या वकीलों की कोई आवश्यकता नहीं समझते....

श्री निरंजननाथ आचार्य : "वाक्यं कीलयति इति वकील।"

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इन्टरप्रिटेशन का जहां क्वेश्चन आता है उसके लिए वह जरूरी हो जाता है। मैं यह समझता हूं कि यदि राज्य सरकार यह समझती है कि ऐसा एक तबका विशेष रूप से चला जा रहा है तो क्या आपके कोर्ट फीस को बढ़ा देने से वकील कम हो जायेंगे ? कोर्ट फीस आपने लगाई तो वह वकीलों की जेब से नहीं जायेगी, वह तो पब्लिक को देनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आप टैक्स का भार लादना चाहते हैं। यदि आपके दिमाग में यह बात थी, विचार आपका ऐसा हो सकता है, मैं उससे सहमत हूं वह आवश्यक नहीं है, आप इन्डिपेन्डेन्ट हैं और इन्डिपेन्डेन्ट व्यूज़ रखते हैं, लेकिन आपका यह सोचना, यह धारणा बनाना कि न्याय का क्षेत्र इनसे महंगा पडने वाला है या न्याय के क्षेत्र में जिसके कारण से सस्ता न्याय नहीं मिल सकता है वह एक जीव है, और एक तबका है वकीलों का, आपको यह सोचना था कि जो कोर्ट फीस में इन्क्रीमेंट करेंगे तो वह वकीलों की जेब से चली जायगी और यदि यह सोचकर काम करने की चेष्टा की तो यह आपकी बुद्धि की विडम्बना है, बुद्धि की बलिहारी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट फीस का इसमें थोड़ा सा उठाकर देखिये कि इन्जन्क्शन की फीस ३००) रु० कोर्ट फीस एक्ट में आपने रख दी। पांच रुपये की कीमत नाली का झगड़ा है और पांच रुपये की नाली के झगड़े के लिए कोर्ट फीस एक आदमी से ३००) रु० तय करते हैं....

श्री बालकृष्ण कौल : वकील की फीस कितनी है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उसको जाने दें, उससे कुछ नहीं होता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बहुत होता है इन्श्योरेन्स के मुकदमों से ज्यादा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं समझता हूं कि मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के दौरे का जो दो दिन का भत्ता बनता है उमसे कम लेते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं वकील रहा हूं, आप ठीक कहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप यह तो मानते हैं कि वकील ऑफिसर्स को रिश्वत देने के लिए पार्ट अदा करते हैं ? यह आप मानते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरे ख्याल से यह दुर्भाग्य की बात है कि एक काबिल आदमी अपने मन को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं कि रिश्वत खिलाने में...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : With all due respects, यह एक रिफ्लेक्शन है एडवोकेट्स के प्रोफेशन पर जो कि बड़ा सैक्रेड प्रोफेशन है । ईसलिए आपने जो कहा है उसको एक्सपन्ज किया जाय ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बड़े दुख की बात है, मैं निवेदन करूंगा कि उनके उन शब्दों को एक्सपन्ज किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके क्या शब्द थे ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उन्होंने शब्द यह प्रकट किये थे....

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने यह कहा था कि वकीलों के बारे में जैसा कि क्रिटिसिज्म करते हैं उसमें बात यह है कि रिश्वत भ्रष्टाचार है वह बार में रखते हैं तो कितना उसको प्लीड करना चाहिए वह नहीं होता है । यह आप जानते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री बालकृष्ण कौल : This is a matter of opinion. There is nothing derogatory.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : My respectful submission is that any reflection in respect of a profession should not be......

श्री निरंजननाथ आचार्य : पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर, "वकील लोग रिश्वत देते हैं और देने के काम में आते हैं" This is a reflection on the sacred profession whosoever he may be; it must be expunged from the proceedings.

श्री उपाध्यक्ष : किसी प्रोफेशन के लिए कोई इस प्रकार का वाक्य जो उस प्रोफेशन........

श्री बालकृष्ण कौल : मिनिस्टर के लिए कह सकते हैं कि रिश्वत खाता है।...

श्री उपाध्यक्ष : उस प्रोफेशन पर आघात करता हो वैसा वाक्य प्रयोग में लाना उचित नहीं है और उस दृष्टि से

(श्री उपाध्यक्ष)

यदि कोई इस प्रकार का वाक्य प्रयोग में लाया गया है तो वह अवांछनीय है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्यक्ष, निवेदन करना यह था कि न तो मैं किसी प्रोफेशन की पैरवी के दृष्टिकोण से कह रहा था; तो ऐसे शब्द एक प्रोफेशन के बारे में उधर से नहीं आने चाहिए थे। लेकिन मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस पेशे का सवाल है वह किसी मर्यादा में, किसी सीमा में, किसी कानून में बन्धा हुआ है। वकीलों के लिए बार कौंसिल एक्ट बना हुआ है, उसके प्रोफेशनल कन्डक्ट के रूल्स बने हुए हैं और जाब्ता दीवानी और जाब्ता फौजदारी के कांड बने हुए हैं, उन कांडों के आधार पर सही कानून की भाषा का इन्टरप्रिटेशन करना एक किसी व्यक्ति का कर्त्तव्य होता है और वही वकील अंजाम देता है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा इस विषय में यदि उस प्रोफेशन का कोई व्यक्ति कोई गड़बड़ करता है और उस व्यक्ति विशेष को लेकर सारे उस सम्प्रदाय के बारे में इस प्रकार का आक्षेप करने की चेष्टा करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह मानवता के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, यह किसी प्रोफेशन के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। आपको इस बात का विचार करके चलना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस पर ऑब्जर्वेशन्स हो चुके हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पर कई व्यक्तियों पर इन बातों का प्रभाव नहीं होता है। तो इन सारी बातों को छोड़ने के बाद विषयान्तर नहीं होकर, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय की व्यवस्था के दृष्टिकोण से आपने सही मायने में स्टेप नहीं लिया। एक छोटी सी बात मैं सिर्फ यह रखना चाहता हूं कि सस्ते न्याय की व्यवस्था की सुविधा न करने के लिए बजट में अदालतों के निर्माण के लिए, जजेज़ के एपोइंटमेंट के लिए, उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करने के लिए, उनको प्रोपर कोर्ट रूम प्रोवाइड करने के लिए, प्रावधान नहीं रखते हैं। यह प्रावधान क्या सोचकर रखते हैं? जाने दें इस बात को कि न्याय-वितरण की व्यवस्था एक स्थान पर न होकर, अमुक स्थान पर नहीं होकर, अमुक स्थान पर हो, यह आपकी पॉलिसी का मैटर है और पॉलिसी के मैटर को आप चलाते रहें, लेकिन जो पॉलिसी आपने एडॉप्ट कर ली, उस पॉलिसी को एक बार एडॉप्ट कर कर लेने के बाद कम से कम उसी पॉलिसी के आधार पर न्याय-व्यवस्था ठीक रूप से चलती रहे, यह देखना है, लेकिन इस पर भी आप हमेशा काम नहीं करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एक नहीं अनेक इन्स्टान्सेज़ हैं कि कोर्टस के अन्दर जजेज़ के अभाव के कारण, मुन्सिफ के अभाव के कारण २०-२५ दिन तक कुर्सियां खाली रहती हैं और पब्लिक के लोगबाग आते हैं और तारीख लेकर चले जाते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

कहीं पर रूम्स की यह हालत है कि सम्भवतः आपके बैठने का जो कमरा है उस कमरे के साथ आपके पी० ए० या स्टेनोग्राफर के कमरे से बड़ा कमरा कोर्ट को

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसमें वकील जाकर बैठेंगे, लिटिगेन्ट पब्लिक जाकर बैठेगी, जज उनके मुवक्किलों की बात को सुनेंगे या फरीकेन की बात को सुनेंगे. यह कोई व्यवस्था आपकी तरफ से नहीं की जाती हैं। कई बार मांग की गई है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम १० साल और १५ साल पहले भी आपने भी जयपुर में देखा है, लेकिन आपने कभी जाने और देखने का मौका नहीं लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

१५ साल में कभी आपने यह सोचा कि बार एसोसियेशन और बार रूम का अहाता या कचहरी का अहाता, किसी भी एरिया को ले लीजिये वे पूरी तरह से पब्लिक युरीनल्स बने हुए हैं। वकीलों से आप घृणा करते हैं, जाने दें उनको जहन्नुम में, लेकिन पब्लिक से तो आप प्रेम करते हैं; जिनके वोट्स के आधार पर आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उन पब्लिक के आदमियों के लिए आपने पब्लिक युरीनल्स बनाने की क्या कभी कोशिश की ? कोई बैठने का ऐसा स्थान नहीं है ...

श्री बालकृष्ण कौल : जब तक वकील इन्सान है उस वक्त तक यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह जहन्नुम में जावे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं सोच रहा हूं जिस भाषा में आप बोल रहे है उसमें न आप क्लर्क को इन्सान समझते हैं, न वकील को। यदि आप इनको इन्सान समझते तो सहायता की ओर ध्यान जाता। अब वह इन्सान नहीं है या इन्सानियत आप में नहीं है, इस पर विचार आप स्वयं कर सकते हैं। मैं किसी पर आक्षेप लगाने का आदी नहीं हूं। यदि आपको कभी समय हो देखने का तो इधर से जाते समय रास्ते में पड़ेगा, उधर जाने में कष्ट नहीं होगा, आपको मोटर से भी नीचे नही उतरना पड़ेगा; एक बार दृष्टि से, आंख से देखना चाहें तो मैं बता दूंगा श्रीमान् वित्त मन्त्री महोदय लाखों-करोड़ों की फाइनेंसेज इधर से उधर करने वाले कभी जाकर देखिये तो सही...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लाखों-करोड़ों रुपये इधर से उधर करने का क्या मतलब ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इधर से उधर करने का मतलब खर्च और आमदनी को इधर से उधर करना आपके हाथ में है.....

श्री बालकृष्ण कौल : वह तो भाषा का प्रयोग है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा तो आपसे निवेदन करना यह है कि एक बार आप जाकर खुद अपनी आंख से वहां की दयनीय स्थिति को देखने की चेष्टा करें कई बार प्रपोजल्स जा चुके हैं। पहले इतनी सी मांग थी कि टिन का शेड ही लगा दें जहां वकील बैठ तो सकें। आप उनको सुनने की चेष्टा तो करें, लेकिन वह प्रपोज़ल आपकी कलम से टर्न डाउन हो जाता है। आप रुपयों-पैसों का हिसाब इधर से उधर करते हैं और कह देते हैं कि यह योजना में

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप समाजवाद की सही माने में रूप रेखा बनाने का यत्न और कोशिश कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी मांगें या सुझाव आपके सामने आते हैं उनको भी लापरवाही से देखने का दृष्टिकोण आपका नहीं होना चाहिये बल्कि उन पर आपको सही माने में विचार करना चाहिये। मेरा निवेदन यह था, बहुत सी बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं इससे स्पष्ट व्यक्त हो जाता है कि जो योजना की बात है उसके बारे में आप यह भी आक्षेप लगा सकते हैं कि जहां तक योजना का प्रश्न है हम आपका विरोध करते हैं, लेकिन हम योजना का विरोध नहीं करते; लेकिन हमें विरोध इस रूप में करना पड़ता है मजबूरी से कि जिस योजना को लाकर चलाते हैं, जितने रुपये जिस माने में व्यय होने चाहिये उस माने में व्यय नहीं होते और पब्लिक एक्सचेकर का दुरुपयोग होता है, इसलिए विरोध करना पड़ता है। लेकिन आप बड़े होशियार और इन्टेलिजेन्ट हैं। जब कोई प्रश्न आपके सामने आता है भलाई करने का तो उससे आप उस तरह से भागते हैं जिस तरह से साबुन को पकड़ने की कोई कोशिश करता है और वह फिसल जाता है; उसी तरह आप भी फिसल जाते हैं. यह होशियारी आप में सबसे बड़ी है...

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मछली कह दो।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : रोडवेज़ का राष्ट्रीयकरण कर दिया और सरकार उसको चलाने लगी। लाखों रुपयों की मोटरें खरीद लीं और वे चलने लगीं। सदन में भी इस बारे में कई बार कहा गया, लेकिन अच्छी बात आपके कान में कम पहुंचती है। दूसरी बात मैंने कही थी कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके एक कान से कोई बात आती है तो वह दूसरे कान से निकल जाती है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : माहर साहब ने भाषण दिया था फेमिली प्लानिंग के बारे में, उसका उत्तर रह जायगा।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। जब उनको रोडवेज़ के बारे में कोई बात कहते हैं तो फरमाते हैं हमने तो कोर्पोरेशन बना दिया, उनके पास जाइये। कोई शिकायत देते हैं तो कहते है इसमें केबिनेट का क्या दोष है उसने तो कोर्पोरेशन बना दिया, उनके पास जाओ। आपकी यह होशियारी देखिये। लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो गये और आज उसका ऐसा हाल हो गया कि गाड़ियें चलेंगी या नहीं, इस दरवाजे पर गिरेंगी या उस पर, इसकी आपको कोई चिन्ता नहीं। जब आपके सामने सवाल आता है तो कहते हैं, अब तो कोर्पोरेशन बन गया, उनके पास जाइये।

इसी तरह का हाल बिजली का है। लोगों को आश्वासन यह दिया था कि लाखों करोड़ों रुपये लगाये हैं उनसे जब बिजली आयेगी तो सस्ताई के साथ लोगों को बिजली देंगे; इतनी सस्ताई से कि पहले मिलती थी उससे आधी रेट पर देंगे। जब वह व्यवस्था

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

नहीं हुई तो बिजली बोर्ड बन गया। राज्य सरकार के पास शिकायत लेकर गये तो कह दिया अब तो बोर्ड बन गया, बोर्ड के पास जाइये। जनता किसके पास जावे? आप टैक्स लगाते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, योजना के नाम पर पब्लिक एक्सचेकर से खर्चा कर देते हैं और जब मांग करते हैं तो कहते हैं कि हमने तो बोर्ड बना दिया आपका, आउटपुट कितना होता है जब इसके बारे में जानकारी करते हैं तो उस पहलू से उस तरह से हट जाते हैं जिस तरह से गधे पर से सींग गये। आप देखते ही नहीं यह है आपका प्लानिंग का तरीका...

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारा फैमिली प्लानिंग रह जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने तो एक प्लान बनाया, उसमें फैल हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : फैमिली प्लानिंग के लिए आपको ५ मिनिट और दिये जायेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसमें कोई बात नहीं। मैं प्राइमरीली इस बात को एडमिट करता हूं कि फैमिली प्लानिंग जरूर होना चाहिये। मुझे एक्सपर्ट मानते हैं तो सुनिये।

परिवार नियोजन अपनाओ
अब बांझ बना निज घरणी को
घरणी को फल से सरसाओ
खेती का, खान का, बांध का
जितना चाहे निर्माण करो
सरकारी कोष खुला है अब
यदि चाहो निज कल्याण करो

खूब तकाबियां मिल रही हैं हजारों रुपये लेने की दावत देते हैं ;

पर मत बढ़ने दो मानव को
सरकार इसी से चिन्तित है
नेताओं का सहयोग करो
सब नेता इससे विचलित हैं
विचलित हैं सभी नर-नारी

श्री निरंजननाथ आचार्य : महार साहब वाली बात नहीं आई।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : युग बदल गया तुम भी बदलो

अरे नारी को तुम्हें बढ़ाना है
और सदियों की पिछड़ी नारी को
अब अपने साथ चलाना है
जो कुछ अभाव नारी में है
वह बिल्कुल दूर हटा देंगे
अरे जो कुछ विशेषता नारी की है
उसको भी शीघ्र घटा देंगे
(बच्चे पैदा करना दूर कर देंगे)
यह भेद हटा देंगे तुम शान्त रहो
सहयोग करो मत भय खाओ
परिवार नियोजन अपनाओ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक और रह गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा निवेदन यह है कि जिस परिवार नियोजन की हम

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

बात करते हैं उसके साथ में यह सही बात है जो में आपको बताना चाहता हूं; जिस प्रगति और उन्नति के क्षेत्र में जिस प्रकार आप बढ़ते जा रहे हैं उसमें आप सही माने में भारतवर्ष की जो अतीत संस्कृति है उसकी पुनरावृत्ति आप नहीं करवा सकते। आपकी प्रगति किस ओर जा रही है, आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं, किस संस्कृति का आप निर्माण करना चाहते हैं, मेरी तो समझ में बात आती नहीं है। यदि आप वर्तमान शिक्षा पर चलते हैं तो उसके अन्दर क्या हो रहा है, इसका पता नहीं चलता। आंकड़ों में यह कह दिया गया कि एक लाख विद्यार्थी पढ़ गये तो क्या सारा देश पढ़ गया? उन एक लाख में से कितने जीनियस पैदा किये जो कंट्री में कम्पीटीशन में जाकर और इन्टर-नेशनल कम्पीटीशन्स में जाकर राजस्थान के नाम को ऊंचा उठाने की चेष्टा करते हैं। में कहता हुं :

"Full many a flower were born unseen."

इस आधार पर अब भी गरीब तबके के बच्चे मिल सकते हैं जो कम्पीटीशन में जाकर अपनी काबलियत का प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जब स्कोलरशिप्स देने का प्रश्न आता है, सहायता देने का प्रश्न आता है उस प्रश्न पर आप स्वयं हृदय पर हाथ रखकर कहिये कौल साहब कि क्या सभी केसेज़ जिनाइन हैं जिनमें स्कोलरशिप दी जाती है? १५ परसेन्ट केसेज़ ऐसे होते हैं जिनको जिनाइन नहीं कहा जा सकता। कई कारण ऐसे होते है जिनके कारण उनको स्कोलरशिप मिल गई। २० परसेन्ट केसेज ऐसे बताऊंगा...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़ ! भाषण समाप्त हुआ, सदन का समय भी समाप्त हुआ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे, बुधवार, दिनांक १० मार्च, १९६५ म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४५ का उत्तर देखिये)

सन् १९६०-६४ तक करोली पॉवर हाउस के घाटे की सूची

६०-६१	८०,१६८.२८
६१-६२	५३,८३०.२२
६२-६३	४४,०८४.४५
६३-६४	५८,७४१.७६

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ९ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२११५	अन्तिम से १	निक	निकली
२११८	७	टेंनिग	ट्रेंनिग
,,	८	ट्रेंनिग	टेंनिग
२१२०	स्कम्भ	१२२०	२१२०
,,	८	ि ा ने	जितने
२१२२	१४	सन्बन्धित	सम्बन्धित
२१२४-२१२५	शीर्षक	यार्च	मार्च
२१३३	१७	राप्ट्री-	राष्ट्री-
२१३५	२५	म	में
२१३४	३	मे	में
२१३६	२२	हाईके र्ट	हाईकोर्ट
२१४८	अन्तिम से २	विद्युत् मंत्र	विद्युत् मंत्री
२१५७	१२	(कठूमर-सु०)	(कठूमर-सु०)
२१५९	४	चूंड़ावत	चूंडावत
२१६१	२१	कीम ों	कीमतों
२१७२, २१९९ व २२२३	२	अग्रत्तर	अग्रेत्तर
२१७६	अन्तिम से १	द्वा ा	द्वारा
२१८६	१७	श्रा	श्री
२१९४-२१९५	शीर्षक	३५	६५
२२०७	६	एन्टटेंनमेन्ट	एन्टर्टेनमेन्ट
	२०	एन्टर्मेनमेन्ट	एन्टर्टेनमेन्ट
२२०८-२२०९	शीर्षक	माच	मार्च
२२०९	,,	वाद-विवांद	वाद-विवाद
२२१०-२२११	,,	मा ि	मार्च

(क्र–क्षेप)

१	२	३	४
२२१४-२२१५	शीर्षक	माच	मार्च
,,	,,	बात-विवाद	वाद-विवाद
२२१६-२२१७	,,	२२१६ [आय-व्ययक	२२१६] आय-व्ययक
,,	,,	५-	६५-
२२१६	शीर्ष	बृजसुन्दर	वृजसुन्दर
२२१८-२२१६	शीर्षक	आय-व्दयक	आय–व्ययक
२२१८	अन्तिम से १	पचज	पर्चेज
२२२४	६	सौंपन	सौंपने
२२२६	२४	अउटलूक	आडटलुक
२२३६	२५	मजबूरिया	मजबूरियां
२२४८	अन्तिम से २	श्री कृष्णकुमार	श्री कृष्णकुमार गोयल
२२५१	१०	पर्जिग	पर्चेजिंग
,,	१५	होल्डिग	होल्डिग
,,	अन्तिम से ४	घटोत्तरी	घटोत्तरी
२२६३	शीर्षक	विवांद	विवाद
२२६५	२१	दिखचप्पी	दिलचस्पी
२२७०	११	आपने कहा था	आपने कल कहा था
२२७५	२	मक	कम
२२७६	अन्तिम से ४	की बनाया	का बनाया
२२८०	२३	चाहना	चाहता
२२८२	१०	acts as	facts as
२२८४	२२	चेयरमैन महोदय	चैयरमैन महोदया
२२८६	१	श्री मुरलीधर व्यसयह दीना-नाथ :	श्री मुरलीधर व्यास : यह दीनानाथ
२३०६	४	पर्सेन्स	पर्सन्स
२३१२	शीर्ष	ग लाल बाढ़दार)	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
२३२२	२०	ईसलिये	इसलिये
२३२३	२–३	ब्रिटिसिज्म	क्रिटिसिज्म
२३२५	२५	कोर्टस	कोर्ट्स
२३२७	८	जाने मैं	जाने में